मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा तृतीय सत्र

जून - जुलाई, 2014 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 2014

(20 आषाढ़, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 3] [अंक- 10]

मध्यप्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 2014

(20 आषाढ़, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.35 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर.

श्री आरिफ अकील – आज तो आपके कपड़े बहुत चमक रहे हैं हमें भी बता दें क्या इस्तेमाल करते हैं हम भी इस्तेमाल करेंगे.

अध्यक्ष महोदय – धन्यवाद्. आज आपका एक नंबर पर प्रश्न भी है.

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाना

1. (*क्र. 1361) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रतिवेदन दिनांक 19 मार्च 2013 को पटल पर प्रस्तुत कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की थी के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री प्रमुख सचिव व मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को माह 20 फरवरी 2014 को पत्र भेजा गया था जो माह मार्च 2014 को विभाग में प्रस्तुत हुआ था? (ख) यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों इसके लिए कौन-कौन दोषी है? (ग) यदि नहीं तो दिनांक 8-7-2009 से लगातार विधान सभा और विभाग को असत्य एवं भ्रमित जानकारी कराने के फलस्वरूप जांच में दोषी पाये जाने के बाद कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) –

क) जी हॉ। विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण जांच कार्यवाही हेतु समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। विभागीय आदेश दिनांक 26.03.2014 से जांच समिति का गठन किया गया है। समिति से अब जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है।

(ख) प्रश्नांश '' ख '' के संदर्भ में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर म0प्र0 वक्फ बोर्ड के कार्यालय अधीक्षक श्री आफाक अहमद को दिनांक 13.05.2014 को निलम्बित किया जाकर म0प्र.0 वक्फ बोर्ड के पत्र दिनांक 09.06.2014 द्वारा आरोप पत्र भी जारी कर दिये हैं। समिति के प्रतिवेदन पर शासन यथोचित निर्णय लेते हुए शीघ्र कार्यवाही करेगा।

(ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

श्री आरिफ अकील – माननीय अध्यक्ष महोदय मैं 8 जुलाई 2009 से बराबर यह प्रश्न लगातार करता आ रहा हूं. उन्होंने 8 जुलाई को मुझे गलत जवाब दिया तो मैंने 13 जुलाई को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को दिया था. इत्तेफाक से जो इस समय विभाग के मंत्री हैं वह उस समय प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति थे. चार साल के बाद में 2013 में उस पर निर्णय लिया है. निर्णय के बाद में 6 माह में कार्यवाही करने के लिए कहा. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में दो हजार करोड़ रूपये के भ्रष्टाचार के लिए अभी जो वर्तमान सीईओ हैं उन्होंने पूर्व में जो तीन सीईओ थे मतलब जैदी, दाऊद और सैय्यद को निलंबित करने के लिए और उन पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए तीन चार महीने पहले लिखा है. आज तक कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण हैं.

श्री अंतरसिंह आर्य – माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बता रहे हैं कि प्रस्न एवं संदर्भ समिति में उस समय मैं उसका सभापति था. माननीय सदस्य लगातार 2009 से इस प्रश्न को प्रश्न के माध्यम से और ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में रखते रहे हैं और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के अंदर यह बार आयी और समिति ने शासन से जांच प्रतिवेदन बुलाया. मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपने जो बातें उठायी हैं. उसमें वक्फ बोर्ड के अंदर 6 कर्मचारी मोहम्मद यूनुस ओएसडी, मोहम्मद अफाक अधीक्षक, अब्दुल रहमान बाबू है, तनवीर अहमद और दो अन्य इस प्रकार से 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है.

इसके बाद में शासन ने इसकी समिति बनायी है जो 31-5-2009 में जो वक्फ बोर्ड की जो बैठक हुई थी माननीय सदस्य का मुख्य विषय यह ही है कि एक विषय पर बैठक आहुत की गई थी और इस बैठक के बाद में फिर से बैठक उस समय के वर्तमान अध्यक्ष और 5 – 6 सदस्य जो उपस्थित थे उन्होंने एक 22 बिन्दू का एजेण्डा पारित किया था उसी के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी की आपत्ति है उसी दरम्यान शासन ने समिति नियुक्त की समिति के अंदर 13 बिंदु को आइडेंटीफाई किया है जो वास्तव में वक्फ बोर्ड के नियम के विरूद्ध है उसमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जैदी जो कि पशुपालन विभाग के हैं उप संचालक हैं शासन से उनको निलंबित करने के लिए लिख दिया है और आने वाले समय में वह निश्चित रूप से निलंबित होंगे.

श्री आरिफ अकील - अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जिस तरह से जवाब दिया है कि वक्फ बोर्ड में जिम्मेदार सीईओ, चपरासी और बाबू सस्पेंड हो रहे हैं और वर्तमान में जो सीईओ उन्होंने खुद लिखकर दिया है कि 2000 करोड़ रुपए का इसमें घपला हुआ है. उन्होंने जो तीन सीईओ हैं, दाऊद, जैदी और सैयद, इनको निलंबित करके इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए इनके आदमी ने अपने विभाग को लिखा है. 4 महीने उनको लिखे हुए हो गये हैं. लेकिन कौन- से वीआईपी हैं कि 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर लें और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आपके सीईओ ने आपको पत्र लिखा है, उसमें जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन तीनों को निलंबित करेंगे और उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएंगे? चपरासी, बाबू छोटे-छोटे लोग इनको निलंबित करना अलग बात है?

श्री अंतर सिंह आर्य - अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, बराबर सरकार उसके प्रति गंभीर है और जो जैदी है उसको निलंबित करने की कार्यवाही हम कर रहे हैं, जिसके लिए संबंधित विभाग को हमने भेजा है.

श्री आरिफ अकील - अध्यक्ष महोदय, एक तो वर्तमान में हज कमेटी में सीईओ हैं और उनका नाम दाऊद रियाल हो गया है क्योंकि सऊदी में जो हज करने जाते हैं तो वहां रियाल एक्सचेंज होते हैं तो उन्होंने एक्सचेंज करने में भी कमीशन लिया है. हाईकोर्ट ने भी उनके खिलाफ टिप्पणी की है. ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, यह तो बताएं?

श्री अंतर सिंह आर्य - अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वर्षों से इस प्रश्न के पीछे हैं और यह जनहित का मुद्दा है, इसमें शासन का बचाने का कोई उद्देश्य नहीं है. जो भी उस समय कार्यकाल में सीईओ होगा,

कोई भी अधिकारी होगा, उसके खिलाफ हमारी जो समिति बनी है, उसका दायरा हम बढ़ाएंगे, और भी इसमें पाए जाएंगे तो उनको भी निलंबित करेंगे.

श्री आरिफ अकील - अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एवं संदर्भ समिति से तो बड़ी कोई समिति बनेगी नहीं. वर्ष 2009 में मैंने इन्हें लिखकर दिया था और माननीय जो अध्यक्ष थे उन्होंने निर्णय लिया था. अब मैं उनसे कह रहा हूं कि आपने 6 महीने में निर्णय करने को कहा था कि 6 महीने में निर्णय कर देंगे. अब उसको आए हुए भी साल भर हो गया है तो मेरा अनुरोध है कि जो ये दो लोग भ्रष्ट लोग हैं, उनको आज ही निलंबित करने की कृपा करके घोषणा करें और उनके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध करने की कृपा करें?

श्री अंतर सिंह आर्य - अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि आप जो नाम बता रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही भी जारी है और हमारी जो समिति बनी है, उसका दायरा और हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि समिति की जो रिपोर्ट है, उसमें जैदी का मामला है और इसमें जो भी दोषी होगा, हम उसको निलंबित करेंगे.

श्री आरिफ अकील - अध्यक्ष महोदय, आप समय-सीमा बता दें कि 8 दिन में आप कार्यवाही कर देंगे?

अध्यक्ष महोदय - इस प्रश्न ने बहुत समय ले लिया है, आप समय-सीमा बता दें.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने अनुशंसा कर दी, उसके बाद आप अधिकारियों से जांच करा रहे हैं? यह तो विधान सभा की समिति का अपमान है. यह विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अपमान है.

अध्यक्ष महोदय - आप कृपा करके बैठ जाएं.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, आप क्यों नहीं करते घोषणा?

अध्यक्ष महोदय - आप कब तक कार्यवाही कर देंगे माननीय मंत्री जी?

श्री अंतर सिंह आर्य - अध्यक्ष महोदय, हम 2 महीने के अंदर इसकी कार्यवाही करेंगे.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहेंगे अगर हमारी समितियों की यही स्थिति होगी तो क्या हालत होगी?

श्री आरिफ अकील - अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि अगर आप निलंबित नहीं कर रहे हैं तो वर्तमान हज कमेटी के जो सीईओ हैं, जो कि तिलहन संघ के हैं, उनको वहां पर भेज दीजिए. उनको वापस भेज दें. अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि समिति जांच कर रही है, वर्तमान सीईओ ने भी उनके खिलाफ लिखा है कि वे भ्रष्टाचारी है, उनके खिलाफ एफआईआर हो. मेरा निवेदन है कि जिस विभाग से वे आए हैं, उस विभाग में वापस भेजने में क्या आपत्ति है? वे कौन-सी दूध देती गाय है.

अध्यक्ष महोदय - अब आपकी बात आ गई, श्री शैलेन्द्र पटेल.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, यह विधानसभा का अपमान हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय - उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि 2 महीने में कर रहे हैं. समय-सीमा में कार्यवाही करने के आश्वासन के बाद क्या चाहते हैं?

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न एवं संदर्भ समिति स्पष्ट कार्यवाही के लिए अनुशंसा कर चुकी है, उसके बाद दोबारा समिति बनाने की क्या जरूरत थी? इसमें कार्यवाही करने की तुरंत आज अभी घोषणा करें.

श्री आरिफ अकील - अध्यक्ष महोदय, विभाग में वापस भेजने में क्या आपत्ति है?

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की समितियों के अधिकारों की रक्षा करना आपका दायित्व है.

अध्यक्ष महोदय - उन्होंने कहा है कि 2 महीने में निराकरण कर देंगे.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जब समिति बनती है तो विधान सभा समितियों का गठन करती है और समिति कोई अनुशंसा करती है , सदन में आश्वासन होते हैं और समिति की अनुशंसा के बाद शासन कार्यवाही नहीं कर रहा है . फिर से प्रश्न आया और फिर से आश्वासन देने की बात हो रही है.

अध्यक्ष महोदय- नहीं आश्वासन नहीं अब तो कार्यवाही कर रहे हैं.

श्री सत्यदेव कटारे- नहीं अध्यक्ष महोदय, जो अनुशंसा हुई उस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—6-लोगों को निलंबित कर दिया. (व्यवधान) आप सुन तो लें. एक सी ई ओ को भी निलंबित कर दिया है ,अभी बताया. अब बाकी लोगों के खिलाफ वे दो महीने में कार्यवाही करने का आश्वासन दे रहे हैं. बस अब बात हो गई.

श्री सत्यदेव कटारे—नहीं, दो महीने वाली बात में अगर आरिफ भाई संतुष्ट हैं तो हम संतुष्ट हैं.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय- इस प्रश्न पर 15 मिनट का समय हो गया है.

श्री आरिफ अकील—अध्यक्ष महोदय, निलंबित न करें पर विभाग को वापिस भेज दें.

अध्यक्ष महोदय—वह प्रशासनिक काम है. (व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा की संदर्भ समिति का अपमान है. (व्यवधान)

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, ये विधान सभा की समितियों का अपमान है, सदन का अपमान है , हम इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं.

(नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यापकों के वेतन में विसंगतियाँ

2. (*क्र. 2267) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने 21 फरवरी, 2013 को अध्यापक संवर्ग को नवीन वेतन बैण्ड और ग्रेड-पे देने का आदेश जारी किया है? (ख) क्या उपरोक्त आदेश की व्याख्या 7-6-2014 को आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पत्र द्वारा की गयी है? और क्या सरकार उक्त व्याख्या को सही मानती है? (ग) क्या सरकार एक ही कैडर (अध्यापक कैडर) के वेतन निर्धारण के लिये 31 मार्च, 2013 तक, तथा उसके बाद कैडर में आये अध्यापकों के लिये वेतन निर्धारण के दो अलग-अलग तरीके अपनाने जा रही है? और अगर ऐसा है, तो क्यों? (घ) सरकार वर्तमान में संविलियन द्वारा अध्यापक संवर्ग में आने वाले अध्यापकों को कितना न्यूनतम मूल वेतन प्रदान कर रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हां. (ख) जी हां. आदेश दिनांक 21-2-2013 के अनुसारे ही मार्गदर्शन दिया गया है. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी नहीं, अपितु दिनांक 31-3-2013 तक के पूर्व से कार्यरत अध्यापकों का वेतन नियमन तथा दिनांक 1-4-2013 के उपरान्त निश्चित संविदा पारिश्रमिक पर कार्यरत संविदा शाला शिक्षक के अध्यापक संवर्ग में नियुक्त होने पर वेतन नियमन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं. (घ) वर्तमान में संविदा शाला शिक्षक से अध्यापक संवर्ग में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को निम्नानुसार वेतन बैण्ड एवं संवर्ग वेतन दिया गया है:—

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग का पद नाम	वेतन बैण्ड	संवर्ग वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	रुपये 4500—25000	रुपये 1900
2	अध्यापक	रुपये 4500—25000	रुपये 1650
3	सहायक अध्यापक	रुपये 4500—25000	रुपये 1250

उक्त तालिका में अंकित वेतन-बैण्ड तथा संवर्ग वेतन को जोड़कर उस पर 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा मध्यप्रदेश शासन, पंचायत/ नगरीय विभाग के निर्देश दिनांक 4-9-2013 के अनुक्रम में पात्रतानुसार अंतरित राहत दी जा रही है.

श्री शैलेन्द्र पटेल- अध्यक्ष महोदय, मैने शालेय शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न किया था, जिसमें में प्रश्न (घ) के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं. क्योकि वेतन विसंगति है, वेतन में अभी भी अंतर है. जिन अध्यापकों का संविलियन किया गया है और शासन का जो नियम है कि समान कार्य और समान वेतन वह फालो नहीं हो पा रहा है, और उसमें कहा गया है कि उसी नीति के अनुरूप उनको वेतन मिल रहा है जो कि गलत है.

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा (श्री दीपक जोशी)- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बताई है उसमें हमारे पास दो वर्ग होते हैं, एक अध्यापक और दूसरा संविदा शाला शिक्षक. इनको जब हम तीन साल के कार्य के उपरान्त अध्यापक संवर्ग में लेते हैं ,उन दोनों के बीच में, वित्त विभाग के एक सर्क्युलर के कारण थोड़ा सा अंतर आ गया है. हमने इस विसंगति को दूर करने के लिए वित्त विभाग को पत्र लिख दिया है.

श्री शैलेन्द्र पटेल—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो अन्तर आया है इसको कब तक दूर किया जायेगा और जो विसंगति आई है उसको कब तक दूर किया जाएगा.

श्री दीपक जोशी- अध्यक्ष महोदय, हमने वित्त विभाग को लिख दिया है. उसके निर्देश आते ही कर दिया जाएगा.

श्री मुरलीधर पाटीदार- अध्यक्ष महोदय, मेरे विनम्र निवेदन है कि जो 31 मार्च को अध्यापक बनता है तो 31 मार्च और 1- अप्रैल वालों को एक जैसा वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अध्यक्ष महोदय,चक्कर लगा लगा कर हमारे तलवे घिस गए. अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि 31 मार्च के पहले वाले और 1- अप्रैल के बाद वालों को एक जैसा वेतन मिलेगा कि नहीं. माननीय शिवराज सिहं जी ने हर साल एक करोड़ का बजट देने का आश्वासन दिया है.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी ने उत्तर दिया है, आपने ध्यान से सुना नहीं.

श्री शैलेन्द्र पटेल—अध्यक्ष महोदय, पूरी बात नहीं हुई है. उसका कब तक हो जाएगा.

अध्यक्ष महोदय—हो गई बात अब.

श्री मुरलीधर पाटीदार—अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मंत्री जी जवाब दे दें.

अध्यक्ष महोदय—आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लें.

श्री मुरलीधर पाटीदार—अध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन है कि 1- अप्रैल और 31 मार्च के आगे और पीछे वाले अध्यापकों को एक जैसा वेतन देंगे कि नहीं?

अध्यक्ष महोदय—उसमें साफ लिखा है. 31.3.2013 तक के पूर्व से कार्यरत अध्यापकों का वेतन नियमन तथा दिनांक 1-4-2013 के उपरान्त....साफ लिखा है आप प्रश्न पढ़ते नहीं हैं.

श्री मुरलीधार पाटीदार—अध्यक्ष जी, 31 मार्च के पहले और 1- अप्रैल के बाद वालों को एक जैसा नियम लागु होगा कि नहीं ?

श्री शैलेन्द्र पटेल- अध्यक्ष महोदय, अभी एक जैसा वेतन नहीं मिल रहा है.

अध्यक्ष महोदय—आप लोग कृपा करके बैठ जाईए.

प्रश्न संख्या 3 (अनुपस्थित)

स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही

4. (*क्र. 2021) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में किस-किस स्थान पर सिविल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? प्रश्नतिथि तक किस-किस स्थान पर कार्यरत हैं? किस-किस स्थान पर कब से बंद हैं? (ख) प्रश्नांश ''क'' उल्लेखित स्वास्थ्य केन्द्रों में किस-किस पदनाम के पद स्वीकृत हैं, कितने पद कब से रिक्त हैं? सिविल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य केन्द्रवार/पदवार दें? (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' में वर्णित अस्पतालों में पदों को भरे जाने की क्या कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सिवनी/राज्य शासन द्वारा किन आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों से कब-कब की गई? बिन्दुवार विवरण दें? (घ) प्रश्नांश ''क'' में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में किस-किस प्रकार की दवाओं हेतु कितनी-कितनी राशि 1 जनवरी, 2011 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत हुई? कौन-कौन सी दवाएं स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों के लिये प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों कारण दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है. (ख) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है. (ग) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है. (घ) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है.

श्री दिनेश राय - अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं. दवाईयों की मैने जानकारी मांगी थी कि कौन कौन सी दवाईयां प्रदान की जा रही हैं, उनके नाम बताएं और कौन सी दवाई हमारे यहां अस्पताल में नहीं हैं उनको कृपया बताईये और डॉक्टर कहां कहां नहीं है उनकी लिस्ट तो दी गई है लेकिन उन अस्पतालों को अभी भी चलाया जा रहा है,. उनमें कब तक भर्ती की जाएगी? उसका जवाब दे दें.

अध्यक्ष महोदय—नहीं, बस इसके बाद नहीं आपको पूछने देंगे.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने डाक्टरों की कमी की ओर इंगित किया है. यह सच है कि डाक्टर्स की कमी है. हमने एक साल में 16 डाक्टर्स सिवनी जिले में पदस्थ किए हैं. 12 स्टाफ नर्सें पदस्थ की हैं. कुछ स्थानों पर डाक्टरों की कमी है. पीएससी ने विज्ञप्ति निकाल दी है, 1271 डाक्टर्स जैसे ही भरेंगे, हम सम्मानित के अस्पताल को प्राथमिकता देंगे.

श्री दिनेश राय—अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है.

अध्यक्ष महोदय—नहीं आप बाद में आए थे, इसके बाद भी आपको समय दिया.

श्री दिनेश राय—बाद में नहीं मैं शुरू से खड़ा हूं. आप उनकी सुन रहे हैं, मेरी नहीं सुन रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए.

अध्यक्ष महोदय—मैंने 3-4 बार आपका नाम पुकारा. आप बैठ जाएं.

श्री दिनेश राय—मेरे दस प्रश्नों के बाद इसमें बोलने का मौका आया है, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे हैं, दवाईयों में घोटाला हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय—आपको बोलने दिया, आपको प्रश्न करने नहीं दिया जा रहा है.

श्री दिनेश राय—(xxx)

श्री रजनीश सिंह—(xxx)

अध्यक्ष महोदय—अब श्री तुकोजीराव पवार का ही प्रश्न आएगा, जो माननीय अन्य सदस्य बोल रहे हैं उनका रिकार्ड में नहीं आएगा.

श्री दिनेश राय—(xxx)

श्री रजनीश सिंह—(xxx)

अध्यक्ष महोदय—उनको पर्याप्त मौका दिया है. पवार जी आप अपना प्रश्न पूछें.

(xxx)—आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री रजनीश सिंह—अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी को बोलने का मौका दिया, हम आपका संरक्षण चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय—हमने पर्याप्त मौका दिया है.

श्री दिनेश राय—(xxx)

अध्यक्ष महोदय—आप अच्छे सदस्य हैं, आपका प्रश्न आ गया, उसका उत्तर भी आ गया. सारी जानकारी परिशिष्टों में है. आप कृपया उन्हें पढ़ लें.

प्रश्नसंख्या(5)--

ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य बाबत्

5. (*क्र. 2481) श्री तुकोजी राव पवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास शहर के शासकीय अस्पताल एम. जी. हॉस्पिटल के परिसर में 3 करोड़ की लागत का ट्रामा सेंटर बनाया जा रहा है? क्या इसका निर्माण कार्य 2012 में प्रारंभ हुआ था और 16 महीनों में यह बनकर तैयार हो जाना था एवं 18 माह में इसको निर्माणाधीन ऐजेन्सी लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल विभाग को हेण्डओवर कर देना था? (ख) क्या इस सेंटर के निर्माण कार्य की राशि प्राप्त नहीं हुई है? स्वास्थ्य विभाग से इसलिए 2012-13 से इसका कार्य रुक गया है? जिस कारण 2013-14 में लगभग 1350 दुर्घटनाओं में 1510 लोग घायल हुई एवं 251 लोगों की मृत्यु हुई? ट्रामा सेंटर चालू नहीं होने के कारण बतावें? (ग) क्या शासन अपने मद से शेष राशि इस वित्तीय वर्ष में देगा जिससे इस भवन एवं उपकरणों को पूरा कर आम जनता की सुविधा के लिए प्रारंभ किया जा सके? (घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं एवं आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं या अन्य कारण से यह सुविधा नहीं मिलती तो क्या शासन जवाबदार रहेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) जी हां. (ख) जी नहीं, जी नहीं कार्य प्रगति पर है. जी नहीं, दुर्घटना होने पर जिला चिकित्सालय में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था है एवं समस्त विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं, सभी घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार किया गया, चिकित्सा के अभाव में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई. देवास पुलिस अधीक्षक की जानकारी अनुसार दिनांक 1-4-2013 से 31-3-14 तक जिले में 1234 दुर्घटनाएं हुई है, इससे 1333 लोग घायल हुए है एवं 195 लोगों की मृत्यु हुई है. ट्रामा सेन्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण चालू नहीं हुआ है. (ग) जी हां. (घ) प्रश्नांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री तुकोजी राव पवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस ट्रामा सेन्टर में जो शेष राशि रह गई है जो 2 करोड़, 75 लाख, 10 हजार है, क्या इस वित्तीय वर्ष में इस राशि को आप पी.डब्लू.डी. को आवंटित कर देंगे, ताकि यह कार्य पूर्ण हो जाए. पी.डब्लू.डी. का कहना है कि वह यह काम 3 माह में पूर्ण कर देंगे, अगर आप यह राशि उपलब्ध करा देंगे.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य का कहना है, हम तत्काल वह राशि उपलब्ध करा देंगे और काम को चालू करा देंगे.

श्री तुकोजी राव पवार—धन्यवाद.

(xxx)—आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, इस पर आप अनुमति दे दें तो एक पूरक प्रश्न पूछना है.

अध्यक्ष महोदय—नहीं. बहुत लेट हो गए हैं, सिर्फ देवास का प्रश्न है.

प्रश्न संख्या (6)—

सीधी जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

6. (*क्र. 2744) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले में विषयवार कितने शिक्षकों की कमी हैं? कुल रिक्त संख्या एवं कब तक रिक्त पद भरे जावेंगे? (ख) क्या प्रश्नांश ''क'' स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य एवं अतिथि शिक्षकों द्वारा ही शिक्षण कार्य कराया जाता रहेगा या स्थायी प्राचार्य एवं शिक्षक पदस्थ किये जायेंगे? यदि हां, तो कब? नहीं तो क्यों? (ग) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन शाखा से सीधी जिले हेतु विगत तीन वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई हैं? राशि का उपयोग कहां-कहां किया गया एवं वित्तीय वर्ष के अंत में कितनी राशि सरेण्डर की गई हैं? (घ) प्रश्नांश ''ग'' आवंटित राशि से क्रय, उपकरण, निर्मित भवन एवं व्यय संबंधी जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' पर है. पदपूर्ति की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) जी नहीं. स्थाई प्राचार्य हाईस्कूल एवं उ.मा.वि. के रिक्त पदों की पूर्ति विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाकर पात्र लोक सेवकों की पदस्थापना से शीघ्र की जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है. पद पूर्ति की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' पर है. आवर्ती मद की राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर लेप्स हो जाती है तथा अनावर्ती मद की राशि अगले वर्ष के लिये स्पिल ओवर हो जाती है. केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राशि सरेंडर नहीं होती है. (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' पर है. भवन निर्माण पर व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''तीन'' पर है.

श्री कमलेश्वर पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा जो जानकारी आई है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं. इसमें जो भी जवाब आया, वह ऐसा आया है कि अभी कार्यवाही की जाएगी, समय सुनिश्चित नहीं है. मेरा प्रश्न है कि स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है, वह कब तक पूरी कर ली जाएगी, उसकी समय सीमा बता दें कि इसी सत्र में पूरा कर लेंगे कि अगले सत्र में पूरा करेंगे? दूसरा जो प्रभारी प्राचार्यों से काम चलाया जा रहा है, इसकी डी.पी.सी.कब तक विभाग द्वारा कर ली जाएगी और कब तक पूरा कर लिया जाएगा. तीसरा जो आवर्ती मद की राशि वित्तीय वर्ष की लैप्स हो जाती है या हो गई तो उसके लिए कौन दोषी है, शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा जाता है, उसका भी सही समय पर सदुपयोग न हो, लैप्स हो जाए तो ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा (श्री दीपक जोशी)—अध्यक्ष महोदय, हम लगभग 39 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है और दिसंबर तक हम इन पदों को भर लेंगे. हाई स्कूल प्राचार्यों के 72 पद हैं, जिनकी विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया प्रचलन में है और शीघ्रतिशीघ्र भरने जा रहे हैं. हायर सेकंडरी प्राचार्यों के लिए हमने पीएससी को लिख दिया है, जैसे परीक्षा होगी, वैसे ही हम इन पदों को भर देंगे. आवर्ती मद में जो

इन्होंने बात कही है कि राशि लैप्स हुई है, यह राशि वेतन और भत्तों की है, 19 करोड़ रूपए हमको तीन साल में मिले हैं, मात्र 14 लाख रूपए इसमें लैप्स हुए हैं, यह बहुत कम राशि है और यह वेतन भत्तों की राशि है, जो स्थायी कामों के लिए राशि मिलती है, वह हमने शत प्रतिशत काम में ली है.

श्री कमलेश्वर पटेल—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह दिसंबर तक पूर्ति करेंगे और पहले करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. मैं आपके माध्यम से प्रदेश के छात्रों की जो पीड़ा है..

अध्यक्ष महोदय—आप पीड़ा मत बताईये. आप तो अपने यहां के काम की बात करिए.

श्री कमलेश्वर पटेल—अध्यक्ष महोदय, सम्पन्न लोग तो अपने बच्चो को प्रायवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी शिक्षकगण प्रतिनियुक्ति पर हैं उनकी सेवाएं विभाग में वापस कब तक ले लेंगे क्योंकि शिक्षण कार्य प्रभावित होता है दूसरा प्रभारी प्राचार्यों की भी समय-सीमा सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि स्थायी प्राचार्य कब तक देंगे क्योंकि इसमें विभागीय डीपीसी होनी है, इसकी भी समय-सीमा सुनिश्चित कर दें.

श्री दीपक जोशी—अध्यक्ष महोदय, पद रिक्त जरुर हैं लेकिन अतिथि शिक्षकों के माध्यम से हम खाली स्थान को कम से कम पूरा करते हैं और जो इन्होंने प्राचार्यों के लिए बताया है,उसमें दो बाते हैं, हाईस्कूल के प्राचार्य हम अपनी विभागीय पदोन्नति के द्वारा करते हैं, वह प्रचलन में है, शीघ्रातिशीघ्र हो जाएगा और पीएससी से जैसे ही हमें समय मिलेगा वैसे ही हम हायर सेकेण्ड्री स्कूल के प्राचार्यों की भी पूर्ति कर देंगे.

श्री कमलेश्वर पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों के भविष्य का मामला है,इसमें समयसीमा बता दें.

अध्यक्ष महोदय—शीघ्रातिशीघ्र. वह कह रहे हैं, निरन्तर प्रक्रिया हैं.

स्कूल भवनों का निर्माण

7. (*क्र. 2640) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में वर्ष 2013-14 में कितने स्कूल भवन स्वीकृत हुए हैं? इस हेतु कितनी-कितनी राशि इस मद में स्वीकृत हुई ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांकित में से कितने स्कूल भवन निर्माणाधीन है? कहां-कहां पूर्ण हो गये तथा कहां-कहां अपूर्ण है? अपूर्णता के क्या कारण है? (ग) प्रश्नांकित स्कूल भवनों को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा? तथा वर्ष 2014-15 में विभाग ने हरदा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कहां-कहां स्कूल भवनों के निर्माण का प्रावधान किया है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) हरदा जिले में वर्ष 2013-014 में कोई भी प्राथमिक/माध्यमिक एवं हाई/हायर सेकेण्डरी शाला भवनों की स्वीकृति नहीं हुई है. स्वीकृति न होने पर शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता. (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार. (ग) प्रश्नांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता. शेषांश सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2014-15 की वार्षिक कार्य योजना में हरदा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सूची †संलग्न परिशिष्ट अनुसार शालायें प्रस्तावित किया गया था परन्तु वार्षिक कार्य योजना में उक्त शाला भवनों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका. वर्ष 2014-15 में हरदा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हाई/हायर सेकेण्डरी शाला भवन का प्रावधान नहीं किया गया है.

डॉ.रामकिशोर दोगने—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 2014-15 में हरदा में हायर सेकेण्ड्री स्कूल, हाई स्कूल के लिए भवन क्यों नहीं लिये गये? दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के जो प्रस्तावित भवन दिये गये हैं वे कब तक कम्पलीट कर दिये जाएंगे और इसके अलावा जो भवन आपके 4-5 साल से निर्माणाधीन हैं वे कब तक कम्पलीट होंगे क् और हम समझते हैं कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है कि शिक्षा रुपी चाबी हर क्षेत्र में लगती है तो शिक्षा पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है. केन्द्रीय विद्यालय हरदा में दिया हुआ है, सात साल से आज तक जमीन अलॉट नहीं हो पा रही है.

अध्यक्ष महोदय—आपका स्पेसीफिक प्रश्न क्या है? आपके प्रश्न में तो 2013-14 का है उसमें लिखा है कि कोई नहीं हुआ.

डॉ. रामकिशोर दोगने—अध्यक्ष महोदय,2013-14 में हायर सेकेण्ड्री और हाईस्कूल हरदा में प्रस्तावित नहीं किये गये,यह मंत्री जी का जवाब आया है तो प्रस्तावित क्यों नहीं किया गया,यह मेरा प्रश्न है. दूसरा प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं कब तक कम्पलीट होंगी, जो प्रस्तावित की है. शिक्षा के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं इसलिए मैं केन्द्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ कि माडल स्कूल और केन्द्रीय विद्यालय के बारे में भी यदि मंत्री जी थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जमीन कलेक्टर नहीं दे रहे हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है. जमीन का जो(XXX) चल रहा है उसको सुलझाना पड़ेगा.

अध्यक्ष महोदय—यह शब्द **विलोपित** कर दें. आप स्पेसीफिक प्रश्न पूछिये.

श्री दीपक जोशी—अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में वार्षिक कार्य योजना में हरदा विधानसभा के अंतर्गत 20 प्राथमिक शालाएं और दो माध्यमिक शालाओं के लिए मांग की थी परन्तु वार्षिक कार्य योजना में उक्त शाला भवनों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण यह स्वीकृत नहीं हो पाये. अब जो बजट आयेगा, शायद उसमें ये आ जाएंगे तो यह इनका काम हो जाएगा. दूसरा इन्होंने हरदा में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल का पूछा

(XXX) आदेशानुसार विलोपित.

था, चूंकि इसका एक निश्चित प्रावधान होता है, उस प्रावधान में यहां को कोई विद्यालय फिट नहीं बैठा होगा, इसलिए हमने इसको नहीं भेजा है. अभी इनके एक मॉडल स्कूल की जरुर बात हुई थी, मॉडल स्कूल के लिए चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा पैसा आता है और अलग अलग विद्यालयों के लिए अलग अलग बजट आता है, हरदा के लिए हमने बजट मांगा है, अगले वित्त वर्ष में यह बजट हमको प्राप्त हो जाएगा, हरदा में मॉडल स्कूल बनवा लेंगे.

अध्यक्ष महोदय—केन्द्रीय विद्यालय की जगह नहीं मिल रही ?

डॉ. रामकिशोर दोगने—माननीय अध्यक्ष महोदय, मॉडल स्कूल बन रहा है, छत नहीं डली, 4 साल से दीवाल उठी हुई पड़ी हुई है.चौकड़ी में माडल स्कूल का भवन 4 साल से निर्माणाधीन है. बजट पहले आ चुका है.य

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी , आप उसका परीक्षण करा लें.

श्री दीपक जोशी-- अध्यक्ष महोदय, जो पुनरीक्षित बजट है वह नहीं आ पाया है क्योंकि वह केन्द्र सरकार से मिलता है जो अधिकतर राशि चाहिए, वह राशि नहीं मिल पा रही है उस राशि को हम लेने जा रहे हैं, जैसे ही राशि मिल जाएगी ,उसको पूर्ण करवा लेंगे.

डॉ. रामकिशोर दोगने-- केन्द्रीय विद्यालय के बारे में मुझे और बता दें.

श्री दीपक जोशी—केन्द्रीय विद्यालय का उल्लेख इस प्रश्न में कहीं था नहीं.

अध्यक्ष महोदय-- ठीक है, आप दिखवा लीजिए.

शासकीय चिकित्सक को अशासकीय सोनोग्राफी/अल्ट्रासाण्डड मशीनों के संचालन हेतु रजिस्ट्रेशन बावत्

8. (*क्र. 2386) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय, छतरपुर में सोनोग्राफी//अल्ट्रासाण्डड मशीनें उपलब्ध होते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 से प्रश्न दिनांक की अवधि के मध्य शास. चिकित्सक के नाम अशासकीय सोनोग्राफई सेन्टर पर सोनोग्राफी//अल्ट्रासाण्डड मशीन के संचालन करने का रजिस्ट्रेशन किया गया है? हां, तो तत्संबंधी शासन नियमों/निर्देशों की एवं रजिस्ट्रेशन की जानकारी उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्रेशन जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी का नाम/पदनाम बताऐं? साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि उक्त रजिस्ट्रेशन शासन नियमों के अनुकूल है या प्रतिकूल? (ख) क्या यह सही है कि एक शासकीय चिकित्सक द्वारा शासकीय/अशासकीय दोहरे कर्त्तव्य निर्वहन से जिला चिकित्सालय की सोनोग्राफी सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है? हां, तो उक्त अशासकीय सेन्टर के रजिस्ट्रेशन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक जिला चिकित्सालय व अशासकीय सेन्टर में कितने-कितने मरीजों की सोनोग्राफी एवं सी.टी. स्केन की गयी? माहवार मरीजों की संख्या दर्शाते हुए पृथक्-पृथक् विवरण प्रस्तुत करें? (ग) क्या उक्त सूची में अंकित जिला चिकित्सालय के मरीजों की संख्या अशासकीय सेन्टर से कम होने पर उक्त चिकित्सक के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? हां, तो आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करें, यदि नहीं की गई, तो क्यों? कारण बताएं? (घ) शासन, व्यापक लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की कार्यवाही करेगा? हां, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) जी हां. गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 व उसके नियम 1966 के अंतर्गत पंजीकरण किया गया था. उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी तत्कालीन कलेक्टर, जिला छतरपुर श्री राहुल जैन है. उक्त सोनोग्राफी मशीन का पंजीकरण उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुकूल है, परन्तु शासन आदेश क्र. 25/971/वे.आ.प्र./98, दिनांक 11/13-1-2013 के अनुसार कोई भी शासकीय चिकित्सा अधिकारी किसी नर्सिंग होम/क्लिनिक पर प्रेक्टिस नहीं कर सकता, केवल अपने निवास पर परामर्श दे सकता है तथा आदेश क्र. 1983, दिनांक 7 अगस्त 2013 के अनुसार अपने निवास पर भी सोनोग्राफी मशीन का संचालन नहीं कर सकता, अत: किसी क्लिनिक में किसी शासकीय चिकित्सक द्वारा सोनोग्राफी मशीनों का संचालन किया जाना शासकीय नियमों के प्रतिकूल है. (ख) जी हां. यदि चिकित्सक द्वारा अपना कर्तव्य शासकीय चिकित्सालय में निष्ठापूर्वक संपन्न नहीं किया जाता है तथा निजी तौर पर सोनोग्राफी न करने के शासकीय नियम का पालन न करते हुए निजी क्लिनिक स्थापित कर सोनोग्राफी की जाती है तो उससे जिला चिकित्सालय की सोनोग्राफी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. उक्त अशासकीय सेन्टर के रजिस्ट्रेशन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक जिला चिकित्सालय में व अशासकीय सेन्टर में मरीजों की सोनोग्राफी की माहवार जानकारी ††संलग्न प्रपत्र ''एक'' पर है. जिला अस्पताल में की गई सीटी स्केन जांचें की संख्या की जानकारी ††संलग्न प्रपत्र ''दो'' पर है. (ग) जी नहीं. संबंधित चिकित्सक द्वारा शासकीय चिकित्सक होते हुए निजी सोनोग्राफी सेन्टर पर मशीन संचालन करने के कारण जिला कलेक्टर द्वारा नोटिस देने के पश्चात् उसका पंजीयन 25-4-2014 को निरस्त किया गया एवं 28-4-2014 को यू.एस.जी. सेन्टर सील किया गया. संबंधित चिकित्सक के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से सोनोग्राफी सेन्टर चलाने तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है. (घ) लोकहित को ध्यान में रखते हुए उक्त सोनोग्राफी के रजिस्ट्रेशन को प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर अनुसार निरस्त करने की कार्यवाही की गई थी, परन्तु संबंधित चिकित्सक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत याचिका क्र. 1918/2013 में पारित आदेश के तारतम्य में समुचित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 3-6-2014 उक्त सेन्टर का रजिस्ट्रेशन बहाल किया गया हैं, परन्तु संबंधित चिकित्सक आज दिनांक तक न तो अपने घर में उपलब्ध है न ही सोनोग्राफी सेन्टर में.

श्री मानवेन्द्र सिंह--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिला चिकित्सालय छतरपुर में पदस्थ शासकीय चिकित्सक द्वारा सोनोग्राफी मशीन का संचालन किया जा रहा है उसमें काफी गरीब लोगों को उससे बड़ी दिक्कत है और शासकीय सेवा में रहते हुए क्या यह नियम है कि वह प्राइवेट संस्था चलाये?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- ऐसा कोई नियम नहीं है कि वह प्राइवेट संस्था चलाये सम्मानित सदस्य का जो कहना है वह सही है कि सोनोग्राफी मशीन वह घर पर चला रहे थे और कलेक्टर ने इस कारण से उनका पंजीयन रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया था और उनके यूजीसी सेंटर को सील कर दिया था लेकिन ग्वालियर उच्च न्यायालय के द्वारा एक याचिका इन्होंने प्रस्तुत की , याचिका क्रमांक 1918, वर्ष 2013 ,उस तारतम्य में जो आदेश दिया उसके कारण से वह बहाल हुआ था.

श्री मानवेन्द्र सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर ने प्राधिकारी द्वारा दिनाँक 3.6.104 को रजिस्ट्रेशन बहाल किया . मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय उच्च न्यायालय ने मशीन का रजिस्ट्रेशन बहाल कर संबंधित चिकित्सक को शासकीय सेवा रहते हुए कार्य करने की अनुमति दी है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- जी नहीं.

श्री मानवेन्द्र सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि अनुमति नहीं दी है तो उस अधिकारी के खिलाफ निलंबन या उसको बर्खास्त करने की कार्यवाही करेंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—वहाँ से हटाने की कार्यवाही करेंगे.

कर्मचारियों के भविष्य निधि की कटौत्री

9. (*क्र. 1383) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं मिस्लेनियस Provision Act, 1952 के अनुसार सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की EPF/GPF अन्य राशि की नियमानुसार कटौती कर संबंधित कार्यालयों में जमा कराना आवश्यक है? (ख) यदि हां, तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध चिकित्सालय में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी हैं, जिनके वेतन से नियमानुसार कौन-कौनसी राशि कटौती नहीं की जा रही है? एवं क्यों? (ग) क्या यह भी सत्य है कि चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा गंभीर अनियमिततायें कर नियमानुसार वेतन से राशि की कटौती नहीं करने से शासन को लाखों रुपयों की आर्थिक क्षति पहुंचायी जा रही है? (घ) क्या शासन/विभाग उपरोक्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी को तत्काल निलंबित कर प्रकरण की पारदर्शी जांच करवायेगा, यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) जी हां. (ख) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल एवं संबद्ध सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, भोपाल में स्वशासी संस्था में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन से ई.पी.एफ. की नियमानुसार कटौती की जाती है. संबद्ध हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल में स्वशासी के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से ई.पी.एफ. की कटौती नहीं की जा रही है, क्योंकि अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने की कार्यवाही संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा में प्रचलित है. (ग) एवं (घ) जी नहीं. प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री चम्पालाल देवड़ा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न हमीदिया चिकित्सालय के स्वशासी कर्मचारियों और अधिकारियों की ईपीएफ और जीपीएफ की कटौती क्यों नहीं की जा रही है और इसी तरह से अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1036 में पृष्ठ क्रमांक 48 पर भी इसी संदर्भ में माननीय सदस्या श्रीमती ऊषा चौधरी ने भी यह प्रश्न पूछा था तो मंत्री जी जवाब में बताया कि माह नवंबर 2008 से अगस्त 2011 तक यह राशि काटी गई. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हमीदिया अस्पताल, सुल्तानिया अस्पताल और गांधी चिकित्सालय के नियम अलग-अलग बनाये गये हैं ?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--- जी नहीं.

श्री चम्पालाल देवड़ा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन द्वारा यह बताया गया है कि इस योजना में संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा द्वारा कार्यवाही प्रचलित है परन्तु यह कार्यवाही दो सालों से चल रही है इसके चलते हुए सुल्तानिया और गांधी महाविद्यालय के स्वशासी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कटौती क्यों नहीं की जा रही . हमीदिया के कर्मचारियों की कटौती कब की जाएगी यह घोषणा मंत्री जी सदन में कर देंगे क्या?

डॉ. नरोत्तम--- माननीय अध्यक्ष महोदय, 1.9.2014 तक कर देंगे.

श्री चम्पालाल देवड़ा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है. मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब वर्ष 2008 से अगस्त 2011 तक की जो राशि काटी गई है वह राशि कितनी है और वह किसके खाते में जमा है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है मैं सदस्य को जानकारी लेकर उपलब्ध करा दूंगा.

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में जारी परिपत्रों में संशोधन बावत्

10. (*क्र. 2564) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में जारी किये परिपत्रों दिनांक 18-8-2008 एवं 13-1-2011 में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के नियमों में संशोधन पश्चात् अनुकम्पा नियुक्तियां की हैं? यदि हां, तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रों में परिवर्तन के अधिकार लोक शिक्षण संचालनालय को है? (ख) क्या यह भी सत्य है कि दिसम्बर, 2013 में जिला शिक्षा अधिकारी दमोह को लोक शिक्षण संचालनालय, म. प्र., भोपाल द्वारा निर्देश दिये गये है कि संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु हायर सेकेण्ड्री में 50% अंक डी.एड. प्रशिक्षण अनिवार्य है? यदि हां, तो यह निर्देश संचालनालय द्वारा किस आधार पर दिये गये हैं? आदेश क्र. व दिनांक बतावें? (ग) हा. से. में 50% अंक एवं डी.एड. प्रशिक्षण पश्चात् संविदा शिक्षक वर्ग-3 की नियुक्तियां किन-किन जिलों में हुई? और किन-किन जिलों ने नहीं की? टीकमगढ़ जिले के लंबित प्रकरणों को क्यों नहीं निपटाया गया? तथा गलत आदेश जारी करने वालों के साथ क्या कार्यवाही की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) जी हां. अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (भारत सरकार का अधिनियम) 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के असाधारण राजपत्र दिनांक 27-6-2011 के आधार पर जारी किए गए है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ग) जिला टीकमगढ़/बुरहानपुर/बालाघाट/नरसिंहपुर में अनुकंपा नियुक्तियां की गई. शेष अन्य जिलों में नियुक्तियां नहीं की गई. जिला टीकमगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्रता नहीं होने के संबंध में आवेदकों को सूचित कर प्रकरणों को निराकृत किया गया है. गलत आदेश जारी नहीं किया गया. अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इस प्रकार है कि क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में..

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्या एक मिनट मेरी बात सुन लें आपको यह प्रश्न पढ़ना नहीं है ,इस प्रश्न का उत्तर तो यहाँ नीचे आ गया है इस उत्तर पर आपको कुछ पूरक प्रश्न पूछना हो तो आप वह पूछिये.

श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर-- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह प्रस्ताव कब तक लागू रखेंगे. जो उत्तर इसमें आया है मैं उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं.

अध्यक्ष महोदय-- आपका प्रश्न स्पष्ट करें.

श्री पारसचन्द्र जैन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न तो स्पष्ट करें.

अध्यक्ष महोदय-- आप प्रश्न स्पष्ट करें. नई सदस्य हैं.

श्री मुरलीधर पाटीदार-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनका स्पष्ट प्रश्न करना चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्या, आपका प्रश्न इनसे स्पष्ट करा लें कि आप खुद पूछेंगी.

श्रीमती चन्दा गौर-- बता दें.

श्री मुरलीधर पाटीदर-- अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि....

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, अनुमति देने से गलत परंपरा पड़ जाएगी.

श्री मुरलीधर पाटीदर-- अध्यक्ष महोदय, अध्यापक के पद पर जो अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है उसमें मिनिमम अर्हता में छूट मिलेगी कि नहीं, बीएड, डीएड, की ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी है, क्या चपरासी के पद पर अनुकंपा देंगे?

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाएँ, भाषण न दें.

श्रीमती चंदा गौर-- अध्यक्ष महोदय, दो मिनट..

अध्यक्ष महोदय-- आपका प्रश्न यही था क्या, आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा. आप पूछ लीजिए. आपका ही अधिकार है पूछने का.

श्रीमती चंदा गौर-- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इस प्रकार है, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ. मुझे जो विभाग द्वारा कॉपी दी गई है, वह अपठनीय है और असत्य है, मेरे कहने का आशय यह है कि जिस व्यक्ति के परिवार में मौत हो जाती है ऐसी विषम और जटिल परिस्थिति में आवेदक परिवार की.....

अध्यक्ष महोदय-- बैठ जाइये, आपका प्रश्न अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में है.

श्री पारसचन्द्र जैन-- अध्यक्ष महोदय, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आरटीई के तहत बीएड और डीएड की शर्त लागू होने से अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है. आरटीई एक्ट में संशोधन के लिए हमने भारत सरकार की मंत्री जी से भी बातचीत की है. यदि इसमें रिलेक्सेशन दे देते हैं तो जो बीएड कर लेंगे तो उनको भी हम अनुकंपा, लेकिन उसमें तीन साल में एक्ट के तहत उनको बीएड और डीएड करना कंपलसरी है.

हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है यदि वहाँ से आ जाएगा तो अनुकंपा नियुक्ति वाले, हम भी चाहते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति हो, जो इनकी मंशा है, वह हमारी भी मंशा है.

प्रश्न संख्या-- 11 (अनुपस्थित)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया के अधीन उप-स्थास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था

12. (*क्र. 2716) श्री विष्णु खत्री : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया के अधीन कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र आते हैं? केन्द्रवार, पदस्थ/स्टॉफ का नाम एवं पदनाम बताएं? (ख) ऐसे कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां शासकीय भवन नहीं है, क्या विभाग इस वित्त वर्ष में इन केन्द्रों के लिए भवनों की व्यवस्था करेगा? यदि हां, तो कितनी धनराशि का प्रावधान इस हेतु विभाग द्वारा किया गया है? (ग) ऐसे कितने केन्द्र है जहां स्टॉफ अपने मुख्यालय पर नहीं रहता है, उस स्थिति में आकस्मिक चिकित्सा की क्या व्यवस्थाएं है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया जिला भोपाल के अधीन 28 उपस्थास्थ्य केन्द्र संचालित है. शेष प्रश्नांश की जानकारी †संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) 4 उपस्थास्थ्य केन्द्रों के शासकीय भवन नहीं है. जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थ स्टॉक अपने मुख्यालय पर निवास करता है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री विष्णु खत्री-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने (ख) में कहा है कि 4 उपस्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहाँ शासकीय भवन नहीं हैं, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वे कौन कौन से स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहाँ पर शासकीय भवन नहीं हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में उप स्वास्थ्य केन्द्र कढ़ैय्या शाह, उप स्वास्थ्य केन्द्र बवचिया, उप स्वास्थ्य केन्द्र कोटरा चौपड़ा, उप स्वास्थ्य केन्द्र सेमरा कला.

श्री विष्णु खत्री-- अध्यक्ष महोदय, 4 स्थान मंत्री जी ने बताए हैं और जैसा कि विभाग का मापदंड है कि पाँच हजार की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए तो ऐसा करके यह बीस हजार की आबादी स्वास्थ्य केन्द्र विहीन है तो मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि क्या, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि इस धनराशि का प्रावधान विभाग द्वारा नहीं किया गया है. माननीय मंत्री जी, क्या आश्वस्त करेंगे कि विभाग इन चार उपस्वास्थ्य केन्द्रों का शीघ्र निर्माण कराएगा.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य का यह कहना कि बीस हजार की आबादी पर उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, उपस्वास्थ्य केन्द्र है, उपस्वास्थ्य केन्द्र का भवन नहीं है और दूसरा प्रश्न

माननीय सदस्य का था कि इसकी राशि आवंटित कराएँगे क्या, निश्चित रूप से हम आपकी इन चारों भवनों की राशि आवंटित कराएँगे.

श्री विष्णु खत्री-- मंत्री जी, धन्यवाद और इसके अलावा...

अध्यक्ष महोदय-- बस हो गया, दूसरे सदस्यों को पूछने दीजिए, आपकी राशि स्वीकृत करने का उन्होंने बोल दिया.

श्री विष्णु खत्री-- अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 12 स्थान और ऐसे हैं उपस्वास्थ्य केन्द्रों के लिए होने चाहिए जो आबादी के अनुपात में आते हैं.

अध्यक्ष महोदय-- आप लिखकर दे दीजिए.

निःशुल्क औषधि वितरण की जानकारी

13. (*क्र. 2462) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल संभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना संचालित है? यदि हां, तो उसका दिनांक एवं वर्ष बतायें? वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में उक्त योजना में कितने रुपये मूल्य की निःशुल्क औषधि का वितरण प्रश्न दिनांक तक किया जा चुका है? (ख) क्या उक्त योजना में फार्मासिस्टों की भर्ती का प्रावधान था? यदि हां, तो किन-किन फार्मासिस्टों की भर्ती की गई नाम सहित जानकारी दें? (ग) दवाओं का वितरण किनके द्वारा किया जा रहा है? औषधि वितरणकर्ता का नाम, पद, योग्यता सहित जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्रा)-- (क)

प्रदेश के साथ–साथ शहड़ोल संभाग के जिलों में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना दिनांक 17.11.12 से संचालित की गई है। उक्त योजना में शहड़ोल संभाग के जिलों में वर्षवार निःशुल्क औषधि वितरण की राशि की जानकारी निम्नानुसार है:–

जिला	निःशुल्क औषधि वितरण की राशि (रू. लाख में)	
	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
शहडोल	285.20	459.29
अनुपपूर	173.22	258.48
उमरिया	131.97	439.36

(ख) जी हां. जिला शहडोल में फार्मासिस्ट की भर्ती चुनाव आचार संहिता के कारण नहीं की जा सकी. वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है. अनूपपुर एवं उमरिया में नियुक्त फार्मासिस्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है. (ग) जिला शहडोल में दवा वितरण का कार्य उपलब्ध स्टाफ से कराया जा रहा है. सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब-1'' पर है. जिला उमरिया में नियुक्त फार्मासिस्टों से ही दवा वितरण का कार्य कराया जा रहा है. सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब-2'' पर है. जिला अनूपपुर में 20 फार्मासिस्टों की भर्ती की गई थी, उनके द्वारा एवं शेष केन्द्रों पर उपलब्ध स्टांफ से दवा वितरण का कार्य कराया जा रहा है. सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब-3'' पर है.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण की योजना बहुत कल्याणकारी है. पीड़ित मानवता की सेवा मुख्य उद्देश्य है. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना में कितने प्रकार की दवाइयों को शामिल किया गया है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दवाइयों की संख्या है. जिला स्थान पर अलग है, तहसील स्थान पर अलग है और उसकी सूची भी हमने माननीय सदस्य को दी है. मेरे पास भी है मैं अभी आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि कहां-कहां पर कितनी-कितनी दवाइयां हम दे रहे हैं.

श्री दिनेश राय—अध्यक्ष महोदय, वही सूची मैं मांग रहा हूँ यह सूची मुझे उपलब्ध करवा देते तो मैं प्रश्न क्यों करता. मुझे वह सूची दिलवा दें.

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य को यह सूची दे दें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—मैं आपको सूची दे दूंगा मेरे पास यहीं रखी हुई है. जिला स्तर पर 147 है और बाकी घटते क्रम के अनुसार है.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सब सेंटर ग्राम आरोग्य़ केन्द्रों में कौन-कौन सी और कितनी-कितनी मात्रा में दवाइयां रखने का प्रावधान है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, जिला चिकित्सालय में 147, सिविल अस्पताल में 131, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 107, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 71 व उप स्वास्थ्य केन्द्र में 24 प्रकार की औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है चूंकि यह जनकल्याण से संबंधित योजना है इसका गांव-गांव तक पहुंचना बहुत आवश्यक है. सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों

में जो दवाइयों की संख्या बताई गई है वह नहीं पहुंच पा रही हैं. मैं माननीय मंत्री महोदय से सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शहडोल संभाग पूर्णत: आदिवासी क्षेत्र है. जब यह इतनी अच्छी योजना है तो बीच-बीच में यह दवायें मिल रही हैं या नहीं इसकी जांच भी होना चाहिये इससे हमारी योजना का उद्देश्य पूर्ण हो जायेगा. यह दवाइयां वहां पर मिल नहीं रही हैं बाहर के लिये आज भी वहां पर्ची लिखी जा रही हैं मैं इसकी जांच करवाना चाहता हूँ.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने क्रम आपको बताया कहें तो एक बार फिर पढ़ दूं. यह सभी दवायें हमारे पास में उपलब्ध हैं. सम्मानित सदस्य को यह भी बताना चाहता हूँ कि हमने सारी चीजें वेबसाइट पर भी डाली हुई हैं. शिकायतों का भी वेबसाइट पर डाला हुआ है और जहां पर यह कह रहे हैं दवाई नहीं मिल रही है. वहां का वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का आंकड़ा मेरे पास है कि कितनी-कितनी दवाइयां वहां पर भेजी गई हैं. सम्मानित सदस्य चाहें तो यह आंकड़ा मैं उनको दे देता हूँ.

अध्यक्ष महोदय—दे दीजियेगा.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की जांच हो जाये कि वहां दवाइयां मिल रही हैं या नहीं.

अध्यक्ष महोदय—नहीं अब आप बैठ जाइये.

सफाई/सुरक्षा के कार्यों को ठेके पर दिया जाना

14. (*क्र. 1502) श्रीमती ललिता यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिला चिकित्सालय में कब से सफाई, रोगी कल्याण समिति के नाम पर फीस लेने एवं सुरक्षा के कार्यों के लिये ठेका दिया गया है? यह किस के निर्देश पर दिये गये और कब से बतायें? (ख) ठेके के लिये क्या समाचार-पत्रों में टेण्डरों का प्रकाशन किया गया? अगर हां, तो कब और किस-किस समाचार-पत्र में किस-किस कार्य के लिये, प्रति सहित बतायें? (ग) ठेके के लिये किस-किसने टेण्डर डाले? स्वीकृत किस आधार पर किये गये और भुगतान के लिये राशि कहां से प्राप्त हुई? क्या शासन से प्राप्त हुई, कब-कब बतायें? (घ) किस-किस ठेके के कार्य के लिये कब-कब भुगतान किया गया, किसको किया गया? विवरण दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) जिला चिकित्सालय, छतरपुर में साफ-सफाई का कार्य ठेके से, वर्ष 2006-2007 से चालू किया गया है. रोगी कल्याण समिति, जिला चिकित्सालय के नाम पर फीस लेने का कार्य वर्ष 1997-1998 से लागू की गई थी. सुरक्षा व्यवस्था का कार्य दिनांक 27-9-2012 से आरंभ किया गया. उपरोक्त कार्य शासन/रोगी कल्याण समिति की बैठक के लिये निर्णय के आधार पर किये जा रहे हैं. (ख) जी हां. साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था के कार्य के लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 में सफाई कार्य ठेके पर किये जाने हेतु आयुक्त जनसंपर्क को दिनांक 23-5-2012 को पत्र लिखा गया, जिसका विज्ञापन दैनिक भास्कर एवं शुभ-भारत समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था. वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु सफाई कार्य ठेके पर दिए जाने हेतु आयुक्त, जनसंपर्क को दिनांक 29-5-2014 को पत्र प्रेषित किया गया तथा इसकी विज्ञप्ति दैनिक भास्कर, न्यू राष्ट्र भ्रमण एवं दैनिक मंगलमय समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई. सुरक्षा व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में सुरक्षा व्यवस्था के लिये दैनिक शुभ भारत, बुन्देली मंच एवं दैनिक मंगलम समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई. विज्ञापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है. (ग) साफ-सफाई व्यवस्था हेतु वर्ष 2012-13 में—(1) श्री गिरधारी शिवहरे, बगौता, (2) श्री राकेश चौरसिया, छतरपुर, (3) श्री वली मोहम्मद, छतरपुर की तीन निविदाएं प्राप्त हुई थीं. जिसमें से न्यूनतम दर होने के कारण श्री वली मोहम्मद, छतरपुर की निविदा स्वीकृत की गई थी. वर्ष 2013-14 में—(1) सुरेन्द्र कुमार पान्डे, (2) श्री मयंक दुबे, (3) श्री रणवीर पटेरिया की तीन निविदाएं प्राप्त हुई थी. जिसमें से न्यूनतम दर होने के कारण श्री रणवीर पटेरिया ठेकेदार (श्री राम ट्रेडिंग) की निविदा स्वीकृत की गई थी. स्वीकृति न्यूनतम दरों के आधार पर दी गई तथा भुगतान की राशि रोगी कल्याण समिति एवं रेगुलर बजट उक्त वित्तीय वर्ष में से प्राप्त हुई थी. सुरक्षा व्यवस्था हेतु वर्ष 2013-14 में—(1) शर्मा सिक्यूरिटी, इन्दौर, (2) एस. के. एस. सिक्यूरिटी, छतरपुर, (3) इथॉस सिक्यूरिटी, छतरपुर की तीन निविदाएं प्राप्त हुई थी. जिसमें से न्यूनतम दर वाली इथॉस सिक्यूरिटी छतरपुर की निविदा स्वीकृत की गई थी. स्वीकृति न्यूनतम दर के आधार पर गई तथा भुगतान के लिये राशि रोगी कल्याण समिति एवं रेगुलर बजट उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई थी. (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है.

श्रीमती ललिता यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी और माननीय मंत्रीजी से 15 किलो का जवाब नहीं मांगूगी सिर्फ एक प्रश्न करुंगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, छतरपुर जिला चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति ने 1997-98 में फीस निर्धारित की थी जो उस समय 2 रुपये लगती थी फिर 5 रुपये हुई आज 25 रुपये एडमीशन फीस 10 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगती है. 40 रुपये मरीजों से फीस ली जा रही है. मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे ऊर्जावान मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी की यह मंशा है कि मध्यप्रदेश में नि:शुल्क इलाज दिया जा रहा है, नि:शुल्क जांचें की जा

रही हैं और नि:शुल्क दवाइयों का वितरण किया जा रहा है. मेरा प्रश्न है कि इस फीस को समाप्त करके जैसे पहले 5 रुपये लगती थी उतनी ही फीस निर्धारित की जाये ताकि गरीब मरीजों को उसका लाभ मिले.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य की भावना का ध्यान रखा जायेगा जैसा वे चाहती हैं वैसा किया जायेगा.

श्रीमती ललिता यादव—माननीय मंत्रीजी आपको धन्यवाद.

अशासकीय बी.एड. महाविद्यालयों में एससी/एसटी तथा ओबीसी की फीस वापिस किये जाने विषयक

15. (*क्र. 1548) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने अशासकीय बी.एड. महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को जो एससी/एसटी वर्ग के हैं, मध्यप्रदेश शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वापिस करने तथा ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं को शासकीय बी.एड. कालेजों में लगने वाले शुल्क के बराबर शुल्क वापिस करने का निर्णय लिया था? (ख) यदि हां, तो क्या प्रदेश के समस्त अशासकीय बी.एड. महाविद्यालयों में यह राशि छात्र-छात्राओं को वापिस की गयी? कृपया जिलेवार तथा महाविद्यालयवार जानकारी दें? (ग) यदि नहीं, तो इन राशियों का वितरण कब तक सुनिश्चित किया जाएगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं. वापिस नहीं की जाती है किन्तु न्यूनतम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाने का निर्णय लिया गया है. (ख) वर्ष 2013-14 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बी.एड. प्रवेश के संदर्भ में काउंसलिंग नहीं किये जाने से कोई अनुसूचित जाति वर्ग का विद्यार्थी बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेशित न होने के कारण वर्ष 2013-14 में प्रवेशित किसी विद्यार्थी को उल्लेखित शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की गई. म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 23-8-2013 द्वारा वर्ष 2013-14 का बी.एड. प्रवेश शुल्क वर्ष घोषित किये जाने के कारण वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांश ''ख'' के जवाब के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अशासकीय बीएड महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को जो एससी, एसटी तथा ओबीसी से आते हैं उन्हें मध्यप्रदेश शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वापिस करने तथा ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं को शासकीय बीएड कॉलेड में लगने वाले शुल्क के बराबर शुल्क वापिस करने के निर्णय से था.

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने मुझे जो इसका उत्तर दिया है वह **जी नहीं,** दिया है, वापिस नहीं की जाती किन्तु न्यूनतम शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरे पास एक पत्र प्रभारी प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, बालाघाट का है, जिसमें इन्होंने बालाघाट जिले के समस्त अशासकीय बी.एड महाविद्यालय को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने एक पत्र का उल्लेख किया है, सहायक आयुक्त बालाघाट को अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं से लिये गये शुल्क के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर भेंजे तथा राशि प्राप्त होने के

पश्चात् लिये गये शुल्क की राशि को संबंधित छात्रों के बैंक खातों में जमा करें, कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् जानकारी इस महाविद्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। इस पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अशासकीय महाविद्यालय की तरफ से पूरी कार्यवाही करके भेज दी गयी है। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं यह मंत्री जी से जानना चाहती हूं।

श्री ज्ञान सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने जानकारी चाही है। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे विभाग की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि उनके शुल्क वापस न करने का और यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 से पहले जो न्यूनतम फीस निर्धारित थी, वह पांच- छः हजार थी, अब शासन ने तय किया है वर्ष 2014-15 में 25 हजार से अधिकतम 36 हजार रूपये तक प्रायवेट महाविद्यालयों में जो बी एड में अध्ययनरत् हैं फीस उपलब्ध करायी जायेगी ।

सुश्री हिना कांवरे- अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने जो प्रश्न किया था वह वर्ष 2011-12 से था और उसकी कार्यवाही अशासकीय महाविद्यालय द्वारा कर ली गयी है। परन्तु उसकी राशि अभी तक महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यदि राशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तो हमारे एससी एसटी के छात्रों तक राशि कैसे पहुंचेगी ?

श्री ज्ञान सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह राशि वर्ष 2011 की है और इस तरह से माननीय सदस्या ने जो जानकारी चाही है अगर इसमें कोई त्रुटियां होंगी तो उसमें सुधार करके संबंधित छात्रों के खातों में राशि जमा करायी जायेगी। ताकि उनके खातों से संबंधित महाविद्यालयों को राशि उपलब्ध हो सके।

सुश्री हिना कांवरे- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या अशासकीय बी एड महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्राओं को फीस विनियामक समिति द्वारा जो फीस तय की जायेगी, क्या उतनी छात्रवृद्वि उनको प्रदाय करेंगे ?

श्री ज्ञान सिंह :- आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, उस पर विचार करेंगे।

श्री रामनिवास रावत :- आप घोषणाओं तक सीमित न रहें, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं,एस सी एस टी के छात्रों के लिये।

श्री नरोत्तम मिश्रा:- पूरी भी हो रही हैं।

आशा कार्यकर्ता पद की नियुक्ति में अनियमितता

16. (*क्र. 1674) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले में जिला चिकित्सालय में सी.एम.एच.ओ. कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी श्री डी.एन. चतुर्वेदी को लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है? यदि हां, तो प्रश्नांश दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या यह सही है कि जिला अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी श्री डी. एन. चतुर्वेदी पूर्व में तिलहन संघ में कर्मचारी थे? यदि हां तो स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर किस आदेश के तहत कब पदस्थ किए गए हैं? क्या उनकी अर्हताओं की जांच की गई है? यदि हां, तो जांच में क्या कमियां पाई गई? (ग) भिण्ड जिले में दिनांक 1-4-2010 से प्रश्नांश दिनांक तक आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति कहां-कहां पर की गई? नियुक्ति आदेश कब-कब जारी किए गए हैं? (घ) भिण्ड जिले में प्रश्नांश दिनांक तक कहां-कहां पर आशा कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं? उनकी नियुक्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) जी हां. विभाग को जानकारी प्राप्त होने पर श्री डी.एन. चतुर्वेदी, प्रशासकीय अधिकारी जिला चिकित्सालय, भिण्ड को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक 4/शिका/से.व्ही.सी./2014/1332/दिनांक 24-6-2014 द्वारा निलंबित किया गया है. (ख) जी हां. श्री डी. एन. चतुर्वेदी की पदस्थापना, जिला चिकित्सालय भिण्ड में प्रशासकीय अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, इन्दौर के चयन उपरान्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 02-43/2010/17/मेडि-1, दिनांक 7-4-2011 द्वारा की गई. जी नहीं. लोक सेवा आयोग के चयन उपरान्त चरित्र सत्यापन पश्चात् नियुक्ति प्रदान की गई है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है. (घ) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट''ब'' पर है. आशा कार्यकर्ता पद पर चिन्हांकन (नियुक्ति) हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है तथा रिक्त स्थानों से ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाईजर एवं एम.जी.सी.ए. सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायतों से सम्पर्क कर ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे है.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :- मेरे प्रश्न के जवाब में श्री डी एन चतुर्वेदी, प्रशासकीय अधिकारी को दिनांक 25.3.14 को लोकायुक्त द्वारा पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि उनको पकड़ा कब गया था और विभाग को जानकारी कब मिली। दूसरा प्रश्न यह है कि श्री चतुर्वेदी जो कि तिलहन संघ के कर्मचारी थे, क्या इनका संविलियन महिला एवं बाल विकास विभाग में किया गया था। तीसरा प्रश्न यह है कि इसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि लोक सेवा आयोग की नियुक्ति में जो प्रमाण पत्र लगाये गये थे उनकी जांच नहीं करवायी गयी, अगर उनकी जांच करवा ली जाती तो एक फर्जी अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती। क्या उनकी निष्पक्ष जांच करवायी जायेगी।

श्री नतोत्तम मिश्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 24.6.14 को जानकारी मिली थी, उसी दिन उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। लोक सेवा आयोग के सत्यापन का कहा है इसकी हम जांच करवा लेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह – माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जब प्रश्न लग गया था प्रश्न लगने के बाद अधिकारियों ने प्रश्न का उत्तर देने के बाद उसको निलंबित किया गया था. महिला बाल विकास विभाग के

मूल कर्मचारी न होते हुए भी वहां का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर लोक सेवा आयोग से आयु सीमा में छूट प्राप्त की गई है. क्या मंत्री महोदय इसकी जांच कराएंगे.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा – जांच का मैंने बोल दिया है. जांच में ये सारे बिन्दु आ जाएंगे जैसा सम्मानित सदस्य ने बताए हैं.

मुरैना जिले के शास. अस्पताल में ट्रामा सेंटर का निर्माण

17. (*क्र. 1967) श्री सत्यापाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना के शासकीय जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर कब स्वीकृत हुआ एवं उसका निर्माण कितनी अवधि में होना था? वर्तमान में निर्माण की क्या स्थिति है? 10 जून 2014 तक की पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा धीमी गति निर्माण के कारण ट्रामा सेंटर निर्माण के ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया था? उसे किस आधार पर पुनः बहाल किया गया? कब तक उसे बनना था? पूर्ण जानकारी दी जावे? (ग) क्या यह भी सही है कि 10 जून 2014 तक ट्रामा सेंटर के अभाव में डेढ़ दर्जन से ज्यादा दुर्घटना में घायलों की जान जा चुकी है एवं एक सैकड़ा से अधिक घायलों का ठीक उपचार अस्पताल में नहीं हो सका है? इतने संवेदनशील कार्य में उदासीनता के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? पूर्ण जानकारी दी जावे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) दिनांक 5-12-2011 को स्वीकृत हुआ एवं अनुबंध अनुसार निर्माण कार्य 16 माह की अवधि में पूर्ण होना था. वर्तमान में निर्माण कार्य प्लिंथ स्तर पर है. शेष प्रश्नांश की जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी हां. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन में, उल्लेखित कारण, विभाग द्वारा समय पर कार्य स्थल उपलब्ध नहीं कराये जाने को आधार मानकर, अनुबंध पुनः बहाल किया गया. मूल अनुबंध के अनुसार 26-7-2013 तक बनना था. शेष प्रश्न की जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) जी नहीं, ट्रामा सेंटर के अभाव में किसी भी दुर्घटना में घायलों की जान नहीं गई है एवं सभी दुर्घटनाओं में घायलों का समुचित उपचार जिला अस्पताल में किया जाता है. उपचार में किसी प्रकार की उदासीनता नहीं की जाती है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के क में मुझे जो उत्तर मिला है उसमें माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि मुरैना जिले के अस्पताल में ट्रामा सेंटर दिनांक 5.12.2011 को स्वीकृत हुआ. अनुबंध के अनुसार 16 माह में दिनांक 27.7.2013 तक कार्य पूर्ण होना था. ट्रामा सेंटर की स्थापना का सरकार का उद्देश्य यह था कि दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाई जा सके लेकिन 2013 तक जो कार्य पूर्ण होना था उसके एक साल बाद तक भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका. मात्र 10 परसेंट कार्य पूर्ण हुआ है. क्या मंत्री महोदय, यह कार्य शीघ्र पूरा हो इसके लिये प्रशासन के अधिकारियों,पी.डब्लू.डी. के अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाएंगे ?

डॉ.नरोत्तम मिश्रा - सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सम्मानित सदस्य कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं उसका कारण यह है कि हमको एक पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल कराकर इसका निर्माण करना था और उस बिल्डिंग को तोड़ने में विलंब हो गया और उसकी अनुमति कलेक्टर से फिर यहां जी.ए.डी. से जाने में,

जी.ए.डी. के अधिकार अब स्वास्थ्य विभाग के पास आ गये हैं. मैं सम्मानित सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनवरी,2015 से जून,2015 के बीच तक हम इस काम को कम्पलीट करा देंगे.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण हो जाएगा लेकिन मात्र 10 परसेंट कार्य पूर्ण हुआ है.

अध्यक्ष महोदय- तारीख बता दी उन्होंने. कब तक करा देंगे यह भी बता दिया.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ख के जवाब में यह जानकारी दी गई है कि ठेकेदार ने धीमी गति से काम किया इस कारण उसका ठेका निरस्त किया गया. मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर विभाग की गल्ती थी. विभाग ने देर से उसको स्थल उपलब्ध कराया तो ठेकेदार का ठेका क्यों निरस्त किया गया. विभाग एक दूसरे पर गल्ती थोप रहा है जो दोषी हैं उन पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

डॉ.नरोत्तम मिश्रा - सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, काम अब गति पर आ गया है. मैंने जैसा बताया कि फाईल विभाग,जी.ए.डी. और कलेक्टर इनके बीच में घूम रही थी. अब मैं उन्हें आश्वस्त कर रहा हूं कि जो भी गति थी उस गति को भी आगे तेज करके हम उसकी मानीटरिंग में लेकर जैसा सदस्य की इच्छा है इस काम को हम जनवरी,2015 के बाद जून,2015 तक कम्पलीट करके उनको दे देंगे.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार - माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और मेरा है. आप इस सदन में पिता की भूमिका में हैं. जो पहली बार सदस्य चुनकर आए हैं आपका आशीर्वाद उन सदस्यों को मिलेगा और बहुत बार जो चुनकर आए हैं उनको आपने बहुत समय दे दिया.

अध्यक्ष महोदय- चलिये एक छोटा सा प्रश्न पूछ लीजिये.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार - माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कोई भी दुर्घटना में कोई भी मृत्यु नहीं हुई है. मेरा एक कार्यकर्ता था विनोद बघेल जिसके पिता का नाम माधो सिंह बघेल है. उसको ग्वालियर रेफर कर दिया रास्ते में ही उसकी मृत्यु हुई.

अध्यक्ष महोदय- यह कोई प्रश्न नहीं है. दूसरे सदस्यों के भी प्रश्न हैं.

रतलाम जिले को प्राप्त बजट एवं क्रियान्वयन

18. (*क्र. 2097) श्री राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिले में केन्द्र/राज्य द्वारा पोषित/संरक्षित योजनाओं/कार्यों का क्रियान्वयन विभाग द्वारा/एजेंसियों के द्वारा तथा एन.जी.ओ. एवं अन्य माध्यमों से किया जा रहा है? (ख) यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में उपरोक्त कार्यों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त माध्यमों से किन-किन स्थानों पर क्या-क्या कार्य किए गए? (ग) उपरोक्त कार्यों/योजनाओं पर विभिन्न माध्यमों हेतु किन नियमों का पालन होकर उन पर कितना व्यय हुआ? (घ) उपरोक्त वर्षों में उक्त कार्यों/योजनाओं की मानीटरिंग एवं भौतिक सत्यापन किसके द्वारा होकर कितने कार्य/योजनाएं पूर्ण हुई, अपूर्ण रही, लम्बित रही? व्यय सहित जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) जी हां. (ख) विभाग द्वारा रतलाम जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्य योजना में स्वीकृत गतिविधियों तथा राज्य द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का संचालन किया गया. एनजीओ द्वारा आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया गया. विभिन्न एजेन्सी के द्वारा जननी एक्सप्रेस एवं मोबिलिटी सपोर्ट वाहनों का संचालन, सफाई तथा सुरक्षा व्यवस्था का कार्य जिले के सभी विकासखण्डों में तथा दीनदयाल चलित अस्पतालों का संचालन-बाजना, सैलाना व जावरा विकासखण्डों में किया गया. (ग) विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु राज्य शासन तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा राज्य स्वास्थ्य समिति व शासन के नियमों का पालन किया गया. जिले में वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राशि रुपये 23.71 करोड़ का व्यय किया गया. (घ) विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग, विभाग द्वारा स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत निरन्तर की जाती है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य की योजनाओं की भौतिक, वित्तीय प्रगति वर्ष 2013-14 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रतलाम जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का संपूर्ण जिले में क्या क्रियान्वयन किया जा रहा है इस संबंध में माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था. लगभग 23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रतलाम जिले में एक ही वर्ष में व्यय की गई लेकिन रतलाम जिला चिकित्सालय, जो जिला मुख्यालय है जिस पर पूरा जिला निर्भर करता है. वहां काफी अव्यवस्थाएं हैं. सिविल अस्पताल जावरा में भी लगभग वही स्थिति है और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र पिपलौदा आदि में...

अध्यक्ष महोदय—आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप कृपया प्रश्न करें.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे योजनाओं के क्रियान्वयन में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, जिला बीमारी सहायता योजना, राज्य बीमारी सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री

बाल हृदय योजना के संदर्भ में जानकारी दी गई है. इन योजनाओं से संबंधित हितग्राहियों को फार्म उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जांच परीक्षण समय पर नहीं हो पाता, जांच परीक्षण करने के पश्चात् समिति उसे अग्रेषित कर देती है अभी एक प्रकरण हुआ था हमीदिया अस्पताल में भेजा गया हमीदिया अस्पताल ने उसे 4 महीने के बाद की तारीख उपचार के लिये दी गई, उन्हें भर्ती नहीं किया गया. एक तो उन्हें लंबी अवधि का समय न दिया जाय उनका तत्काल उपचार किया जाय, जहां पर यह प्रकरण लंबित रह जाते हैं उन्हें समय पर निपटाया जाय, उनको फार्म वहीं पर उपलब्ध हो जाय, मरीज को वहीं पर भर्ती करके उसका उपचार किया जाय, चूंकि आने जाने का उसको जो व्यय होता है वह अस्पताल प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जाता है इसके कारण मरीज एस्टीमेट बनवाने के लिये भी नहीं पहुंच पाता है. मरीज को भर्ती करते हुए क्या उसका उपचार किया जायेगा और उसे निरंतर उपचार देते हुए उसे अंतिम उपचार जो मिलना है वह निश्चित किया जायेगा.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मरीज को समय पर इलाज मिलना अति आवश्यक होता है इसलिये मध्यप्रदेश की सरकार ने ऐसा तय किया है कि हम इसको स्वास्थ्य गारंटी योजना में उसके तहत लोक सेवा गारंटी में उसको लेने वाले हैं उसमें हर मरीज को जो भी हितग्राही आता है वहां पर 10 दिन के अंदर इलाज के लिये पैसे की कहीं से भी व्यवस्था करके देनी है उसके इलाज की अधिकतम समय- सीमा 10 दिन हो, कम समय में 24, 36, 48, घंटे हों, लेकिन स्वास्थ्य गारंटी योजना में इसको ले रहे हैं और 10 दिन के अंदर इन सबको इलाज मिले.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में भी इस तरह के उपचार के फार्म वहीं प्राप्त हो जाय, क्या वहीं से उसका जांच परीक्षण करते हुए उसको आग अग्रेषित किया जायेगा ?

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में हृदय से संबंधित मरीज का परीक्षण ही नहीं हो सकता है. वैसे हम पूरी योजना को वेबसाईड पर डाल रह हैं उसमें कहीं से भी हितग्राही चाहे तो उसको लोड कर सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हार्ट के परीक्षण की व्यवस्था नहीं है.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमीदिया अस्पताल में यदि देरी हो रही है हमारा इंदौर नगर पास में पड़ता है, इन्दौर में सीएचएल, अपोलो सहित अनेक अस्पतालों को वहां पर शासन के द्वारा चिन्हित भी किया गया है तो सीधे उनको जावरा से रतलाम से उनको इंदौर रिफर करते हुए उन्हें उपचार उपलब्ध करवाया जा सकता है तो वैसा ही हमारे रतलाम जिले के लिये निश्चित कर दीजिये ताकि उनका उपचार इन्दौर में होना प्रारंभ हो जाय.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर—अध्यक्ष महोदय, रतलाम सहित इन्दौर संभाग,उज्जैन संभाग को भी जोड़ दिया जाय.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, रतलाम के साथ, इंदौर, उज्जैन संभाग दोनों को भी इंदौर कर देंगे.

श्री राजेन्द्र सिंह पाण्डेय—धन्यवाद मंत्री जी.

प्रश्न संख्या 19 (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या 20 (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या 21

मुंगावली में पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. की सुविधाओं के संबंध में

21. (*क्र. 1782) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगावली विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने पी.एच.सी., सी.एच.सी. व अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं हैं व कहां-कहां? उनमें वर्तमान में कितना स्टॉफ स्वीकृत है व कितना कार्यरत्? (ख) कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मुंगावली में डॉक्टर के व अन्य स्टॉफ के कई पद कई वर्षों से रिक्त हैं एवं ओ.पी.डी. भी नहीं है? शासन की रिक्त पदों को भरने एवं ओ.पी.डी. बनाने की क्या योजना है? विवरण देवे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) मुंगावली विधान सभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगावली तथा पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः बहादुरपुर पिपरई, सेहराई, मल्हारगढ़, हथाईखेड़ा एवं 25 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं. शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर मुंगावली में स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में वर्णित है. नवीन भवन में चिकित्सीय व्यवस्था चल रही है. विभाग के अधीन पदोन्नति द्वारा एवं लोक सेवा आयोग तथा व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती के पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर जारी है चिकित्सा अधिकारियों के शेष 1271 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 9-6-2014 विज्ञापन जारी किया गया हैं. पैरामेडिकल के 900 पदों क्रमशः (लेब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक एवं फार्मासिस्ट ग्रेड-2) के पदों की पूर्ति हेतु व्यापम के माध्यम से कार्यवाही प्रचलित (मांग पत्र प्रेषित) है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगावली में चिकित्सा विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शल्य क्रिया विशेषज्ञ, तीनों नहीं हैं इसके कारण अस्पताल की दशा क्या होगी आप अनुमान लगा सकते हैं और हथाईखेड़ा में भी डॉक्टर नहीं है इन पदों की आप जल्दी से जल्दी पूर्ति कर देंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--एक्चुअल में कालूखेड़ा जी, वहां भी हमारे 2 डाक्टर पदस्थ हैं और आपको जो हमारे पास सरकारी आंकड़ा आया है, उसमें 1 दिन में मुश्किल से 3-4 डिलेविरी होती हैं और 2-3 मरीज आते हैं और 1 डाक्टर पर 2-3 मरीज पड़ रहे हैं, हमारे हिसाब से तो 2 डाक्टर पर्याप्त हैं यदि और डाक्टर कर दिये, तो मरीजों की संख्या तो बढ़े उसके बाद में हम डाक्टर बढ़ा दें, पर वैसे भी डाक्टरों की बहुत कमी है, मैं वैसे ही नहीं कह रहा.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--नहीं, स्वीकृत पद है तो 1 या 2 तो कर दें. स्वीकृत पद 3 हैं और विशेषज्ञों के तीनों के तीनों खाली हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--नहीं, यह सच है कि खाली है. अभी 2 डाक्टर हैं और मरीज 4 आते हैं, 1 पर 2 मरीज पड़ते हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--आप क्या सोचते हैं क्या वहां स्त्री रोग विशषज्ञ की जरूरत नहीं है ?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--नहीं, है. मैंने कहा रामनिवास जी विषयांतर कर रहे हैं पर मैं यह नहीं कह रहा पूरे प्रदेश में डाक्टरों की जरूरत है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--आप तो कम से कम स्त्री रोग विशेषज्ञ कर दो.

(प्रश्नकाल समाप्त)

श्री बाबूलाल गौर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कल माननीय कुछ सदस्यों ने इन्दौर के मामले में मैंने बताया था कि आज मैं उस मामले पर कुछ समाधान निकालूंगा, इस संबंध में मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कार्य में किसी प्रकार का अवरोध न हो, इसलिये टी .आई. कन्हैया लाल दांगी को सस्पेंड कर दिया है.

श्री सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय, यह अभी क्यों बोल रहे हैं ? इस पर ध्यानाकर्षण है.

श्री रामनिवास रावत--यह अभी क्यों बोल रहे हैं ? ध्यानाकर्षण में जवाब दें.

अध्यक्ष महोदय--उनको भी अधिकार है बोलने का.

श्री सत्यदेव कटारे--नहीं, सदन में आ चुका है जो विषय..(व्यवधान).

श्री रामनिवास रावत--ध्यानाकर्षण में जवाब दें.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, जवाब कहां दे रहे हैं ? वह तो अपनी तरफ से कुछ बात कह रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत--जो भी बोलना है, ध्यानाकर्षण में चर्चा कर लें.(व्यवधान).

डॉ.नरोत्तम मिश्रा--अध्यक्ष जी, यह मामला कल शून्यकाल में ही उठा है.

अध्यक्ष महोदय--कल शून्यकाल में आपने इस मामले को उठाया.(व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत--जब आपने ग्राह्य कर लिया है और आज ध्यानाकर्षण कार्यसूची में है तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है ? आप ध्यानाकर्षण में जवाब दें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--कल की घटना के प्रकाश में माननीय गृह मंत्री जी बोले. कल की बातचीत के प्रकाश में वह बोले हैं.

श्री रामनिवास रावत--आप ध्यानाकर्षण में जवाब दें.

अध्यक्ष महोदय--पर उनको कैसे रोकेंगे ?

श्री रामनिवास रावत--जो विषय कार्यसूची में है, उसके बारे में क्यों अभी पहले से बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय--नहीं, आप उस पर जो बोलना हो, बोलना. उस पर आपको कहां रोक रहे हैं ? (व्यवधान) आपके आग्रह पर ध्यानाकर्षण लिया है.

श्री रामनिवास रावत--यह परंपरा गलत है. आपने ध्यानाकर्षण लिया है तो ध्यानाकर्षण की विषयवस्तु के समय आप बोलना जो बोलना हो, अभी पहले से क्यों बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय--अब गृह मंत्री जी को आप बोलने से कैसे रोक सकते हैं ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य--दूसरे मुद्दे भी हैं.

अध्यक्ष महोदय--कल शून्यकाल में ही आपने इस विषय को उठाया था और उन्होंने कहा था कि हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान).

श्री रामनिवास रावत--आपने उदारता के साथ ग्राह्य कर लिया और ध्यानाकर्षण कार्यसूची में आ गया, तो माननीय मंत्री जी ध्यानाकर्षण में जवाब देंगे.

श्री बाबूलाल गौर--मैं उस समय भी जवाब दूंगा न.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--उस समय भी जवाब दिया जायेगा.

श्री रामनिवास रावत--अभी आवश्यकता नहीं है, उसी समय देना.

श्री बाबूलाल गौर--नहीं, ऐसा थोड़ी होगा.

श्री सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय, जब कार्यसूची में विषय आ चुका है और कार्यसूची वाले विषय पर उसके पहले जानकारी देना यह किस नियम के तहत् हो जायेगा और यह कैसे एलाऊ हो जायेगा ?

श्री बाबूलाल गौर--नहीं, आपने भी शून्यकाल में उठाया है और प्रश्न करते हैं (व्यवधान) 2 दिन से उठा रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत--लेकिन अभी तो नहीं उठाया शून्यकाल में.

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे--अगर इस घोषणा से कोई तकलीफ हो रही हो, तो बताओ. 15 मिनट बाद आप बता दीजिये, जब ध्यानाकर्षण आ रहा है, उसमें उत्तर दे दीजिये बड़ा अच्छा पढ़कर लंबा, शेजवार जी से बड़ा.

अध्यक्ष महोदय--आपके ध्यानाकर्षण का विषय भी पढ़ लीजिये आप, उसमें क्या लिखा है.

अध्यक्ष महोदय :-

शून्यकाल

नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से २० सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैने प्रदान की है यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा.

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

अब में सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा.

क्रं.	सदस्य का
1	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
2	(इंजी.) प्रदीप लारिया
3	श्री दुर्गालाल विजय
4	श्री ठाकुरदास नागवंशी
5	श्री रामनिवास रावत
6	श्री प्रताप सिंह
7	श्री चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8	श्री दिलीप सिंह परिहार
9	श्री हितेन्द्र सिंह सौलंकी
10	पंडित रमेश दुबे
11	डॉ. गोविंद सिंह
12	श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
13	श्री मानवेन्द्र सिंह
14	श्री नारायण सिंह पँवार
15	डॉ. रामकिशोर दोगने
16	श्री दिव्यराज सिंह
17	श्री नाना भाऊ मोहोड़
18	श्री आरिफ अकील
19	श्री के.के.श्रीवास्तव
20	श्री विष्णु खत्री

11.34 बजे

ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय:-विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परन्तु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर इन ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(1) राज्य ओपन स्कूल अंतर्गत अध्ययनरत छात्रों की परीक्षाएं समयावधि में आयोजित न की जाना.

श्री मुकेश नायक (पवई) -- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

राज्य ओपन स्कूल से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट करने वाले एक लाख से ज्यादा छात्रों को अपना भविष्य अंधकारपूर्ण लग रहा है और उन्हे एक साल बर्बाद होने का खतरा लग रहा है, क्योकि जुलाई 2013 में जिन छात्रों ने इन कक्षाओं में प्रवेश लिया था, उन्हे एक साल बीतने पर भी न तो अध्ययन सामग्री मिली है और न ही उनकी परीक्षा हुई है । छात्र राज्य के ओपन स्कूल के 300 सेन्टरों में चक्कर लगा रहे है लेकिन परीक्षा की तारीख और कार्यक्रम का अभी तक कोई पता नही हैं जबकि यह परीक्षा मार्च 2014 में हो जानी था राज्य सरकार द्वारा राज्य ओपन स्कूल व्यवस्था और प्रशासन में हो रही लापरवाही पर कोई ध्यान नही देने से ही वहां अफसर मनमानी करते हुए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं । राज्य के शिक्षा संस्थानों की साख तेजी से गिर रही है शासन ने नियमित छात्र के रूप अध्ययन न कर सकने वाले छात्रों की सुविधा के लिए राज्य ओपन स्कूल से हाईस्कूल से और इंटरमीडिएट की परीक्षाये देने और प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की है । लेकिन यह ब्यवस्था गड़बड़ा गयी है । जून माह बीतने पर भी परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित नही हुआ है । इससे छात्रों का एक वर्ष बर्बाद हो रहा है और आशंका है कि अभी और भी समय बर्बाद हो सकता है । परीक्षायें समय पर न होने से छात्र आगे पढाई भी देरी से कर पायेगें । इससे छात्रों और उनके परिवारजनों को चिंता और असंतोष व्याप्त है ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) -- अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में किसी प्रकार की लापरवाही और मनमानी नही चल रही है न ही राज्य में शिक्षा का स्तर कमजोर हो रहा है। यह कहना भी सही नही है कि राज्य के शिक्षा संस्थानों की साख तेजी से गिर रही है। यह कहना सही है कि राज्य शासन द्वारा नियमित छात्र के रूप में अध्ययन न कर सकने वाले छात्रों की सुविधा के लिए राज्य ओपन स्कूल से हाईस्कूल एवं हायर सेकेन्ड्री की परिक्षाऐं संचालित करवाने एवं प्रमाण पत्र की व्यवस्था की है। किन्तु यह कहना गलत हैं कि यह व्यवस्था चंद अफसरों के मनमाने और लापरवाही रवैये के कारण गड़बड़ा गई है।

यह कहना गलत हैं कि जिन छात्रों ने जुलाई 2013 मे प्रवेश लिया था उन्हें पैसा भुगतान करने के बाद भी स्टडी मटेरियल अब तक नही दिया है तथा जो परीक्षा मार्च 2014 मे हो जानी थी वे अब तक नहीं हुई हैं वास्तविकता यह हैं कि राज्य ओपन स्कूल में गत वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत प्रवेश की कार्यवाही की जाती है। चूंकि गत वर्ष के परीक्षा परिणाम सितम्बर में घोषित हुये थे, अतः माह अक्टूबर मे एडमिशन हुये है तथा छात्रों द्वारा अक्टूबर 2013 में भी प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत किये है किन्तु माह मई 2013 में आयोजित परीक्षा के परिणामों के संबंध में एसटीएफ द्वारा जॉच की जाने के कारण उक्त परीक्षा का परिणाम जून 2014 में जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2013 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की परीक्षा निर्धारित माह मई 2014 के स्थान पर सितम्बर/अक्टूबर 2014 में आयोजित की जावेगी। जहॉ तक स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाली बात है उक्त स्टडी मटेरियल संस्था की वेवसाईट (www.mpsos.nic.in) पर एवं अध्ययन केन्द्रो पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

बोर्ड द्वारा परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित की जावेगी अतः यह कहना सत्य नही हैं कि परीक्षा कार्यक्रम घोषित न होने से छात्रों का एक वर्ष बरवाद हो रहा है। परीक्षा सितम्बर/अक्टूबर 2014 में आवश्यक रूप से संपन्न हो जावेगी। अतः यह आशंका निर्मूल है कि परीक्षाऐं समय पर न होने से छात्र आगे पढाई देरी से कर पायेंगे।

अतः यह कहना गलत है कि राज्य ओपन बोर्ड द्वारा मनमानी और लापरवाही की जा रही है। तथा यह भी कहना गलत हैं कि इससे छात्रों और उनके परिवार जनो में चिंता एवं सरकारी व्यवस्था को लेकर असंतोष और रोष व्याप्त है।

श्री मुकेश नायक -- अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है, जब इस तरह के जवाब दिये जाते हैं. मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, परीक्षाओं में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है और खुद अपने उत्तर में बता रहे हैं कि मार्च में होने वाली परीक्षाएं सितम्बर में होंगी. यह किस तरह का अन्तर्विरोध और कंट्रॉडिक्शन है. मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने कोई ओपन स्कूल का एकेडिमिक केलेण्डर बनाया है, आपने कुछ तारीख तय की है कि कब फार्म भरने का समय होगा, कब

सामग्री मिलने का समय होगा, कब विद्यार्थियों को परीक्षा का टाइम टेबल दिया जायेगा, कितनी तारीख को परीक्षाएं होंगी और कितनी तारीख को इसके रिजल्ट खुलेंगे. आपने कोई एकेडिमिक केलेण्डर बनाया है क्या.

श्री पारस जैन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो परीक्षा वाली बात कही है, हम परीक्षा अक्टूबर के माह में करवा लेंगे और केलेण्डर की जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, छापा पड़ने के कारण कुछ देरी हुई है इस बात को हम भी कबूल रहे हैं. हम कहां मना कर रहे हैं लेकिन बच्चों का भविष्य बिगड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है.

श्री मुकेश नायक-- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो यह कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई है.

अध्यक्ष महोदय-- अब तो उन्होंने स्वीकर कर लिया.

श्री मुकेश नायक - जी. अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक मंत्री जी से एक प्रश्न ओर पूछना चाहता हूं कि डिस्टेंस एजूकेशन का मकसद केवल पास और फेल करने का कारखाना बनाना नहीं है. जो ड्राप रेट में बच्चे आते हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना इस ओपन स्कूल का उद्देश्य रहा है. मंत्री जी जो मध्यप्रदेश में ओपन स्कूल के 300 केन्द्र है क्या उसमें एकेडेमिक केलेण्डर समय पर भिजवायेंगे ? दूसरा जिन शिक्षकों को इसके काम के लिये तय किया जाता है कि कौन सा परीक्षक जिलों में परीक्षा केन्द्रों पर इस शिक्षा के काम को देखेगा, देखने में आ रहा है कि एक शिक्षक की पोस्टिंग होती है 10 दिन के बाद दूसरा शिक्षक पोस्ट कर देते हैं कोई पोलिटिकल प्रेशर होता है तो इसका कोई सिस्टम आप बनाईये ताकि जिस उद्देश्य से यह डिस्टेन्स एजूकेशन सिस्टम को आर्गेनाइज किया गया है वह उद्धेश्य और शिक्षा का ध्येय पूरा हो सके.

श्री पारस जैन -- अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं उस बात से भी हम समहत हैं . कोई न कोई केलेण्डर हम ऐसा बनायेंगे जिससे आगे व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ न हो.

2. **प्रदेश में प्रतिबंधित इंजेक्शन दुधारू पशुओं को लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति.**

श्री देवेन्द्र वर्मा (खण्डवा) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में प्रतिबंधित इंजेक्शन आक्सीटोसीन दुधारू पशुओं को दूध निकालने के लिए लगाया जाता है, जबकि यह दवा प्रतिबंधित दवाओं की श्रेणी में आती है, बावजूद इसके राज्य में यह दवा खुले आम बिक रही है। इस इंजेक्शन को लगाकर पशुओं का जो दूध निकाला जाता है उस दूध के पीने से बच्चों में बहुत सी बीमारियां पनप रही है यदि विशेषज्ञों की राय मानी जाये तो इस तरह के दूध से लड़कियो में समय से पूर्व मासिक धर्म प्रारंभ होना, लड़कों में समय से पूर्व पुरूष हार्मोन्स का निर्माण होना तथा गर्भवती महिलाओं में गर्भपात की संभावना बढ़ना आदि विकार उत्पन्न हो रहे हैं साथ ही इस इंजेक्शन का उपयोग सब्जी एवं फल उत्पादकों एवं विक्रेताओं द्वारा भी धड़ल्ले से किया जा रहा है जिसमें सब्जियों, फल जैसे लौकी, तरबूज आदि में दवा को इंजेक्ट कर रातों रात आकार व वजन बढ़ाकर अनैतिक तरीके से लाभ कमाया जा रहा है जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर घातक एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रतिबंधित दवा के विक्रय पर कड़ाई से रोक लगाई जाय तथा दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाए तथा इस दवा के विक्रय से आम जनता में आक्रोश है।

मंत्री, पशुपालन (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में विभाग का वक्तव्य इस प्रकार है :-

आक्सिटोसिन औषधि का विक्रय प्रतिबंधित नहीं है। इस दवा का विक्रय केवल इंजेक्शन के रूप में होता है। इसका दुरउपयोग रोकने के लिए भारत सरकार ने सिंगल इंजेक्शन ब्लिस्टर पैक अनिवार्य किया है। यह औषधि बिना चिकित्सीय पर्ची के विक्रय नहीं की जा सकती है। यह अनुसूची एच की दवा है इसकों बेचने का पूरा रिकार्ड और चिकित्सीय पर्ची की छायाप्रति दवा विक्रेता को रखना अनिवार्य है। इसका उल्लघंन करने वाले औषधि विक्रेताओं के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

यह औषधि प्रत्सव को सुगम बनाने के लिए चिकित्सकों को परामर्श पर अत्यंत उपयोगी है। किसी भी दवा को प्रतिबंधित करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। सब्जियां एवं फलों के 300 से अधिक नमूनों की जांच हाल में ही करवाई गई थी। जिसमें किसी भी नमूने की जांच में आक्सिटोसिन नहीं पाया गया । पशुओं में शासन द्वारा समय–समय पर इसका दुरूपयोग रोकने हेतु पशु कूरता अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए है। उप संचालक एवं संयुक्त संचालक, को समय–समय पर आक्सिटोसिन के दुष्प्रभाव रोकने हेतु सामान्य दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही पशु औषधालयों को आक्सिटोसिन न प्रदाय करने संबंधि निर्देश दिए है।

श्री देवेन्द्र वर्मा-- अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं. WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे गर्म देश में जहां पर हार्मोन सिक्रेशन आसानी से होता है, ऐसे देश में इस दवा का उपयोग उचित नहीं है. हम देख रहे हैं कि समाज में किडनी और लीवर के खराब होने के प्रकरण आम हो गये हैं. यह कहीं न कहीं ऑक्सीटोसिन के दुष्परिणामों में से एक है. दूसरा, जैसा माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया कि फलों में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है. यह दवा, दवाई की दुकानों पर आसानी से बगैर किसी पर्ची के उपलब्ध है जिसके कारण फल-सब्जी विक्रेता भी इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं. इसेक उपयोग से जहां एक ओर दुधारु पशुओं में भी प्रजजन क्षमता कम हो रही है वहीं दूसरी ओर इंसानों और बच्चों में भी विकार उत्पन्न हो रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि क्या इस दवा को और कड़ाई से प्रतिबंधित करेंगे? दूसरा, विशेषज्ञों की टीम बनाकर जो इसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उसकी जांच करायेंगे?

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- अध्यक्ष महोदय, इस औषधी को बंद करने या नियंत्रण करने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार का है. हम ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि केन्द्र सरकार को सिफारिश लिखें कि और कड़ाई से इस दवा का वितरण हो. जो अभी होता है उससे और ज्यादा कड़ाई बरती जाये कि यह दवा आसानी से न मिले. अभी हमने 300 फल सब्जियों का परीक्षण कराया था तो उसमें किसी में भी नहीं पाया गया. यदि कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो इसके लिए धाराएं बनी हैं, इसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है. आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं एक साथ दे देती हूं. पशु क्रूरता अधिनियम धारा 11,12 के अनुसार इसमें सजा का बहुत कम प्रावधान है. मुझे बताने में संकोच हो रहा है. किसी में 10 रुपया जुर्माना, 20 रुपया जुर्माना है. हम केन्द्र सरकार को लिखेंगे कि सजा का प्रावधान ज्यादा हो.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- अध्यक्ष महोदय, जुर्माना तो इतना ही रहने दें यह किसानों से जुड़ा हुआ विषय है. मंत्रीजी से आग्रह है इसे न बढ़ाया जाये.

अध्यक्ष महोदय-- इस दवा के विक्रय पर सख्ती कर दें.

श्री देवेन्द्र वर्मा-- अध्यक्ष महोदय, हमारे शासकीय पशु चिकित्सालय में यह दवाई आसानी से उपलब्ध हो रही है. हमारे डॉक्टर डिब्बे-डिब्बे दूध उत्पादकों को दे देते हैं. इससे उसका कहीं न कहीं सब्जियों में उपयोग वे कर रहे हैं. इसके लिए कुछ न कुछ कठोर नियम होने चाहिए.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- अध्यक्ष महोदय, हम केन्द्र सरकार से निवेदन करेंगे कि पेकिंग में और दवा के वितरण में और सख्ती बरती जाये जिससे दूध और फल-सब्जी विक्रेताओं को यह दवा आसानी से प्राप्त नहीं हो. मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि यह केन्द्र सरकार का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है.

अध्यक्ष महोदय-- वह वरिष्ठ सदस्य हैं सब समझते हैं.

श्री सचिन यादव(कसरावद)-- अध्यक्ष महोदय,मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कितने मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है. कितने प्रकरण बनाये गये हैं और कितने लायसेंस निरस्त किये गये हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- अध्यक्ष महोदय, अभी तक ऐसा कोई प्रकरण सामने आया ही नहीं है तो हम कार्रवाई किसके विरुद्ध करें. यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा प्रकरण या कोई दवा विक्रेता जो अवैधानिक तरीके से दवा बेचता है, तो कृपया सूचना दें हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे. मैं, आपको बता देना चाहती हूं कि पशु क्रूरता प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11,12 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान है. इसी प्रकार यदि बिना पर्ची के दवा बिकती है तो धारा 27 के अनुसार 20 हजार रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम दो साल तक की सजा दी जा सकती है. इसी प्रकार फुड एक्ट की धारा 59 के अनुसार यदि कोई बेचता है तो अधिकतम 6 माह की सजा और 3 लाख से 10

लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. यदि आपको किसी दवा विक्रेता की या किसी डॉक्टर की जो बिना पर्ची के देते हैं. आप शिकायत करेंगे तो हम निश्चित रुप से उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे. सरकार इसके प्रति पूर्ण रुप से जवाबदार है और गंभीर है. आप शिकायत करिये. हम कार्रवाई करेंगे.

श्री सचिव यादव-- अध्यक्षजी, मैं, माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं. जिस प्रकार माननीय मंत्रीजी ने अपने विभाग को दिशा-निर्देश दिये हैं और यह विषय चूंकि आम जनता से जुड़ा हुआ है.

अध्यक्ष महोदय-- आप प्रश्न पूछें.

श्री सचिव यादव – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार मंत्री जी ने अपने विभाग को दिशा निर्देश दिये हैं यह विषय चूंकि आम जनता से जुड़ा हुआ है. मेरा कहना है कि समाचार पत्रों में बराबर और टीवी और प्रिंट मीडिया में बराबर इस बारे में प्रकाशन हो चुका है. मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अभी तो हमारे संज्ञान में कोई भी प्रकरण नहीं आया है इसलिए कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है मैं उनके इस जवाब से असंतुष्ट हूं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले – अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि 8 दिन पहले समाचार पत्र में आया था उस समय हमने आदेश दिया था उस पर 300 फल सब्जियों की जांच की गई अभी तक किसी में कुछ नहीं पाया गया है मान लीजिए 300 के अतिरिक्त कुछ छूट गई हो तो आप उसकी जानकारी दे दें. हम उस पर कार्यवाही करा लेंगे.

(3) इन्दौर में बिल्डर द्वारा वकीलों के साथ मारपीट किया जाना

श्री जीतू पटवारी (राऊ) – माननीय अध्यक्ष महोदय मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है.

इंदौर में बिगत ग्यारह दिन पहले एक बिल्डर एवं वकीलों के बीच हाथापाई एवं गाली-गलौच के विवाद के बाद वकीलों की एफ.आई.आर. इंदौर के तुकोगंज थाने के अंतर्गत दर्ज नहीं होने से वकीलों में आक्रोश व्याप्त हुआ और उन्होंने चक्काजाम किया तत्पश्चात विवाद बढ़ने से वकीलों ने जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में सभी कार्यो को बंद कर दिया एवं हड़ताल पर चले गये उसके अगले दिन कुछ वकीलों ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी जो आज तक जारी है। इसमें से कुछ वकीलों को हास्पिटलाईज करना पड़ा । वकीलों की मांग है कि तुकोगंज थाने के थाना प्रभारी का निलंबन हो और उक्त बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही हो। एक तरफ वकीलों की हड़ताल से न्यायालय के कार्यो का ठप्प होना और दूसरी ओर जिला पुलिस प्रशासन की हठधर्मिता के कारण आम जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। न्यायायिक कार्य ठप्प हो गये, अदालती कार्य न चलने के कारण इंदौर और आसपास के हजारों लोग दुखी और परेशान है। अत: इस संवेदनशील मुद्दे पर शासन द्वारा गंभीरता से कार्यवाही न करने से क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है।

श्री बाबूलाल गौर – माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 26.06.2014 को थाना–तुकोगंज अन्तर्गत स्थित स्टारलिट टावर में अधिवक्ता तोसीफ वारसी एवं अरूण अग्रवाल के मध्य मोबाईल पर जोर से बातचीत करने के कारण झगड़ा एवं हाथापाई हुई, घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम से तुकोगंज थाने को प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं मौका मुआयना कर, अन्य कोई घटना घटित न हो इसलिए अरूण अग्रवाल पक्ष के लोगों को लेकर थाने आई । तोसीफ वारसी द्वारा अधिवक्ताओं को सूचना देने के कारण बड़ी संख्या में स्टारलिट टावर पर अधिवक्ता एकत्रित होकर हंगामा करने लगे एवं पुलिस पार्टी के साथ झूमाझटकी की तथा अधिवक्तागण बड़ी संख्या में थाने पर आ गये ।

थाना–तुकोगंज पर थाना प्रभारी द्वारा फरियादी तोसीफ वारसी को घटना की सही–सही रिपोर्ट करने हेतु समझाईश दी गई, किन्तु थाना प्रभारी एवं अधिवक्तागणों के मध्य रिपोर्ट लिखने पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिससे अधिवक्तागणों द्वारा नाराज होकर उच्च न्यायालय इन्दौर के गेट नम्बर–2 के सामने एम.जी. रोड़ पर चक्काजाम कर दिया, जिससे आवागमन पूर्णतः अवरूद्ध हो गया । चक्काजाम के दौरान एम.जी. रोड़ से गुजर रहे व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार किया एवं कई वाहन चालकों की गाड़ियों की चाबियां निकाल ली ।

फरियादी तोसीफ वारसी की रिपोर्ट पर आरोपी अरूण अग्रवाल, विनीत अग्रवाल, अरविंद गार्ड, मुन्ना तथा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ थाना–तुकोगंज में अपराध कमांक–415/14 धारा 307, 452, 323, 294, 506, 426, 147 भादंवि. व 25 आर्म्स एक्ट कायम किया गया। फरियादी अभिनेन्द्र सिंह भदौरिया पिता श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी 78 क्लर्क कालोनी इन्दौर के

साथ चक्काजाम के समय चाबी निकाल कर अभद्र व्यवहार किया गया तथा मारपीट की गई, जिसकी लेखी रिपोर्ट पर थाना–तुकोगंज में अपराध क्रमांक 416/14 धारा 341, 323, 147 भादंवि. का कायम किया गया ।

उपनिरीक्षक एन.एम. कुरैशी की रिपोर्ट पर से चक्काजाम करने पर अन्य करीबन 100–150 अधिवक्तागण के खिलाफ थाना तुकोगंज में अपराध क्रमांक 417/14 धारा 341, 147 भादंवि. का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है । फरियादी मुकेश चौहान पिता अंतर सिंह चौहान निवासी 201 स्टारलिट टावर वाय. एन. रोड़ इन्दौर द्वारा आरोपी अधिवक्ता तोसीफ वारसी एवं अन्य के विरूद्ध थाना–तुकोगंज में अपराध क्रमांक–418/14 धारा 452, 294, 506, 147 भादंवि. का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है ।

अधिवक्तागण एवं अन्य व्यक्तियों की रिपोर्ट पर त्वारित एवं निष्पक्ष कार्यवाही की गई है । यह कहना सही है कि अधिवक्तागण हड़ताल पर हैं । उपरोक्त घटनाक्रम के सन्दर्भ में पुलिस द्वारा सही समय पर सभी पक्षकारों की रिपोर्ट पर यथोचित वैधानिक कार्यवाही की है । अतः यह कहना सही नहीं है, कि पुलिस प्रशासन की हठधर्मिता के कारण न्यायिक कार्य बंद है एवं जनता परेशान है ।

उक्त सम्पूर्ण घटनाक्रम में पूरी सदाश्यता के साथ कार्य करते हुए अधिवक्तागण की हड़ताल एवं गतिरोध को समाप्त करने हेतु जनहित में इंदौर के तुकोगंज थाने के टीआई कन्हैयालाल दांगी को तत्काल प्रभाव से जांच पूर्ण होने तक सस्पेंड किया जाता है.

श्री जीतू पटवारी - धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने यह बात शून्यकाल में भी कही थी. परन्तु यह मांग मेरी ध्यानाकर्षण की नहीं थी कि टीआई को सस्पेंड किया जाय. जो वकीलों द्वारा पिछले 15 दिनों से कार्यवाही नहीं करने के कारण उच्च न्यायालय बंद है, जिला न्यायालय बंद है. लगभग 1 लाख पेशी रोज

वहां लगती है, इतने दिन न्यायालय बंद रहा तो न्यायालय का काम सुचारु रूप से चल सके , शासन का कोई प्रतिनिधि उनके पास जाकर या समझाकर जिससे वकीलों की हड़ताल खत्म हो सके, इसके लिए प्रयास करेगा?

श्री बाबूलाल गौर - अध्यक्ष महोदय, पूरी कोशिश की गई. लेकिन अधिवक्तागण की यह मांग थी कि तत्काल कन्हैयालाल दांगी को सस्पेंड करें.

श्री जीतू पटवारी - अध्यक्ष महोदय, अधिवक्तागण की एक और मांग थी कि जो उन पर कार्यवाही हुई है, जो उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, उसको भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाय या उनको भी वापस लिया जाय. उन पर दर्ज मुकदमें वापस किये जायं. इस पर सरकार का कोई ध्यान है? अध्यक्ष महोदय, वकीलों की मांग के आधार पर उन्होंने टीआई को सस्पेंड किया है. वकीलों की दो और मांग थी कि उक्त जो बिल्डर है, उस पर कार्यवाही हो. माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि पूरे प्रकरण में 4 एफआईआर हुई है, 4 एफआईआर में एक मांग थी कि बिल्डर पर कार्यवाही हो. दूसरी मांग थी कि जो वकीलों पर प्रकरण लगे हैं, वे वापस हों. तीसरी मांग थी कि जो पुलिस प्रशासन के दोषी अधिकारी हैं, उन पर कार्यवाही हो, इसके बारे में बताएं?

श्री बाबूलाल गौर - अध्यक्ष महोदय, जांच पूर्ण होने के बाद ही इसके आगे की कार्यवाही होगी.

श्री जीतू पटवारी - अध्यक्ष महोदय, सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल या सरकार का कोई मंत्री या कोई पदाधिकारी जाकर वकीलों से बात करके हड़ताल तुड़वाने के साथ न्यायालय की प्रक्रिया जल्दी चालू हो, इसके लिए कोई प्रयास करेंगे क्या?

श्री बाबूलाल गौर - अध्यक्ष महोदय, जो मैंने कहा है वह काफी है.

श्री जीतू पटवारी - आपको धन्यवाद .

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर) - अध्यक्ष महोदय, यह काफी गंभीर विषय है. माननीय मंत्री जी का मैंने जवाब सुना. जवाब में माननीय मंत्री जी ने ही स्वीकार किया है कि जब यह विवाद चल रहा था तो पुलिस मौके पर पहुंची और घटना घटित न हो, इसके लिए अरुण अग्रवाल, विनीत अग्रवाल, अरविन्द गार्ड और अन्य लोगों को थाने में ले गई और वकील भी थाने में पहुंचे. वहां रिपोर्ट लिखाई, उस समय ये अपराधी

वहीं थे. इनको क्यों छोड़ा गया?किस कारण से छोड़ा गया? अध्यक्ष महोदय, आपने टीआई को तो निलंबित कर दिया. तीन प्रकरणों में प्रकरण क्रमांक 416 में आपने लगभग 60 वकीलों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है.

417 में लगभग 150 वकीलों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है. और 418 में तोसीफ वारसी एवं अन्य 300 वकीलों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है. अध्यक्ष महोदय, आज भी 7 वकील निरंतर भूख हड़ताल पर हैं, एक वकील अस्पताल में है, मैं नाम भी बतादूं श्री दिलीप विशाल राम टेके एडवोकेट जो नोबल अस्पताल में भर्ती है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया प्रश्न करें.

श्री रामनिवास रावत— मंत्री जी क्या क्या आप प्रकरण क्रमांक 416/14, 417/14, 417/18 जो वकीलों के खिलाफ कायम किये गये हैं. क्या उनको वापिस लेंगे? मेरा यह निवेदन है. ताकि यह भूख हड़ताल समाप्त हो और न्यायालय में कामकाज सुचारू रूप से चले और दूसरा प्रश्न यह है कि जो बिल्डर्स प्रकरण करते समय थाने में थे , उनको आपकी पुलिस ने जाने दिया क्या उनको तत्काल गिरफ्तार करेंगे?

श्री बाबूलाल गौर-- अध्यक्ष महोदय, मैने पहले भी उत्तर दे दिया और जांच पूर्ण होने के बाद ही कार्यवाही होगी.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईन्टेड प्रश्न है. क्या मंत्री जी इन तीनों प्रकरणों जो अधिपत्ताओं के खिलाफ कायम किये गये हैं इनको वापिस लेने की कार्यवाही करेंगे?

अध्यक्ष महोदय—उन्होंने उत्तर दे दिया है.

श्री बाबूलाल गौर—जांच होने के बाद ही होगा.

श्री रामनिवास रावत- बिल्डरों को आप कब तक गिरफ्तार करने की कार्यवाही करेंगे.

अध्यक्ष महोदय—श्री दिलीप सिंह शेखावत अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें .

श्री रामनिवास रावत- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच किससे करवायेंगे? हाईकोर्ट के वकीलों का मामला है. जांच के लिए किस अधिकारी को भेजेंगे ,क्या यहां से भेजेंगे.

अध्यक्ष महोदय—एफ आई आर के बाद जो सामान्य जांच होती है उसकी बात कर रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, सामान्य जांच नहीं. यहां से अधिकारी भेज कर जांच की जाय (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—नहीं , कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते. किस विषय की जांच?

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, उस समय तो वो चालान कर देंगे. आज भी वकील हड़ताल पर हैं. उसके बाद तो वो चालान कर देंगे और अपराधियों को कब तक गिरफ्तार करेंगे.? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वे मना कर दें.

(4) **खाचरौद-रतलाम सड़क मार्ग का घटिया निर्माण होना**

श्री दिलीप सिंह शेखावत(नागदा-खाचरौद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है--

खाचरौद-रतलाम सड़क व्यवसायिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से आवागमन को लेकर यह महत्वपूर्ण सड़क मार्ग विशिष्ट स्थान रखता है इस सड़क मार्ग पर ग्रेसिम, केमिकल-लैन्सेक्स जो की एशिया के सबसे बड़े उद्योग है इनके कारण भारी वाहन गुजरतें है इसलिए इन्डस्ट्रियल कॉरीडोर की 14 वीं बैठक में चार लेन की सड़क की मांग की गई। खाचरौद मटर फली में मध्य प्रदेश का दुसरे नम्बर का उत्पादन का क्षेत्र है। महाराष्ट्र, गुजरात, झाबुआ, राजस्थान,रतलाम के धार्मिक लोग उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए इसी मार्ग से जाते हैं । सिंहस्थ की दृष्टि से भी यह मार्ग महत्वपूर्ण है। दो वर्ष पूर्व ही यह मार्ग बना था, किन्तु घटिया निर्माण के कारण पुराने अस्तित्व में आ गया। सड़क खराब होने के कारण उद्योगपति, किसान,व्यापारी व आमजन में आक्रोश है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय,

उक्त मार्ग केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत दो हिस्सों में स्वीकृत हुआ था। प्रथम स्वीकृति (जॉब कमांक सी.आर.एफ/एम.पी./2008/09/169) खाचरौद मलवासा लंबाई 13.175 कि.मी. थी, जिसकी राशि रू. 1110.52 लाख की थी, दूसरी स्वीकृति जॉब कमांक सी.आर.एफ/एम.पी./2008/09/170) रतलाम से मलवासा लंबाई 15.00 कि.मी. की थी, जिसकी राशि रू. 1245.93 लाख थी। उक्त दोनों स्वीकृति भारत सरकार, पोत परिवहन सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के पत्र कमांक एम.एच. 1234/463/202/एम.पी./एन.एच.–5 दिनांक 22.12.2008 द्वारा प्राप्त थी।

मार्ग की कुल लंबाई 28.175 कि.मी. एवं स्वीकृत राशि रू. 2356.45 लाख थी। इस कार्य का ठेका मेसर्स शेपर्स कन्स्ट्रक्शन लि. भोपाल को दिनांक 12.08.2009 को दिया गया था एवं निर्माण की अवधि 15 माह निर्धारित थी।

उक्त कार्य दिनांक 05.11.2012 को पूर्ण हुआ। कार्य के प्रथम भाग पर रू. 1142.62 लाख एवं द्वितीय भाग पर रू. 1051.89 लाख खर्च हुए इस प्रकार कुल व्यय रू. 2194.50 लाख हुआ। प्रथम भाग का कार्य दिनांक 25.10.2011 एवं द्वितीय भाग का कार्य 05.11.2012 को पूर्ण हुआ। अनुबंधानुसार परफारमेंस ग्यारंटी की अवधि 3 वर्ष है। चूंकि अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित कार्य दिनांक 05.11.2012 को पूर्ण हुआ है, अतः ठेकेदार को मार्ग का संधारण तीन वर्ष अर्थात दिनांक 04.11.2015 तक करना है। कार्यपालन यंत्री द्वारा निरीक्षण उपरांत ठेकेदार को दिनांक 01.03.2014, 12.03.2014, 15.04.2014 एवं 29,05.2014 को नोटिस देने के उपरांत भी ठेकेदार द्वारा संधारण नहीं करने के कारण विभाग द्वारा ठेकेदार की बैंक ग्यारंटी के रूप में जमा राशि रू. 207.53 लाख को राजसात करने का निर्णय लिया जाकर पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोविन्दपुरा शाखा भोपाल को दिनांक 23.06.2014, 24.06.2014 एवं 25.06.2014 को व्यक्गित रूप से बैंक गारंटी नगदीकरण हेतु प्रस्तुत की गई, किन्तु बैंक द्वारा नगदीकरण की कार्यवाही ना करने के कारण उक्त राशि राजसात नहीं हो पायी। जिसकी सूचना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को कार्यपालन यंत्री के पत्र दिनांक 03.07.2014 एवं 04.07.2014 द्वारा दी गई है। (उज्जैन संभाग के अंतर्गत बैंक ग्यारंटी रू.108.40 लाख की वैद्यता दिनांक 25.10.2014 तक तथा रतलाम संभाग के अंतर्गत रू. 99.13 लाख की मुख्यतः 08/2014 से 29.12.2014 तक है) अधीक्षण यंत्री द्वारा दिनांक 30.10.2013, 28.02.2014 एवं 03.06.2014 को तथा मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 03.06.2014 को मार्ग का निरीक्षण किया गया।

दिनांक 27.06.2014 को माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 2079/2014 में स्थगन दिये जाने के कारण बैंक द्वारा नगदीकरण में असमर्थता व्यक्त की। वर्तमान में मार्ग के प्रथम 13.00 कि.मी. का 40 से 50 प्रतिशत भाग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है एवं शेष लंबाई में भी मार्ग स्थान–स्थान पर क्षतिग्रस्त है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के संबंध में शीघ्र याचिका प्रस्तुत कर स्थगन रिक्त करवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

औद्योगिक, धार्मिक, कृषि एवं सिंहस्थ की दृष्टि से यह मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण मार्ग को फोरलेन मार्ग निर्मित करने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कराया जावेगा।

श्री दिलीप सिंह शेखावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि नवम्बर,2012 में यह रोड पूर्ण हुई और मात्र 7 महीने के अन्दर 50 प्रतिशत यह रोड खत्म हो चुकी है. मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आपने ठेकेदार की मार्जिन मनी तो फोरफिट कर ली लेकिन जिन जिम्मेदार अधिकारियों की वहां पर ड्यूटी थी, आपने अपने उत्तर में कहीं पर भी यह जानकारी नहीं दी कि उन अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की? दूसरा मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने खुद ने स्वीकार किया और जैसा मैंने माननीय मंत्री जी को बताया कि अगर रतलाम से उज्जैन किसी को जाना है तो उसको 140 कि.मी. जाना पड़ता है और अगर यह खाचरौद-रतलाम रोड बनती है तो मात्र 95 कि.मी. में यह सफर तय होता है. धार्मिक और औद्योगिक नगर होने से तथा नागदा में ग्रसिम इण्डस्ट्री एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है, वहां लगभग 2 हजार टल रोज का उत्पादन होता है. मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो 50 प्रतिशत रोड पूर्णत: खत्म हो गई है,आपने बताया कि उन्होंने स्टे ले लिया तो मेरा निवेदन है कि विभाग से पैसों की व्यवस्था करके उस रोड को बनायें, नहीं तो कम से कम उस रोड की रिपेयरिंग करावा दें और जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी के अंदर यह कार्य सम्पन्न हुआ था उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे और कब तक करेंगे और उस जांच में आप क्या मुझे सम्मलित करेंगे?

श्री सरताजसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी सड़क के निर्माण में जो अनुबंध किया जाता है उसमें परफार्मेंस गारंटी इसी काम के लिए रखी जाती है कि अगर सड़क में कोई खराबी आती है तो उस परफार्मेंस गारंटी के अंतर्गत उसको उसकी रिपोयर करना होगी लेकिन इसमें ठेकेदार ने कोर्ट से स्टे लिया है

और स्टे लेने की कार्यवाही को हमने वेकेट कराने का प्रयास शुरु किया है और वह वेकेट हो जाएगा और जो 204 लाख की परफार्मेंस गारंटी है उससे इस रोड को रिपेयर करा दिया जाएगा.

श्री दिलीपसिंह शेखावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर स्टे वेकेट नहीं हुआ तो उसरोड में डेढ़-डेढ़ फिट के गड्ढे हैं वह पूरा मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा तो कम से कम आप मुझे यह आश्वासन तो दे दें कि अगर स्टे वेकेट नहीं होगा तो विभाग से कम से कम उसका रिपेयरिंग का काम तो हो जाएगा,इतना आश्वासन मंत्री जी कम से कम दे सकते हैं और दूसरा जो मैंने निवेदन किया है कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे तो उन अधिकारियों को आप क्यों बचाना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाएं. आपके दोनों प्रश्न आ गए हैं.

श्री रामनिवास रावत- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों को क्यों बचाना चाह रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- दोनों प्रश्नों का मैंने बोला है. कृपया आप बैठ जाएं.

श्री सरताज सिंह--- अधिकारियों को बचाने का कोई प्रश्न नहीं है यह मामला मेरे संज्ञान में आज आया है अब इसके बाद अधिकारी औऱ ठेकेदार पर कार्यवाही की जाएगी औऱ परफार्मेंस गारंटी से इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाएगा.

अध्यक्ष महोदय-- वह रिपयेर के बारे में पूछ रहे हैं कि स्टे के बावजूद रिपेयर करा सकेंगे क्या.

श्री सरताज सिंह-- मुझे पूरा विश्वास है कि परफार्मेंस गारंटी का जो स्टे है वह बहुत जल्दी वेकेट हो जाएगी औऱ उस गांरटी से उस काम को करा दिया जाएगा.

श्री दिलीप सिंह शेखावत--- अध्यक्ष महोदय , केवल एक प्रश्न और है कि माननीय मंत्री महोदय, दुनिया विश्वास से चलती है लेकिन मैंने बहुत विनम्रता से निवेदन करा है कि अगर स्टे वेकेट नहीं होगा तो मुझे आप समय बताये कि एक महीने में इसको रिपेयर कर दिया जाएगा.

12.16 बजे.

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय-- आज की कार्यसूची में उल्लेखित माननीय सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत की हुई मानी जाएंगी.

12.17 बजे

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय :- कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 2014 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है:-

क्रमांक	नाम शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक,2014 (क्रमांक 15 सन् 2014)	1 घन्टा
2.	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 16 सन् 2014	30मिनट
3	मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)अधिनियम,1994 की धारा 19 के अंतर्गत उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 पर चर्चा.	1 घन्टा
4	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2011-2012 पर चर्चा.	1 घन्टा
	ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा न मिलने की ओर सर्वश्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा,कमलेश्वर पटेल,रामनिवास रावत,सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा	1घन्टा 30 मिनट
	प्रदेश में अवर्षा की स्थिति पर श्री गिरीश गौतम, श्रीमती अर्चना चिटनीस, सर्वश्री राजेन्द्र पांडे, अमर सिंह यादव,रमाकांत तिवारी,श्रीमती नीलम अभय मिश्रा, श्री रामनिवास रावत, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा	1घन्टा 30 मिनट

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार दिनांक 11 जुलाई,2014 से दिनांक 22 जुलाई,2014 तक सभा की बैठकों में भोजनावकाश न रखा जाए.

अब, इसके संबंध में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे.

राज्यमंत्री (संसदीय कार्य विभाग (श्री शरद जैन):- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उसे सदन स्वीकृति देता है.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रश्न यह है कि-

जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उसे सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12.20 बजे

वर्ष 1014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री सरताज सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को

अनुदान संख्या - 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए दो हजार सात सौ तिरासी करोड़, नब्बे लाख, चवालीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए पॉच सौ पैंतीस करोड़, बावन लाख, अठानवे हजार रुपये,
	तक की राशि दी जाय.
अध्यक्ष महोदय :-	प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय-----उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

लोक निर्माण मंत्री की अनुदान मांगों की संख्या 24 एवं 67 पर चर्चा हेतु कार्यमंत्रणा समिति ने 1.30 मिनट का समय निर्धारित किया है तद्नुसार दलीय शक्ति के अनुसार निम्नानुसार समय आवंटित है.

भारतीय जनता पार्टी	1 घंटा 4 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	21 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	3 मिनट

निर्देलीय 2 मिनट

सहमति अनुसार कांग्रेस पक्ष के 7 व भाजपा के 10 सदस्य ही चर्चा में भाग ले सकेंगे . सभी सदस्य समय सीमा का भी ध्यान रखेंगे.

डॉ. गोविंद सिंह(लहार)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं अभी तक यह परपंरा थी कि जब किसी विभाग का बजट आता है तो प्रशासकीय प्रतिवेदन पहले प्रस्तुत किये जाते हैं . परन्तु मैं लगातार देख रहा हूं कि जब विभाग के बजट पर चर्चा प्रारंभ हो जाती है तब प्रतिवेदन आते हैं इस कारण न तो हम उसकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं ना कुछ बोल पाते हैं. इस विभाग पर कल चर्चा थी, तब कल यहाँ आकर लोक निर्माण विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन मिला. परसों रात तक कोई प्रतिवेदन नहीं मिला. ऐसा अन्य विभागों के द्वारा भी हो चुका है.

अध्यक्ष महोदय-- इस विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन बंट गये हैं.आगे से इसका ध्यान रखेंगे.

डॉ. गोविंद सिंह--- हमको पहले से मिल जाए तब ही तो पढ़ पाएंगे. अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आप विभागों को निर्देशित कर दें, विभाग वाले निरंकुश होते चले जा रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांगों के विरोध औऱ कटौती प्रस्तावों के समर्थन में मैं अपनी बात कह रहा हूं . यह लोक निर्माण विभाग बनाने का विभाग है इसलिए हमारा मंत्री जी से अनुरोध है कि पूर्व में तत्कालीन मंत्री थे, उनकी भी बड़ी ईमानदारी की छाप थी लेकिन चार-पांच वर्षों में उनकी छाप लोक निर्माण की जगह नोट निर्माण मंत्री की बन गई. मंत्री जी , अभी आपकी छवि साफ-सुथरी है , अभी आप पर कोई आरोप नहीं लगा है. इसीलिए इस विभाग में हमारा आपसे अनुरोध है कि जो विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है उस पर अंकुश लगाये. साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आपने 2013- 14 के प्रशासकीय प्रतिवेदन में नेशनल हाईवे की सड़कें 47.9 किलोमीटर बताई हैं , स्टेट हाईवे 10,939 किलोमीटर बताया है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 19,429 किलोमीटर बताई हैं और ग्रामीण सड़कें 26,882 किलोमीटर बताई हैं. जो प्रशासकीय प्रतिवेदन अभी मिला उसमें विभाग के अंतर्गत 61,554 किलोमीटर कुल सड़कें मध्यप्रदेश में होना बताई हैं. लेकिन जो 18 फरवरी 2014 को राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया था उसमें 90000 किलोमीटर सड़कों का उन्नतिकरण और निर्माणकरण बताया था. तो पहले 61,554 बताया गया फिर

90,000 बताया गया और 1 जुलाई 2014 को माननीय वित्तमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया कि 1,25,300 किलोमीटर सड़कें हैं

12.25 बजे

{ उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए }

डॉ.गोविन्द सिंह(जारी)--

तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी तरक्की कैसे हो रही है. एक वर्ष में 35 हजार से अधिक किलोमीटर सड़कें आपने बना डालीं. यह कहीं न कहीं आपके आँकड़ों में विसंगतियाँ हैं. आपने घोषणा पत्र में 2008 में और 2013 में चुनाव के समय वादा किया कि हम फोर लेन सड़कें संभाग स्तर पर बनाएँगे. टू लेन जिला स्तर पर बनाएँगे लेकिन अभी तक इसमें आपकी प्रगति ना के बराबर है, पिछले साढ़े पाँच वर्षों में, आप इसमें गति दें और जो आप जनता से वायदा करके सरकार में आए हैं उसको निभाएँ. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके विभाग की सड़कों के बारे में कुछ जिक्र करना चाहता हूँ. आपने विभाग को तीन हिस्सों में बाँट दिया है. एक तो लोक निर्माण विभाग, उसी के अधीनस्थ रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन और तीसरी एक नई और पकड़ ले आए, पीआईयू, यह पीआईयू क्या है, कौनसी चिड़िया है पीआईयू और बना दिया.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- उपाध्यक्ष महोदय, अभी वह चिड़िया गोविन्द सिंह जी के हाथ में आई नहीं है.

उपाध्यक्ष महोदय-- गोविन्द सिंह जी सोन चिड़िया वाले हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- उपाध्यक्ष महोदय, सोन चिड़िया खत्म हो गई है.

डॉ.गोविन्द सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से कह देना चाहता हूँ कि आपका जो विभाग है आपने इस वर्ष बजट में 2700 करोड़ रुपये का प्रावधान एक वर्ष में सड़कों के लिए रखा है. सड़क विकास निगम, जो सड़कों के लिए काम कर रहा है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं. उसमें चालीस हजार करोड़ रुपये के आपने काम बुक किए हैं. उसमें प्रदेश की बीओटी, एनओटी और तमाम सड़कें बना रहे हैं.

एशियन विकास बैंक से कर्जा लेकर, नाबार्ड से, जो सड़कें आप बना रहे हों, उसमें चालीस हजार करोड़ से अधिक का काम है. सड़क विकास निगम तो सड़कों के लिए बना है लेकिन उसके अलावा आप भवन भी बना रहे हैं. मध्यप्रदेश भवन, मध्यांचल का, मुंबई में और आपके 24 टोल नाके भी इसी में बना रहे हों. सड़क विकास निगम ने कई वर्षों से काम ले लिया है लेकिन अभी तक केवल दो टोल नाके बन पाए बाकी के बने नहीं हैं. आपके लोक निर्माण विभाग में करीब 9 मंडल हैं, चीफ इंजीनियर कार्यालय हैं, 93 संभाग हैं और करीब 284-285 उपसंभाग हैं और उसके लिए आप केवल 2700 करोड़ में काम करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय-- डॉक्टर साहब, आप कितना समय और लेंगे?

डॉ.गोविन्द सिंह-- अब आप ऐसा करो समय दें ही नहीं यह ज्यादा अच्छा है. प्रथम वक्ता हैं एक लाइन हो नहीं पाई क्यों यह सदन चल रहा है, खत्म कराओ. अभी शुरुआत हुई नहीं है और आपने कह दिया कितना समय लेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय-- कार्य मंत्रणा समिति ने जो समय डेढ़ घंटे....

डॉ.गोविन्द सिंह-- अभी तो हमारे दल के समय की शुरुआत हुई है.

उपाध्यक्ष महोदय-- डॉक्टर साहब, आपको बोलते हुए सात मिनट हो गए हैं.

डॉ.गोविन्द सिंह-- पाँच मिनट हो गए हैं तो आधा मिनट में ही कर दूँ.

उपाध्यक्ष महोदय-- सात मिनट हो गए.

डॉ.गोविन्द सिंह-- (xxx)

उपाध्यक्ष महोदय-- नहीं, यह गलत बात है. इस तरह से आप आक्षेप नहीं लगा सकते.

डॉ.गोविन्द सिंह-- आक्षेप नहीं....

उपाध्यक्ष महोदय-- यह कार्यवाही से निकाला जाए. यह गलत बात है. आप सात मिनट बोल चुके हैं मैंने आप से पूछा...

डॉ.गोविन्द सिंह-- अभी शुरुआत तो हुई है. हमने 12.25 पर शुरू किया है.

उपाध्यक्ष महोदय-- मैं भी घड़ी देख रहा हूँ.

डॉ.गोविन्द सिंह-- आपकी इच्छा नहीं है तो ठीक है.

उपाध्यक्ष महोदय-- नहीं, मैंने क्या कहा आप सुन नहीं रहे हैं. मैंने पूछा कि आप कितना समय और लेंगे.

डॉ.गोविन्द सिंह-- टाइम थोड़ा हमें मिलना चाहिए, 5-7 मिनट.

उपाध्यक्ष महोदय-- दल के लिए कुल 21 मिनट आवंटित हैं.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री मानवेन्द्र सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, जब कल समय दे रहे थे तो आप कह रहे थे कि हम क्या बंधुआ मजदूर हैं.

डॉ.गोविन्द सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, अब ठीक है, हम कुछ कहना नहीं चाहते.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप जारी रखें, डॉक्टर साहब, समय का ध्यान रखें.

डॉ.गोविन्द सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कर रहा हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप निःसंदेह प्रथम वक्ता हैं लेकिन संक्षेप में करें.

डॉ.गोविन्द सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, चालीस हजार किलोमीटर सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बन रही हैं और मैं आप से यह भी कहना चाहता हूँ आपके सड़क विकास निगम में केवल तीन मंडल हैं, चीफ इंजीनियर हैं, इतना बड़ा काम कैसे करेंगे. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अधिकारी, कर्मचारी, आप विभाग में चार चार, पाँच पाँच साल से बैठाए हुए हैं, वे धन और सत्ता के मद में मदांध हो चुके हैं, मनमाने काम कर रहे हैं. सड़कों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, निम्न गुणवत्ता की सड़कें बन रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 मार्च 2013 को, हमारे क्षेत्र में एक सड़क एशियन डेवलपमेंट बैंक से बन रही है, गंगोत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है. लगातार 58 शिकायतें कर चुके, विधान सभा में दो तीन बार मसला आ चुका. लोकायुक्त में मय शपथ पत्र के हमने जाँच की मांग की है और जब शपथ पत्र देते हैं तो कानून में प्रावधान है कि अगर हमारा शपथ पत्र गलत होगा तो हमारे ऊपर भी वैधानिक कार्यवाही होगी. तत्कालीन माननीय मंत्री जी ने 8 मार्च को विधान सभा में घोषणा की थी कि 22 मार्च के बाद सड़क की जाँच कराई जाएगी. अटेर क्षेत्र के तत्कालीन विधायक माननीय अरविन्द सिंह भदौरिया ने भी यहाँ सदन में

कहा था कि मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ, यह हमारे पास कार्यवाही है, कि इस सड़क में वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है गंगोत्री, उसने आकर कहा कि चुनाव में 50 गाड़ियाँ और आपको डीजल और पैसा देंगे. मंत्री जी ने कहा था कि जाँच कराएँगे क्यों नहीं हुई जाँच? क्या कारण है. जो अधिकारी बैठे हैं, एमडी, तीन तीन चार चार साल से, उनकी भी संपत्ति की जाँच होना चाहिए जनप्रतिनिधियों की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे. क्यों निरंकुश हो गए हैं. अगर जाँच करेंगे तो पोल खुलेगी और मैं आप से कह देना चाहता हूँ अगर आपको न्याय नहीं मिला, जिस प्रकार देवपुत्र पत्रिका में सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की और 11 करोड़ रुपये वापस करके जमा किया, जो भ्रष्टाचार में गोलमाल कर गए थे, उसी प्रकार अब मैं न्यायालय में भी जाऊँगा, अंतिम छोर तक लड़ूँगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारियों को मैं सबक सिखाऊँगा. मुझे आप से उम्मीद है कि आप जब बिल्कुल ईमानदार, साफ सुथरे हैं, तो अपनी छवि इसी प्रकार बनाए रखें और न्याय करें. इसके साथ कंसलटेंसी, कंसलटेंट बना दिए, आपके प्रावधान हैं, कंसलटेंसी में नियम है कि आप जो विभाग में ठेकेदारी कर रहे हैं वह नहीं करेंगे....

उपाध्यक्ष महोदय-- डॉ.गोविन्द सिंह जी, दो मिनट में समाप्त कर दें.

डॉ.गोविन्द सिंह-- जो विभाग के, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं वे उसी में बने हुए हैं, उन्हीं को आप कंसलटेंसी दे रहे हों, 10-10 करोड़ के ठेके दे रहे हों. जबलपुर उच्च न्यायालय ने आपके उसमें टिप्पणी की है, नोटिस जारी किए हैं....

श्री सरताज सिंह-- आप उनका नाम बताएँगे.

डॉ.गोविन्द सिंह-- मैं आपको नाम बता दूँगा, 2-3 हैं, आपको तो पता चल जाएगा कंसलटेंट कौन कौन चीफ इंजीनियर रहे हैं यहाँ. एक नाम तो अभी कंसलटेंसी का अभी देखकर आपको लिख कर दे दूंगा. एक है, मेसर्स थीम इंजीनियरिंग सर्विस और एक हमारे चीफ इंजीनयर था, आर.के.मिश्रा है, भिंड का ही है, चीफ इंजीनियर से रिटायर हुआ है, उसने खोल ली, ठेकेदारी करता है, कंपनी बनाकर भाई भतीजे कर रहे हैं और उनको आपने कंसलटेंसी दे दी और वे उसमें भी गोलमाल कर रहे हैं. इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि लहार, सेवढ़ा-चौरई नदीगाँव मार्ग है, यह भी सड़क विकास निगम बना रहा है. इसमें करीब दो वर्ष से पहले मिट्टी डालकर बना दी, मुरुम डाल दी, हमने शिकायत की, अभी काम रोक दिया गया है.

लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस गंगोत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 10 से 12 लाख क्यूबिक मीटर की फर्जी खुदाई और कटिंग एंड फिलिंग के नाम से फर्जी पेमेंट लिया है. वह हमने शपथ पत्र दिया है उसकी जाँच आज तक क्यों नहीं हुई. मौके पर अगर जाँच होगी तो कलई खुल जाएगी. मिट्टी, मुरुम का प्रावधान नहीं है, मिट्टी में डालकर ऊपर से जैसे क्रीम पावडर लगाकर चेहरा खूबसूरत करते हैं, ऊपर से लाकर इन्होंने अभी जल्दी से जल्दी चिकनी परत डालकर बढ़िया सड़क बना रहे हैं. इधर बन रही है, उधर उखड़ रही है. अभी आप मौके पर चलकर देख लीजिए और गंगोत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी के जितने काम हैं, जहाँ जहाँ भी किए हैं, सब गुणवत्ताहीन रहे, एक वर्ष में ही सड़क उखड़ गई. हमारा अनुरोध है कि आप देखें. ऐसा ही एक मार्ग है हटा से लेकर गौसावद मार्ग, उसमें भी 65 करोड़ का भुगतान हो गया. काम नहीं है, सड़क इधर बनी, कहीं दो दो फिट के गड्ढे हो गए. इनमें गुणवत्ताहीन काम हैं. डामर भी नहीं उखाड़ा है, चप्पड़ तो उखाड़ना चाहिए पुराने डामरीकरण की, वह भी नहीं उखाड़ी, न स्टेट हाई वे नंबर 45 में और न आपके गौसावद हटा वाली सड़क पर. इसी प्रकार मैं आप से कह देना चाहता हूँ कि आपके सब इंजीनियर के तमाम पद खाली पड़े हैं. हमारे लहार में सब डिवीजन दो हैं 12 स्वीकृत हैं, 4 पदस्थ हैं, वह भी सात वर्ष से सहायक यंत्री के पद खाली पड़े हैं. कार्यपालन यंत्री का पद भी भरिये. हमने विधान सभा में **3-4** मांगें की थीं और उस पर विधान सभा का **2** वर्ष पूर्व का आश्वासन है. आलमपुर-रतनपुरा, आलमपुर-देवरी, आलमपुर-खिरिया, लहार बाई पास मार्ग, मोह बहट एवं अन्य मार्गों के बारे में कहा गया था कि यह मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण पुनर्निर्माण के लिये निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं. तीन वर्ष हो गये हैं यह निविदायें कब होंगी. दस वर्षों से इन सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ है, गड्ढे हो गये हैं, चलना मुश्किल है. एक सड़क है मेहोना मछरिया मार्ग यह टेक्नीकल स्वीकृत हो गई है और आपके विभाग में पड़ी हुई है भविष्य में बजट आये तो इसे बनायें यह हमारा अनुरोध है, बाकी आपकी इच्छा है.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी अधिकारियों पर अंकुश लगायें कई अधिकारी वर्षों से जमे हुए हैं वे सत्ता और पैसे के मद में मदान्ध हो गये हैं निरंकुश हो चुके हैं इनको कोई परवाह नहीं है न तो राज्यपाल की और न ही लोकपाल की ये तो जेल में जायेंगे ही लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्रीजी को जरा बचाइये. व्यापम जैसा घोटाला इसमें भी हो रहा है अभी नहीं तो **4-6** महीने बाद यह

घोटाला सामने आयेगा. आप मुख्यमंत्रीजी को समझायें कि वे अधिकारियों के ऊपर पूरा विश्वास न करें. यह पूरे प्रदेश को खोखला कर रहे हैं.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा (शुजालपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या **24** व **67** के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सड़कों के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी और आमूलचूल परिवर्तन हुआ है. गांवों और शहरों के मार्गों के विकास के लिये जो काम किया गया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है. वर्ष **2003** में प्रदेश का कुल बजट बहुत कम था और जो सड़कें थीं उनका नवीनीकरण भी नहीं हो पाता था उनका पेंचवर्क भी नहीं हो पाता था. पिछले **10** सालों में सड़क निर्माण के जो आंकड़े आये हैं, जो बजट आया है वह सचमुच प्रशंसनीय काम है. सड़कें बनाने का अपने आप में एक बड़ा काम हुआ है. विभाग ने अभी यह तरीका अपनाया है कि सड़कें और अच्छी कैसे बनाई जायें, टू-लेन, फोर-लेन कैसे बनायी जायें, बाय-पास कैसे बनाये जायें, अंडरब्रिज व ओवर ब्रिज का काम कैसे किया जाये. प्रदेश में **24** रेलवे फाटक ऐसे थे जहां से लोगों को जाने-आने में असुविधा होती थी उन पुलों को वर्ष **2014-15** के बजट में शामिल किया गया है. इससे अनेक गांवों को लाभ मिलेगा. इस योजना में साफ्टवेयर के माध्यम से काम का मजबूतीकरण, सड़कों का संधारण साथ ही जितने नये काम हैं उनको इसमें हम देख सकेंगे. यह सुविधा जनता को विभाग देने जा रहा है. पहले सड़कें टूट-फूट जाती थीं तो फिर उनका संधारण होता था अब सड़कों का संधारण न करना पड़े इसके लिये यह नीति अपनाई गई कि हम मजबूत सड़कें कैसे बनायें, सड़क की क्वालिटी कैसे मेंटेन करें इस पर विशेष आयोजन किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने युवाओं के लिये जो क्वालिफाइड इंजीनियर बन जाते हैं उन्हें स्वरोजगार कैसे दिया जाये वे ठेकेदारी में कैसे आ जायें उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिये काम किया गया है. मध्यप्रदेश इस काम में अग्रणी हुआ है. हम इस माध्यम से युवाओं को रोजगार दे पायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, पहले ठेकेदार कार्यालय में जाकर टेंडर फार्म लेते थे इसे पारदर्शी करने के लिये ई-टेंडरिंग की व्यवस्था की गई. रजिस्ट्रेशन की भी ई-टेंडरिंग करने की व्यवस्था की गई है. यह काम सामूहिक रुप से किया गया है. पहले ठेकेदार एक स्थान पर ब्लेक लिस्ट हो जाते थे तो दूसरे स्थान पर

जाकर ठेका ले लेते थे और उनके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती थी. अब तीनों विभागों का संयुक्त रुप से यह पता चल जायेगा कि यदि कोई ठेकेदार ब्लेक लिस्ट हो गया है तो वह इस प्रदेश में कहीं भी अपने नाम से काम नहीं कर पायेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मार्च के बजट में **106** पुल पुलिया बनाये गये. यह एक क्रांतिकारी काम करके लोगों को सुविधा प्रदान की गई है. अभी PIU का उल्लेख आया कि यह कौन सी चिड़िया है और उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी कहा कि अब वह तालाब भी नहीं रहे कि जिसमें से सौन चिड़िया पकड़कर लाकर उन्हें दे दें. लेकिन उन्होंने कहा भी नहीं कि सौन चिड़िया भिजवा दो. आपने उनका मन सौन चिड़िया तक ले जाने का किया था.

उपाध्यक्ष महोदय—डॉक्टर साहब बहुत क्रोधित हो रहे थे इसलिये मैंने उनसे सौन चिड़िया की बात कही थी.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा—पर वे तो और क्रोधित हो गये थे.

श्री के.के. श्रीवास्तव—हाथ में से चिड़िया उड़ जाये तो क्रोधित तो होंगे ही.

डॉ. गोविन्द सिंह—आपको तो किसी नौटंकी में काम करने के लिये भेजना चाहिये आप वहां अच्छा अभिनय कर सकते हो. आप किसी कंपनी में भर्ती हो जाओ.

उपाध्यक्ष महोदय—डॉक्टर साहब आपको किसी ने नहीं टोका था, निर्बाध रुप से आपने भाषण दिया था. अब आप न टोकें.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा—उपाध्यक्ष महोदय, PIU के माध्यम से अधोसंरचना के भवन वे चाहे आंगनवाड़ी के भवन, चिकित्सा के भवन, तहसील के भवन, स्कूल भवन हों जितने भी भवन हों बनेंगे. माननीय मुख्यमंत्रीजी ने और मंत्रीजी ने मानिटरिंग करके जिला स्तर तक इनके कार्यालय और स्टाफ का समुचित काम इस वर्ष पूरा कर दिया है. प्रदेश में समय सीमा में भवनों को बनाने में यह सार्थक व सहायक होगा.

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं विधान सभा का सदस्य नहीं था तब मैंने एक कथन सुना था कि विकास से सरकारें नहीं बनती हैं और इस कथन के साथ तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी का

उदाहरण दिया गया था. कहा गया था कि वे तीसरी बार बिना विकास किये हुए बने थे. वर्ष **2003** में यहां यह बात हुई थी. लेकिन आज गर्व से कह सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की आयी है और वास्तव में जो वर्ष 2003 में प्रधान मंत्री सड़कों का जाल बिछा था, गांव का पलायन शहर की ओर हो रहा था इसको रोकने में प्रधान मंत्री सड़के बहुत सहायक हुई हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपनी सड़के बनायी हैं। यहां पर विषयांतर जरूर हो रहा है एक समय गांव में चर्चा होती थी कि जब व्यक्ति प्रधानमंत्री सड़क से मुख्यमंत्री सड़क पर आता था तो वह कहता था कि यह प्रधान मंत्री सड़क बहुत अच्छी है।

उपाध्यक्ष महोदय:- आज भोजन अवकाश नहीं होगा, माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था माननीय कृषि मंत्री जी की ओर से सदन की लाबी में की गयी है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें।

अब आप और कितना समय लेंगे।

श्री जसवंत सिंह हाड़ा :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस अपने क्षेत्र की बात और कर लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय:- आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने क्षेत्र की बात कर सकते हैं, हम तो वह भी नहीं कर सकते हैं, हमने माननीय मंत्री जी को एक सड़क का प्रस्ताव दिया तो वह भी अस्वीकृत होकर आ गयी। टीकुरी की एक तीन-चार किलोमीटर की एक सड़क है ।

आप इस पर माननीय मंत्री ध्यान देंगे।

डॉ गोविन्द सिंह :- आप भी पूर्व में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसे काम कराते थे वह तरीका आप भी अपनाईये।

उपाध्यक्ष महोदय:- उपाध्यक्ष का पद, दन्तहीन पद है डॉक्टर साहब आप यह तो आप जानते हैं।

श्री विजय शाह :- अगली बार गोविन्द सिंह जी का प्रस्ताव करते हैं हम लोग।

उपाध्यक्ष महोदय:- आप उनको इधर नहीं बैठने देंगे।

श्री विजय शाह :- उपाध्यक्ष जी, यह 15 साल बाद देखेंगे, अभी 15 साल तो हम हैं। उपाध्यक्ष जी हम तो चाहते हैं कि पांच साल बाद आप की कुर्सी पर वह पधारें।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप हमें कुर्सी से पदच्युत क्यों करना चाहते हैं।

डॉ गोविन्द सिंह :- ऊपर की सीढ़ी चढ़कर नीचे नहीं उतरते हैं। केबिनेट मंत्री, गृह राज्य मंत्री नहीं बनते।

श्री शरद जैन :- डॉ. साहब यह आप किसके लिये कह रहे हैं। किसी ओर पर तो लागू नहीं हो रहा है।

श्री जसवंत सिंह हाड़ा :-उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव था कि पीआईयू में टेक्निकल की दृष्टि से बनाये जाते हैं और चूंकि भूमियां बहुत कम होती है तो कलेक्टर जो भी योजना का कोई भवन आता है तो उसमें उनका नक्शा फीट नहीं होता। उनकी जो प्रक्रिया है उसके कारण बहुत काम लंबित हो रहे हैं। अगर कोई मल्टी बिल्डिंग बनाने का काम हो तो समय सीमा में हो, विभाग का जो भूमि आवंटन का समन्वय है, निर्माण का, तकनीकी का और एजेंसी का। इसमें थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां मुख्यमंत्री जी ने दो उच्च स्तरीय ब्रिज दिनांक 20.2.12 में घोषणा की थी और वह बजट में भी स्वीकृत हो गयी थे। उनकी टेन्डर प्रक्रिया भी हो गयी और ए.एस नहीं हुई उसके लिये मैं घूमता रहा, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी घोषणा भी है बजट में भी है, उसका टेन्डर भी हो गया है, पर वह एस के कारण लम्बित है, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर आप ध्यान देंगे। दूसरा अभी मैंने प्रतिवेदन में देखा थी कि मेरे यहां गोंदिया से सुंदर सी जो एक 25 किलोमीटर सड़क है, अभी लोक निमार्ण विभाग द्वारा उसका निर्माण लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो गया है। परन्तु फिर भी एमपीआरडीसी में इसको जोड़ा गया है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा थी कि इसको फिर से क्यों सम्मिलित किया है। दूसरा अनुरोध माननीय निवेदन यह था कि इन कार्यों की वजह से और काम समय सीमा में पूरा हो, एक गंगोत्री कन्सट्रक्शन का विषय आया था, मेरे यहां भी लगभग तीन चार वर्ष से अकोंदिया, सारंगपुर, शुजालपुर कराब चालीस पूर सड़क है। वह सड़क काफी महत्वपूर्ण है, मध्यप्रदेश की स्टेट हाईवे 41 है, उस सड़क में माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से गति तो आयी है, लेकिन उससे संतोष नहीं किया जा सकता उसमें काम करने की आवध्यकता है, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री रजनीश सिंह (केवलारी):- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24, 67 का विरोध रता हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल के सबसे वजनदार कृषि मंत्री और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, सम्माननीय भाऊ साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज दोपहन का भोज दिया और सभी सम्माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया इसके लिये मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और मेरे मामाजी की यह इच्छा है कि यह प्रदेश स्वर्णीम मध्यप्रदेश बनना चाहिये और भानजें होने के नाते मेरी यह इच्छा है कि जहां मामाजी का स्वर्णीम प्रदेश बनेगा वहीं इस भानजें की केवलारी विधान सभा भी स्वर्णीम केवलारी विधानसभा क्षेत्र कहलाये। यह मेरी ललक है। पर क्या बताऊं, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी बड़े सहज और सरल हैं। बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं और मेरे स्वर्गीय पिता के साथी रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- वह अगर इस बार अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते तो केन्द्र में मंत्री रहते ।

श्री रजनीश सिंह :- बिल्कुल उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तो ईश्वर से प्रार्थना थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो सम्माननीय मंत्री जी को मंत्री बनना ही चाहिये ताकि हम अपनी पुरानी पहचान के चलते, आपसे सहयोग ले लेते। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मुझे वह कहावत याद आती है कि चाये से ज्यादा केतली गर्म है। माननीय मंत्री जी से तो हम सब चीज करा सकते हैं, पर नीचे का अमला बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, मेरी व्यथा यह है। मेरे क्षेत्र की लगभग 6 सड़के ऐसी हैं की जो कि बनी और उसके बाद उनका अनुबंध भी पूरा नहीं हुआ और आधी से ज्यादा उखड़ कर चली गयी। उपाध्यक्ष महोदय, सरेखाकला से पाड्याछपारा मेरा ऐसा क्षेत्र है जो बालाघाट जिले से नक्सलाईट क्षेत्र से लगा हुआ है। रोड़ बनी औरउसके बाद उखड़ गयी टेन्डर हुआ और तीन साढ़े तीन करोड़ रूपये शासन ने मंजूर किया, उसके बाद आज तक 6 वर्ष हो गये हैं, उसमें काम चालू हुआ, डेढ़ दो फीट के गड्डे हो गये हैं, लोगों का चलना दूभर है, मैं कैसे कहूं कि हमारी जो माताएं बहनें हैं जो प्रिग्नेंसी में रहती हैं उनको इतनी तकलीफ होती है कि वह अस्पताल नहीं नहीं पहुंच पाती हैं और उन रोड़ के चलते वहीं पर उनकी डिलेवरी हो जाती है। कई महिलाएं बहने दुर्घटनाएं का शिकार हुई हैं। ऐसी विषम स्थिति मेरे क्षेत्र की सड़कों की है।

श्री जसवंत सिंह हाड़ा:- आप एक आध सड़क का नाम तो बता दीजिये।

श्री रजनीश सिंह :- आदरणीय जसवंत सिंह हाड़ा जी बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं एक बात याद दिया दूं कि कांगेस के नेतृत्व में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के नेताओं को क्या मिला था, पगडंडी वाली सड़के, टेड़ी मेड़ी सड़के, जहां पर कि बैलगाड़ी चलती थी तो धूल उड़ा करती थी। और जब आदमी नाते रिश्तेदारी में एक गांव से दूसरे गांव जाता था तो कमीज को कंधे पर रखकर जाता था झोले में रखकर ले जाता था कि धूल धक्कड़ से मेरी शर्ट खराब हो जाएगी जब गांव की सरहद में पहुंचता था फिर कमीज पहनता था और फिर शादी ब्याह के कार्यक्रम में सम्मिलित होता था. कांग्रेस ने इससे निजात दिलाई. मुझे दुख है कि जो कांग्रेस ने उसकी आधारशिला रखी जो नींव रखी उस पर अमल नहीं हो रहा है. मैंने एक सड़क की बात की तो मेरे साथी बड़े उत्तेजित हो गये अभी तो पूरा फरमान बाकी है. दोप से मजगंवा हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी यहां पर हैं वे जानते हैं जिला योजना समिति की बैठक में मैंने कई बार इस बात को रखा. मोटर साईकल से चलना दूभर है क्योंकि दो-दो फुट के वहां गढ्ढे हो गये हैं. मैं अधिकारियों से बात करता हूं तो वे कहते हैं कि यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है और उनसे बात करता हूं तो कहते हैं कि पी.डब्लू.डी. में है. जब दोनों को मिलाकर बात करता हूं कि एक कि.मी. हमारे इसमें, आधा कि.मी. इनके में है साढ़े तीन कि.मी. इसमें है. गुमराह करके और समय-समय बर्बाद करके चले जाते हैं. सिंगौढ़ी से बालीवाड़ा, दो वर्ष हो गये ढाई करोड़ रुपये शासन का स्वीकृत है. मैंने जिला योजना में बात उठाई. अधिकारी गये सर्वे किया खंबे गाड़ दिये और दोबारा घूमकर उन्होंने नहीं देखा यह दो साल से चल रहा है मैंने 6 साल का वृतांत बताया. पलारी से कहानी पूरा आदिवासी क्षेत्र लगता है. पूरे रोड की हालत खराब है. आवागमन की दिक्कत है. हर व्यक्ति को चाहे छात्रों की बात करूं. चाहे बीमार लोगों की बात करूं चाहे अन्य लोगों की बात करूं उसी मार्ग से होकर जाना पड़ता है. झोला से तेंडूटोला,भादूटोला होते हुए लंबा सफर जंगलों के अंदर से होकर जाना पड़ता है. यहां रोड की व्यवस्था नहीं है.

मैं पुलों की बात करूं मेरे क्षेत्र में थावर नदी है जो मण्डला और केवलारी क्षेत्र के बीच में है नैनपुर के बीच में है एक आदिवासी क्षेत्र का गांव आता है गुवरिया, नदी के इस पार गुवरिया गांव है और नदी के उस पार नैनपुर गांव है वहां थावर नदी पर पुल बना था परंतु दोनों तरफ से पुल का कटाव हो गया है

और आआज आवागमन के साधन वहां पर नगण्य हो गये हैं . इस पार से उस पार जाने में छात्रों को, बीमारों को, व्यापारियों को, या उपयोगिता का सामान लेने के लिये, बाजार हाट करने के लिये जाना दूभर हो गया है. मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि थावर नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनवाएं ताकि आवागमन चालू हो सके. इस सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय लोक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं . मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, जिस आसंदी पर आप बैठे हुए हैं उसी आसंदी पर मेरे स्वर्गीय पिताजी बैठे हुए थे और हमारे बैतूल के पूर्व साथी विधायक भाई सुखदेव पांसे जी ने एक प्रश्न उठाया था मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं कि मण्डला में कान्हा जहां पूरे देश और दुनियां भर से पर्यटक आते हैं और देश और दुनियां के पटल पर कान्हा का नाम है. सुखदेव पांसे जी के प्रश्न पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया सर्वे करवाया टीम भिजवाई परंतु आज भी उस पुल की जर्जर हालत है. मेरा निवेदन है कि जो सर्वे हुआ था वर्तमान लोक निर्माण मंत्री जी उस पुल को स्वीकृत कराएं ताकि पर्यटकों को असुविधा न हो. आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

डॉ.मोहन यादव(उज्जैन दक्षिण) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24 और 64 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. लोक निर्माण विभाग यह बात सही है कि आजादी के साथ जितना बड़ा विभाग है जितने इसमें काम करने के आयाम है यह इतना बड़ा काम है जिससे पूरे देश में दुनियां में प्रदेश की छवि बनती है. मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं. मैं इसकी कार्य योजना देख रहा था. मैं सोच रहा था कि हो सकता है यह विभाग कार्ययोजना में पीछे रहेगा लेकिन वर्ष 2014-15 में विभिन्न योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का ब्यौरा देना चाहूंगा. योजना का नाम केंद्रीय योजना, भौतिक सड़क कि.मी., पुल आर.ओ.बी. नग,150, वित्तीय आंकड़ा 205, इस प्रकार से कार्यों का जो आकलन आ रहा है 100 दिवसीय कार्य योजना के लिये मुख्य जिला मार्ग की सड़कें बनना थीं 150 कि.मी. सड़कें बनीं 251 कि.मी. अन्य जिला एवं ग्रामीण विकास मार्ग 1 हजार कि.मी. निर्माण होना थे यह निर्माण हुआ 1135 कि.मी. , मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि 20 वृहद पुल निर्माण के संबंध में जो काम होना चाहिये था वह 19 के पास पहुंचे हैं यानी रिकार्ड के बिल्कुल नजदीक, आम तौर पर होता नहीं है. भवन निर्माण का हमारा लक्ष्य 100 था और 165 बिल्डिंगें बनकर तैयार हुई हैं. आम तौर पर हमने देखा है जो निर्माण कार्य

होता है कई बार वास्तुदोष के कारण कई बार बनी बनाई बिल्डिंगों को तोड़ना पड़ता है. मेंटेनेंस के काम दोबारा करने पड़ते हैं. मंत्री जी ने एक वास्तुशास्त्र का विभाग अलग से खड़ा किया और प्रत्येक बिल्डिंग,स्कूल,कालेज,अस्पताल जो भी निर्माण होने वाला है प्रत्येक बिल्डिंग को वास्तुशास्त्र की दृष्टि से फाईनल कर रहे हैं. पिछले दिनों मंत्री जी उज्जैन के दौरे पर आए. मैं नया-नया विधायक बना था मुझे यह सहज लगा कि मंत्री सदैव अपने विभाग को बचाने का प्रयास करते हैं और आम तौर पर यह देखा भी जाता है लेकिन मंत्री जी ने जैसे ही मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद उन्होंने कहा कि आईये मोहन जी हम आपके अलग-अलग क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को देखने निकलते हैं. मैंने सोचा कि यह सामान्य दौरा होगा लेकिन यह आश्चर्य लगा कि अपने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिये मंत्री जी कितने चिंतित रहते हैं उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी जिस सड़क पर ले चलकर दिखाईये मैं उनको सिंहस्थ के दौरान पंचकोषी सड़क जो बनी थी आज से तीन साल पहले उस पर गया लेकिन वह गारंटी पीरियेड के अंदर थी. एक लेबोरेटरी जो बिल्कुल इन्दौर से उनके गाड़ियों के काफिले के पीछे-पीछे चल रही थी. उन्होंने कहा कि आप तो जिस सड़क पर चाहें उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाईये और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा आनन्द आ रहा है कि सरकार के पैसे का सदुपयोग करने के लिये जितनी गंभीरता मंत्री जी ने दिखाई है वाकई वे प्रशंसा के पात्र हैं उन्होंने लेबोरेटरी टेस्ट कराया और वहीं पर ध्यान में आया कि यह किस गुणवत्ता की बनी है और गल्ती है तो उसके संबंध में उन्होंने कार्यवाही करने के संबंध में अपने निर्देश जारी किये. आगे बढ़े इन्दौर-उज्जैन फोर लेन के संबंध में वहां माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर भंयकर अनियमितता पायी गई उस पर तुरंत मंत्री जी ने कार्यवाही करते हुए संबंधित लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गई उसकी जानकारी मेरे पास में बाद में आयी उसमें एक्जीक्यूटिव इंजीनियर निलंबित हुए और अन्य 6 लोगों पर भी कार्यवाही हुई, यह पारदर्शिता है, कामों के प्रति उनका समर्पण है. इस विभाग में अलग अलग जितने प्रकार के काम हैं उन कामों की गुणवत्ता के बारे में जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना या भारत सरकार के माध्यम से बनने वाले राजमार्गों की जब गुणवत्ता की बात होती थी, लेकिन उनकी गुणवत्ती की तुलना में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने अपने राज्य के बजट से उससे कई गुना ज्यादा अच्छी सड़कों को बनाने का प्रयास किया है इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं. मैं आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से विभाग

ने काम हाथ में लिया है और जितनी गंभीरता से काम प्रारंभ किया है वाकई में काबिले तारीफ है. 2016 में सिंहस्थ आने वाला है इसमें कई और विभाग हैं जैसे उदाहरण के लिये नगर निगम उज्जैन की सड़कों का काम भी निकालकर के पी.डब्ल्यू.डी की गुणवत्ता के कारण उनको देना पड़ा और वह काम समय सीमा में प्रारंभ भी हो रहे हैं. आज उसमें 14 पुल जो हमारे बनने वाले हैं उन 14 पुलों के माध्यम से उस समय 5 करोड़ यात्रियों की व्यवस्था उज्जैन में हम चाहेंगे उसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा पुल बनकर के तैयार हो गये हैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी उदाहरण इस रूप में भी जाना जायेगा कि जब आम तौर पर सिंहस्थ के लिये 10 साल पहले तक प्रयास करने के बाद आखिरी के दो तीन महीने में ध्यान नहीं दे पाते हैं ऐसे समय में आज से दो साल पहले से पुल निर्माण, सड़क निर्माण, अलग अलग प्रकार के काम, बिल्डिंगों का निर्माण इन सारे कामों को हाथ में लेकर के काम करने की शुरूआत की है वह काबिले तारीफ है. आपके सामने 2-3 मुद्दे लाना चाहता हूं फतेहाबाद से झिरोलिया सड़क बजट में छूट गई है, यह बड़ी ऐतिहासिक सड़क है जहां पर आपको मालूम है कि औरंगजेब के साथ में दारासिको की सेना का युद्ध हुआ था ऐसे में इस सड़क को बनाने से यह ऐतिहासिक फतेहाबाद से उज्जैन की ओर सम्पर्क बढ़ेगा इससे गांवों को होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी दूसरा एक गांव है दाऊदखेड़ी से पालखेड़ी का रास्ता उस पर भगवान श्रीकृष्ण उज्जैन से होते हुए जब आगे जानापाव तक गये थे इस मार्ग से ही गये प्राचीनकाल में हम टूरिज्म के माध्यम से गांवों में तो काम कर लिया है, लेकिन यह प्रमुख सड़क छूट गई है अगर आप इसको जोड़ेंगे तो बड़ी कृपा होगी. पूर्व में निवेदन किया है कि 6 लोगों पर कार्यवाही हुई है, लेकिन यह मार्ग अभी अधूरा है वर्षाकाल प्रारंभ हो गया है अतिशीघ्र इस पर काम करायेंगे तो यह बड़ी सौगात भी मिलेगी और भविष्य में काम करने वालों के लिये यह उदाहरण भी बनेगा तथा इससे सरकार की छबि बनते हुए ऐसे साफ-सुथरे काम करते हुए एक आदर्श उदाहरण बनेगा. मैं उज्जैन से देवास के मार्ग की तरफ आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं जहां पर फोर लेन तो बन गया है उसकी सर्विस लेन छूट गई थी अगर सर्विस लेन बनती है आवासीय बस्ती मुख्य सड़क पर आयेगी इससे भयंकर ऐक्सीडेन्टल जोन बनेगा मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन बातों के माध्यम से आप मेरी सभी बातों पर ध्यान देंगे. आपने समय दिया धन्यवाद.

श्री यादवेन्द्र सिंह (नागौद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नागौद, सतना, तथा अमरपाटन की समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं. मेरा मानना है कि अगर मध्यप्रदेश की सभी सड़कें बीओटी को दी जायं तो इसमें सरकार का जो पैसा लग रहा है जो हर साल ठेकेदारों की बनायी हुई सड़कें छः महीने चलती हैं और ठेकेदारों का जहां तक काम है हर बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और उनकी बनाई सड़कें छः महीने और साल भर भी नहीं चल पाती हैं वहीं बीओटी से जो काम होता है उसमें चाहे जितनी भी बारिश हो मगर उसी तरह से सड़क देखने को मिलती है. मैं मंत्री जी को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं एक सड़क 3 करोड़ रूपये की 6 किलोमीटर सड़क उचहेरा बाईपास हथाबाबा से लेकर दिलीब ढाबा तक 2005-06 के अंदर थी उस 3 करोड़ की सड़क में आज तक कोई वाहन नहीं चला लगभग वह दो साल से बाई पास बनाया गया है, उसकी पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हो गईं, पूरा डामर चला गया है, मिट्टी का अता-पता नहीं है उस पर 3 करोड़ रूपये खर्च हुआ. मैं एक ही उदाहरण दूंगा 17 साल से जित तरह से शिक्षा विभाग में मास्टर लोग एक स्कूल में ड्यूटी करते हैं उसी तरह से आपके ओवर सीअर, एसडीओ 17 साल से पदस्थ हैं आपसे तीन महीने पहले निवेदन किया कि आप सभी सड़कों की जांच करा लें उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है मेरी विधान सभा नागौद में आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है. आज एक एक साध 23 करोड़ रूपये की सीआरएफ की सड़क नागौद से उचहेरा सीधे उसमें डामर होता जा रहा है सड़की की लंबाई 32 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर हुई नहीं कि पीछे से डामर का काम शुरू आगे रोड़ नहीं बढ़ पाई और पीछे से शुरू इस तरह का काम होता है आप स्वतः नागौद की सीआरएफ की 40 किलोमीटर की रोड़ और बन रही है कपूरी से लेकर के कई गांवों को जोड़ते हुए उसकी आप जांच करवा लें, तो आपके सामने सब आ जायेगा. दूसरी बात हमारे यहां का चित्रकूट धाम वहां पर पूरे देश के लोग जाते हैं आपके टापबर्थ के द्वारा बीओटी में सतना से चित्रकूट मार्ग की लंबाई है 70 से 75 किलोमीटर के बीच बीओटी में उसका टापबर्थ कम्पनी को ठेका दिया गया वह लोग डेढ़ साल से नाके का पैसा वसूल रहे हैं कुल रोड़ 70 किलोमीटर की रोड़ में कुल 50 किलोमीटर मार्ग बना है उसका दो साल से काम बंद है पहले भी यह रोड़ खराब था और पांच छः साल से आपका बीओटी का काम चल रहा था और किस हालत से श्रद्धालु लोग चित्रकूट धाम पहुंच रहे हैं मैं क्या कहूं आप खुद देख लें और भगवान जी के भी दर्शन कर लें तो आपको

मालूम पड़ जायेगा आज तक 20-25 किलोमीटर रोड़ नहीं बना है और पूरा पैसा वसूला जा रहा है नाके के माध्यम से उसी तरह से गड्ढे भी पड़े हुए हैं. तीसरा नागौद से सुंदरा, सिमरिया मार्ग यह 80-90 किलोमीटर मार्ग आपकी बिना बीओटी के चाहे आपकी विश्व बैंक की योजना हो या किसी योजना से आपका काम जीबीआर कम्पनी बनाती है वह आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ पन्ना से लेकर रीवा जिले के सिमरिया गांव को जोड़ती है वहीं से नागौद से कलिंजर रोड़ आपकी कोई और शाखा बना रही है वह 40 किलोमीटर मार्ग है. अब बतायें कि बीओटी से बन रही है नागौद से कलिंजर मार्ग वह रोड़ नागौद से सिंहपुर को क्रास करती है सिमरिया रोड़ जो आपकी बिना बीओटी की है अब वह क्रासिंग में 200 मीटर का टुकड़ा क्रास करके वह रोड़ जाता है रीवा, पन्ना, सुंदरा की तरफ से कलिंजर-नागौद यानि उत्तर दक्षिण तरफ आती है बीओटी रोड़ जो क्रासिंग में 200 मीटर का टुकड़ा पड़ता है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है मार्ग जीबीआर बिना बीओटी के, जो नागौद से कलिंजर आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है बीच में 200 मीटर का टुकड़ा क्रास करके मार्ग चला जाता है सुंदरा से सिमरिया 200 मीटर का एक दिलीप बिल्डकान का नाका बना है बीओटी का वह दोनों रोड़ों का पैसा वसूल कर रहा है उसकी आप जांच कराइये. इसकी आप जांच कराइये, मंत्री जी, मेरा आपसे यह निवेदन है और 17 साल से जो वहां पर एस.डी.ओ. है और जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटा दें, मैं आपसे यही आशा करता हूं, वैसे आपकी जो इच्छा हो जैसा भी करना हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर यदि आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को नहीं हटाते हैं, तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे, चाहे हमें इसके लिये सड़क पर उतरना पड़े, ताकि आप इनको हटा कर फिर जांच कराइये, तो आपको सही मालूम पड़ेगा कि 3 करोड़ रूपये कहां चले गये वह बाई पास का ? आप कुछ ना करिये, उसी भर की जांच कर दें, उसके बाद इनका संरक्षण करिये चाहे ट्रांसफर करिये. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय के लिये धन्यवाद.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक (बिजावर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण के लिये मांग संख्या 24 में जो भी प्रावधान किये गये हैं, मैं उनके समर्थन में यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी विकास के कामों को दिशा दी गई है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है. छतरपुर जिले के राष्ट्रीय राज मार्ग 86 को जोड़ने वाली बिजावर तक की एक सड़क है, वह यदि 2 लेन की हो जायेगी, तो निश्चित रूप से बहुत ही

उपयोगी काम हो जायेगा. आर.डी.सी. में अधिग्रहित एक रोड भी है, जो नौगांव से ईशानगर होकर बल्देवगढ़ जाती है, यदि उसके भी मार्ग का निर्माण होगा, तो यह एक साथ 2 जिलों के लिये लाभकारी रहेगी. बिजावर से बड़ामलेहरा यह 2 तहसीलों को जोड़ने वाला एक मार्ग है, इसे भी यदि मंत्री जी निर्माण कराने के लिये सहमति देंगे, तो निश्चित रूप से यह लाभकारी होगा. तहसीलों को जोड़ने के लिये बिजावर और बकसुहा का एक मार्ग है, यह भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है. ईशानगर से बड़ा तिराहे तक टू लेन के एक मार्ग का निर्माण होना है, जो छतरपुर तक पहुंचने वाला रास्ता है, इसको यदि मंत्री जी अनुमति देंगे, तो यह भी एक हमारे लिये और छतरपुर जिले के लिये उपयोगी काम होने वाला है. मांग संख्या 67 में लोक निर्माण विभाग के कार्यों में भवन निर्माण की जो बातें बताई गई हैं, उनमें मैं समर्थन के साथ यह कहना चाहता हूं कि एन.एच. 86 पर गुलगंज में एक विश्रामगृह की आवश्यकता है ईशानगर जनपद का मुख्यालय है, यहां पर एक विश्रामगृह की आवश्यकता है और सटई नगर पंचायत का मुख्यालय है, यहां भी एक विश्रामगृह की आवश्यकता है, जो भी भवनों के निर्माण हुए हैं, सर्किट हाउस या रेस्ट हाउस में जो भी अभी उनके रीनोवेशन के काम हुए हैं, निश्चित रूप से उल्लेखनीय हैं, मैं उनकी प्रशन्सा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विकास के कई कामों को नये आयाम दिये हैं और इनको भी आगे बढ़ाकर वे निश्चित रूप से प्रदेश के लिये अच्छा करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री लाखन सिंह यादव (भितरवार)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24 एवं मांग संख्या 67 वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों के विरोध में तथा कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं. लोक निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है, जो बरसों से ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से और शहरी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने का लगातर काम करता आ रहा है, लेकिन कुछ समय से कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि यह विभाग अपने मूल उद्देश्य से भटक कर भ्रष्टाचार के पाखंड में पूरी तरह से विलीन है, इसकी परणीति मैं इसलिये महसूस करता हूं कि पिछले लगातार 4 साल से ग्वालियर जिले के भितरवार विधान सभा क्षेत्र की करीब 56 रोडें हैं, जिनकी लड़ाई मैं लगातार 4 साल से धरने के माध्यम से, आन्दोलन के माध्यम से, जिला योजना समिति के माध्यम से, विधान सभा के माध्यम से मैं लगातार ही इन रोडों की लड़ाई लड़ता आ रहा हूं, लेकिन आज दिनांक तक भितरवार विधान सभा क्षेत्र की वह रोडें, जिनकी हालत

बहुत दयनीय है, अभी 7 तारीख के मेरे प्रश्नोत्तर में माननीय गोपाल भार्गव, मंत्री जी ने यह एक्सेप्ट किया कि भितरवार की रोडों की स्थिति बहुत दयनीय है और वहां कई रोडें ऐसी हैं, जिन पर चलना आज भी दूभर है और मैं लगातार ही उन रोडों की लड़ाई लड़ता आ रहा हूं.

मैं अपनी ज्यादा बात ना रखते हुए सिर्फ अपनी विधान सभा की कुछ रोडों का निवेदन करना चाहता हूं कि इन रोडों को आप तत्काल इनका जीर्णोद्धार, इनका निर्माण कराये. नंबर एक है इस रोड पर 2001 से काम चल रहा है भितरवार से आरौन व्हाया करईया गौलार घाटी रोड है, यह 32 किलो मीटर का रोड है और लगातार 2001 से इस पर काम चल रहा है और आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ है. एक तरफ से काम चल रहा है 2001 से और पीछे से वह खराब होता जा रहा है, लेकिन आज तक वह रोड पूरी कंप्लीट नहीं हुई है. दूसरी रोड है पनिहार से पगारा व्हाया बरई मार्ग यह 32.60 किलोमीटर का रोड है. इस रोड में 2003 में काम शुरू हुआ था और आज दिनांक तक एक वहां मिरचा घाटी है, वह मिरचा घाटी का भी काम अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है. क्या वजह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इन रोडों की हालत आज यह है ? मेरा अपना ऐसा मानना है कि यहां इन रोडों का निर्माण सिर्फ इसलिये नहीं हो पा रहा है कि वहां लगातार कांग्रेस से विधायक चुने जा रहे हैं, नहीं तो पूरे प्रदेश की रोडें बन रही हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र में यह स्थिति क्यों पैदा हो रही है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है कि इन रोडों का मंत्री जी बैठे हुए हैं और मैं यह और बता देना चाहता हूं कि ग्वालियर जिले का यह भितरवार विधान सभा क्षेत्र 48 परसेंट एरिये में आता है, 52 परसेंट में 5 विधान सभायें आती हैं और वह 48 परसेंट एरिये में ट्रायवल और सिख समाज के लोग ही सबसे ज्यादा रहते हैं और सौभाग्य से हमारे पी.डब्लू.डी. मंत्री भी सिख कम्यूनिटी के हैं, अभी जब आप मंत्री बने थे, तो उस क्षेत्र के हमारे सिख समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि भाई, इस बार तो अपनी रोडें बन जानी चाहिये, इस बार तो हमारे ही समाज के मंत्री बन गये तो मैंने उस समय यह कहा था कि यदि यह समाज के हिसाब से बनती, तो मैं जिस समाज का...

उपाध्यक्ष महोदय--लाखन सिंह जी, आपको भाई कहा था कि प्रा कहा था ?

श्री लाखन सिंह यादव--एक ही बात है, प्रा कह लो, भाई कह लो, वीर जी कह लो तो मैंने यह कहा था कि यदि समाज के हिसाब से रोडें बनतीं, तो मैं जिस समाज से आता हूं, मेरी समाज के यहां इस प्रदेश के

मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद भी मेरे क्षेत्र की रोडों की यह स्थिति है. मैं माननीय मंत्री जी, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार मेरी यह रोडें बन जायें , मेरा आपसे यह व्यक्तिगत अनुरोध है. तीसरी रोड डवरा से हरसी, व्हाया भितरवार यह 49 किलो मीटर का रोड है और इस रोड की स्थिति यह है कि यदि एक बार भी अब पानी गिर जाये, अभी ग्वालियर में कोई पानी नहीं गिरा, यदि एक बार पानी गिर जाये, तो यह पता नहीं लगता कि यह रोड है कि गड्ढा है, गड्ढा है कि रोड है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 49 किलो मीटर की ऐसी रोड है, तो इस रोड पर भी आप गौर करें. चौथी भितरवार से करैरा यह 10.60 किलो मीटर की रोड है और यह भी जीर्णशीर्ण स्थिति में है. नयागांव A B रोड से डवरा व्हाया चीनौर यह 50.20 किलो मीटर की रोड है. अभी 7 तारीख को मेरे प्रश्न के उत्तर में आदरणीय पी.डब्लू.डी.मंत्री जी को, आदरणीय गोपाल भार्गव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने इस रोड की लड़ाई मैं लगातार 3 साल से लड़ता आ रहा हूं कि इस रोड को जो दो विभागों में डिवाइड है, पी.डब्लू.डी. में और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, मैंने यह निवेदन किया और लगातार 3 साल से इस लड़ाई को लड़ता आ रहा हूं कि इसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पी.डब्लू.डी. में ट्रांसफर करा दिया जाये, तो परसों 7 तारीख के मेरे प्रश्न के उत्तर में आदरणीय पी.डब्लू.डी. मंत्री जी ने और हमारे भाई गोपाल भार्गव जी ने यहां हाउस में यह एनाउन्स किया कि इसके आज ही हम आदेश प्रसारित कर देंगे कि इस समूची 50 किलो मीटर की रोड को प्रधानमंत्री से हटा कर आधी वह प्रधानमंत्री के टुकड़ों में थी.कहीं 3 किलोमीटर प्रधान मंत्री, कहीं पांच किलो मीटर पीडब्ल्यूडी तो उस समूची रोड पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर करने के आदेश कर दिये हैं, इसके लिये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. तीसरा, शिवपुरी लिंक रोड से सीतला माता मन्दिर व्हाया चिनौर मार्ग, यह 53 किलोमीटर का रोड है. इसको बने हुए अभी 6 साल हुए हैं. 6 साल बाद ही उस रोड की यह स्थिति है कि इस रोड पर चलना आज दूभर हो गया है. घाटीगांव डांड़ाखिरक दौरार ए.बी. रोड से व्हाया भंवरपुरा यह 25 किलोमीटर की रोड है. यह वह रोड है, जहां दयाराम रामबाबू डकैत ने 13 लोगों की सामूहिक हत्या की थी. मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस रोड को जो अभी अधूरी पड़ी हुई है, यहां की पुलियों का निर्माण नहीं हुआ है, इसे भी आप पूरा करा लेंगे. पुनः एक बार आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने जो चिनौर और करईया व्हाया

भितरवार रोड को जो पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर करने के लिये यहां हाउस में एनाउंस किया, उसके लिये मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि यह मेरे क्षेत्र की रोड पीडब्ल्यूडी में आ जायेंगी, तो विकास ठीक हो जायेगा, काम ठीक हो जायेगा. प्रधानमंत्री रोड्स की स्थिति बहुत खराब है. यह मैं आपसे निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये धन्यवाद.

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (दिमनी) -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. मेरी विधान सभा एक ऐसी विधान सभा है, जो चम्बल और कुंआरी नदी से लगी हुई है. मैंने मंत्री जी को भी कल पत्र दिया था और उस पत्र में मैंने अवगत कराया है कि मेरी विधान सभा में जब से देश आजाद हुआ है, अभी 10 पंचायतें ऐसी हैं, उनमें आज तक रोड नहीं बनी है. मैं कल मंत्री जी से भी निवेदन करने गया था कि वहां के गांवों की ऐसी स्थिति है. मंत्री जी ने कहा कि बजट कम है. तो मैंने पता किया कि वर्ष 2013-14 में जो बजट था, उसमें से भी पैसा बचा है. तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरे 8-10 ऐसे गांव हैं, इनमें बरसात हो जाय तो 4 महीने तक तो स्कूल नहीं खुलते और जैसे किसी के यहां बाल बच्चा होता है, तो उनको खाट पर लेटाकर सड़क तक लाया जाता है. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन गांवों की सड़कें बनवाई जायें. मैंने इससे पहले जो 3 दिन का सत्र चला था, उसमें भी यह कहा था कि मेरे यहां की ज्यादा लम्बी चौड़ी रोडें नहीं हैं, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर ऐसी रोडें हैं. यह सब रोडें चम्बल और कुंआरी नदी के किनारे हैं. तो इन गांवों में बरसात के समय चार महीने के लिये यातायात बंद हो जाता है. ये ज्यादा गांव नहीं हैं. पहले मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, तो उन्होंने यह कहा था कि ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा. जिस गांव में रोड नहीं होगी. तो मेरा निवेदन है कि मेरे साथ एक टीम कर दी जाय, मैं टीम के साथ जाऊंगा और उन गांवों को बताऊंगा कि आज 8-10 गांव की स्थिति ऐसी दयनीय है कि न तो वहां रोड है और न वहां कोई पानी की व्यवस्था है. नदियों से वहां के लोग पानी पीते हैं. पीने के पानी का काम पीएचई विभाग का है. मैं मंत्री जी से रोड के लिये निवेदन करना चाहता हूं. एक मंत्री जी ने मुझे बताया कि लोक निर्माण मंत्री जी बहुत ईमानदार हैं. आप ईमानदार मंत्री हैं, तो इन कर्मचारियों को

देखें और उनको ईमानदारी सिखायें. मैं वहां पर पीडब्ल्यडी के कार्यालय में गया था, तो कोई कहता है कि यह प्रधानमंत्री से बनेंगी, कोई कहता है कि पीडब्ल्यूडी से बनेंगी. ..

उपाध्यक्ष महोदय -- बलवीर सिंह जी, जिस रोड को भी बनवाना हो, उसका आप उल्लेख करें और फिर समाप्त करें.

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सड़कों का उल्लेख कर रहा हूं. गोपी से मनकूलका पुरा और हनुमानका पुरा, बरेह से पंचम पुरा, सिहोनियां से खुड़ी, डोंगरपुर से रसील पुर, लल्लू बसई से खेल्ली, नगरा से जिनावली, घुसगवां से बरेथा होते हुए आरोली, दयालदास के पुरा से हरीदास का पुरा, नदोल के पुरा से अट्टा का पुरा, बिचोली से हिगोना वालों का पुरा, डोंगर पुर से नगरा, कांस के पुरा से डंडोली होते हुए प्रभू का पुरा यह गांव चम्बल और कुआरी नदी के किनारे हैं. इनमें आज तक कोई भी रोड नहीं है. इन गांवों के मैंने नाम दिये हैं. मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन रोड्स को बनवायें. उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद.

श्री दिनेश राय (सिवनी) -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे सिवनी जिले से एक बायपास रोड काफी समय से बना हुआ है. उस बायपास के पूरे परछक्के उड़ गये हैं, किन्तु आज भी वहां टोल वसूली हो रही है. कहते हैं कि बीओटी से बना है. तो बीओटी से बना है तो कम से कम सुधार कार्य ही करवा दें. नहीं तो टोल बंद करवा दें, क्योंकि शहर का पूरी हेवी ट्राफिक शहर के अन्दर से जा रहा है. मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि बीसाबाही से टिंगीटोला पर एक पुल का निर्माण होना है. वहां से 12 गांव का आवागमन का साधन है, जिससे हर बरसात में ये रोड अवरुद्ध हो जाती है. दिघोरी हमारे गुरु शंक्राचार्य जी की जन्म भूमि है, जहां से घोटीगांव के बीच में बेनगंगा नदी बहती है. तो मैं चाहता हूं कि वहां पुल निर्माण के लिये मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसको प्रस्ताव में जोड़ें. पकोड़ा सिवनी से एक खेरम मटाकोल भूत बदानी है. यहां पर एक सीताफल का फल होता है, जो मध्यप्रदेश नहीं, पूरे भारत में प्रसिद्ध है. अगर भारत में सबसे अच्छा सीताफल इस भूतबदानी गांव में होता है, लेकिन यहां से आवागमन का साधन नहीं है. यहां पर एक पुल निर्माण के लिये निवेदन करता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के रोड्स एवं पुल निर्माण की लिस्ट है, तो मैं आपसे

निवेदन करता हूं कि मैं वह लिखने के लिये दे दूं, जो मेरे क्षेत्र के रोड्स हैं, समस्याएं हैं, जिसमें आपका समय भी बचेगा और निवेदन करता हूं कि काफी ग्रामों की रोडों का निर्माण नहीं हुआ है. पुल पुलिया बनना हैं. जिसका एक विधिवत सिवनी विधा सभा का सर्वे करवा लें , जिसमें 350 गांव आते हैं. मेरा यही निवेदन है और मेरी यह लिस्ट है...

उपाध्यक्ष महोदय -- आप यह लिस्ट मंत्री जी को दे दीजिये.

श्री दिनेश राय -- जी हां. बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री अरुण भीमावद (शाजापुर) -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 64 एवं 67 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात यहां रख रहा हूं. मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक सपना देखा है कि मध्यप्रदेश को स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाना है. इस कड़ी में लोक निर्माण विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. निश्चित रुप से रोटी, कपड़ा और मकान के बाद चौथी आवश्यकताओं में किसी भी प्रदेश के विकास के लिये लोक निर्माण विभाग का अपना एक योगदान है. इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने एवं मुख्यमंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग को 5646 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जो पिछले बजट से 646 करोड़ रुपये अधिक है. इस अवसर पर मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये, जिन्होंने मध्यप्रदेश के विकास के लिये सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण के लिये अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है. मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यहीं कहूंगा कि मध्यप्रदेश में लोक निर्माण विभाग आज जिस प्रकार से काम कर रहा है और उसमें एक नया विभाग जो गठन किया है पीआईयू. निश्चित रुप से पीआईयू ने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में समय सीमा में गुणवत्ता के साथ काम करके इस मध्यप्रदेश में एक अलग पहिचान बनाई है. मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा , जिन्होंने उच्च क्वालिटी और साथ में समय सीमा में काम करने का भी प्रावधान किया है. शाजापुर विधान सभा क्षेत्र में निश्चित रुप से तत्कालीन विधायक महोदय, जनप्रतिनिधि द्वारा कहा गया था कि विकास के माध्यम से चुनाव नहीं जीते जाते मेनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं. लगातार 20 वर्षों से तत्कालीन विधायक जी मेनेजमेंट के आधार पर चुनाव जीतते आये हैं. लेकिन पिछले 5 वर्षों में जनता ने विकास को महत्व दिया है. शाजापुर विधान सभा क्षेत्र में जहां

विकास अवरुद्ध था और मुख्यमंत्री जी ने जो दिन रात मेहनत करते हुए वहां पर हारी हुई सीट पर जिस प्रकार से काम किये, उसको जनता ने पसंद किया है, आज भाजपा का जन प्रतिनिधि वहां पर चुनाव जीता है. निश्चित रुप से मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब युवा मोर्चा में प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय दिलीप सिंह शेखावत जी 2003 के पहले शाजापुर आते थे. तो अपने भाषण में कहते थे कि यहां रोड है या गड्ढा है. हम अगर सरकार में आये तो निश्चित रुप से (xx) रोड बनाकर दिखायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय-- यह दिलीप सिंह जी का डॉयलाग है या लालू प्रसाद यादव जी का.

श्री अरूण भीमावद--यह दिलीप सिंह शेखावत जी का डॉयलाग था जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हुआ करते थे.

श्री रामकिशोर दोगने-- यह महिला शक्ति का अपमान है. एक महिला के गाल जैसे रोड की बात सदस्य को नहीं करनी चाहिये. और इन्हीं की पार्टी की वे माननीय सदस्या हैं.

श्री अरूण भीमावद-- ठीक है आपके गालों जैसी सड़कें बनवा देंगे

श्री रामकिशोर दोगने-- किसी के गाल की तुलना रोड़ से करना अच्छा नहीं है . इसलिये इसको विलोपित करायें.

उपाध्यक्ष महोदय-- (xx) नाम अलग कर दें.

श्री अरूण भीमावद-- उपाध्यक्ष जी, यदि इस पर सदन के लोगों को एतराज है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाजापुर से बैरछा मार्ग, बैरछा रेलवे स्टेशन है . शाजापुर का जिला मुख्यालय शाजापुर है. हमें अगर भोपाल आना है तो उसको पहले बैरछा जाना पड़ता है. वहां सिंगल रोड बना है. मंत्रीजी शाजापुर से बैरछा और बैरछा से कानड, और कानड़ से आगर अगर टू-लेन रोड बनेगा तो आने जाने में नागरिकों को सुविधा मिलेगी.

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि शाजापुर से मटेवर रोड है जो बिजौना होते हुये जाती है, अगर इस सड़क को आप बनायेंगे तो आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करूंगा. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कि ग्राम भदौनी और जामनी में पुल निर्माण

होना है लखुंदा नदी पर. क्योंकि शाजापुर से तराना जाना है, तराना उज्जैन में आता है माकड़ून होते हुये उसके बीच में लखुंदा नदी पर पुल की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश में आम नागरिक को जाने में परेशानी हेतु है वहां पर यदि एक पुल का निर्माण करा दिया जाये तो शाजापुर से उज्जैन जिले को जोड़ने में महत्वपूर्ण अंग बनेगा. उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने के लिये पार्टी ने और आपने अवसर प्रदान किया उसके लिये सभी को धन्यवाद.

श्री इन्दर सिंह परमार (कालापीपल) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश की सड़को के बारे में सबको जानकारी है कि 2004 के पहले जो मध्यप्रदेश की सड़कें थीं, और जिसमें प्रदेश के लोग घूमते थे, जब हमारे प्रदेश से हम निकलकर के जाते थे और दूसरे प्रदेश की सड़क शुरू होती थी तो लगता था कि दूसरे प्रदेश में आ गये हैं. आज परिस्थितियां बदल गई हैं, लगातार 10 वर्षों से जिस प्रकार से सड़कों में सुधार हुआ है तो आज दूसरे प्रदेशों से जब अपने प्रदेश में आते हैं तो राहत लेते हैं, और लगता है कि हम अपने प्रदेश में आ गये हैं. इस प्रकार से मध्यप्रदेश की सरकार ने लगातार सड़कों में सुधार करने का प्रयास किया है. आज की स्थिति तो ऐसी बन रही है उज्जैन संभाग में काम इतने स्वीकृत हुये हैं, भवनों के काम, सड़कों के काम कि मुझे लग रहा है कि अमला भी कम पड़ रहा है. इसलिये मेरा पहला निवेदन यही है कि जहां जहां पर भी पद रिक्त हैं पहले उन पदों को भरा जाये क्योंकि उसी से प्रगति होगी और काम में पेंडेंसी हो रही है, इसलिये रिक्त पदों की पूर्ति करें जिससे काम में और गति आयेगी.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव रख रहा हूं. मेरे क्षेत्र में दो बड़ी नदियां नेवज और पार्वती नदी निकलती है और कई जगह से रोड क्रास होते हैं . इसलिये नेवज नदी पर देवली और बेगनखेड़ी के बीच एक पुल का निर्माण करेंगे तो बेगनखेडी गांव ऐसा गांव है जो चारो और से घिरा हुआ है जहां पर बरसात के समय निकलने हेतु रास्ता नहीं है , इस पुल के बनने से जनता को सुविधा होगी. इसी प्रकार से पूर्व में एक सड़क पोलायल से रनायल बना है उस सड़क में बीच में पार्वती नदी का स्थान पड़ता है उसमें डोंगरी से लेकर के पोचानेर, हरूखेड़ी , और रनायल मार्ग नया निर्माण किया जाये, बीच में पार्वती नदी पर पुल बनने से पुराना जो रोड बना है वह दूसरे जिले में आता है , वहां पर भी

छोटा रपटा बना हुआ है . आने जाने में परेशानी होती है इसलिये मंत्री जी इस ओर भी विशेष ध्यान देने का कष्ट करेंगे.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे रोड़ छूटे हुये हैं . जिनको हम मिसिंग रोड बोल सकते है. और बडे मार्ग से जो तीन-चार किलोमीटर के निर्माण होते हैं उसके न होने से 3- से 40 किलोमीटर घूमकर के किसानों को मंडी में , तहसील केन्द्र में, ब्लाक केन्द्र पर आना पड़ता है. मंत्री जी यदि उन मार्गो को भी यथाशीघ्र बनाने की कृपा करेंगे तो हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों को सुविधा होगी.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमालपुर बेहरावल यह मिसिंग रोड़ है 4 किलोमीटर का लसुल्यामलक से हल्लायखुर्द ढाई किलोमीटर , बैरछा रातार से जावडिया घरवास यह 5 किलोमीटर का मार्ग है , उचोद से रानीबड़ोद यह भी 5 किलोमीटर का मार्ग है, खजुरी से अलाहरास से फरड़ यह 4 किलोमीटर का मार्ग है, पोचानेर से हरूखेडी रनायल मार्ग यह 6 किलोमीटर कामार्ग है, यह 4-5 सड़कें ऐसी हैं जिसके कारण क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों को 30-40 किलोमीटर घूमकर के आना पड़ता है. इसी प्रकार से एक मार्ग और है जिसको जिला मार्ग घोषित किया जा चुका है कालापीपल से कुरावर यह मार्ग लंबे समय से खराब पड़ा है, जिला मार्ग घोषित हो चुका है लेकिन अभी तक उस सड़क के उन्नयन का कार्य प्रारंभ नहीं किया है. मंत्री जी से निवेदन है कि इस मार्ग को प्राथमिकता में लेते हुये बनवाने के निर्देश देंगे तो मेरे क्षेत्र के लोगों को राजगढ़, भोपाल आने में सुविधा होगी.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कालापीपल विधानसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र है , इस क्षेत्र में सड़कों का बहुत अभाव है साथ ही साथ वहां पर नया विधानसभा क्षेत्र कालापीपल होने के कारण तहसील है, ब्लाक है, लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी विश्राम भवन नहीं है, जिसके कारण प्रशासनिक मीटिंग के लिये बाहर से अधिकारी आते हैं जनप्रतिनिधि आते हैं तो उनको शुजालपुर पर निर्भर रहना पड़ता है. या फिर वे शाजापुर रूककर के आते हैं . तो मंत्री जी से निवेदन है कि विश्राम भवन की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे तो मैं समझता हूं कि कालापीपल विधानसभा के विकास में अपूर्णीय योगदान रहेगा. उपाध्यक्ष जी आपने मुझे अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री मधु भगत (परसवाड़ा) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम बार इस सदन में आपकी अनुमति से बोल रहा हूं. यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे. मैं राजनीति परिवेश से दूर एक समाजसेवक के रूप में कांग्रेस से चुनकर के आया हूं. यदि कोई गल्ती हो तो क्षमा चाहूंगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें पठार भी हैं और क्षेत्र अलग अलग भागों में बंटा हुआ है. रोड़ों का मापदण्ड वहां पर इतना विस्तृत है कि किसी गांव में जाना है तो किलोमीटर से किलोमीटर की लंबाई बहुत होती है जिसके अंतर्गत कई नदी और नाले जुडे होते हैं . उसमें जो जनता को सुविधा होनी चाहिये , आम नागरिकों को सुविधा होनी चाहिये वह वहां पर नहीं है क्योंकि वहां के पुल व्यवस्थित नहीं है, उनके ऊपर कहीं न कहीं परेशानी है, यह इतने गांव से कटे हुये हैं लवेरी से चाचोरी पहुंच मार्ग , सिहोरा से हट्टा मार्ग , मानपुर आदिवासी टोला से चरेगांव पहुंच मार्ग , कातोली से खामी पहुंच मार्ग इन सबमें पुल का निर्माण होना है जिससे जनता का आवागमन नहीं हो पाता है , सुविधा नहीं मिलने से बच्चों का शिक्षा का स्तर ,आदिवासी बच्चों का स्तर ऊपर नहीं जा पाता है. लगभग वहां पर 45 प्रतिशत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है. हम विकास की ओर बहुत कम जा पाते हैं क्योंकि रोड़ों का निर्माण प्रापर नहीं होता, नालों का , नहरों का निर्माण प्रापर नहीं होता, पुल का निर्माण प्रापर नहीं होता है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा और उनसे मेरे क्षेत्र की जनता को और मुझे उम्मीद है आशा है कि वे मेरे क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देंगे. मैं कुछ पेपर्स जो विकास की और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को ले जाते है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम रोड़ों का जाल बिछा रहे हैं तो मैं उनको अवगत करा देन चाहता हूं कि परसवाड़ा विधान सभ क्षेत्र विकास की ओर जायेगा. 30 साल तक वहां पर ऐसा कोई भी विधायक अभी नहीं आया था जो विकास की ओर परसवाड़ा को ले गया हो, जितना भी प्रयास वहां पर हुआ हो वह सफल नहीं है. क्योंकि वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है. 70 से 80 प्रतिशत वह नेक्सलाइट बेल्ट है. अब आपके समक्ष में पेपर्स दे दूंगा जिसमें कुछ रोड़ होंगी जिनके ऊपर कुछ डेम बनने हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी. उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह शेखावत(नागदा-खाचरौद)--उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश इसलिए अच्छा नहीं है कि यहां की सड़कें अच्छी हैं. मध्यप्रदेश इसलिए अच्छा है कि यहां की सड़कें अच्छी हैं इसलिए मध्यप्रदेश का नाम होता है. मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि जैसा अरुण जी ने कहा कि युवा मोर्चा जब मैं पदाधिकारी था तो पूरे प्रदेश में घूमने का सौभाग्य मिलता था. जब मध्यप्रदेश में घूमता था तो लगता था जैसा इन्दर सिंह जी ने कहा कि आज अगर मध्यप्रदेश से बाहर जाते हैं तो लगता है कि हम मध्यप्रदेश से बाहर आ गये. लेकिन इन्दर सिंह जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2003 के पहले जब मध्यप्रदेश में लोग आते थे और अगर गलती से रात्रि में आ गये तो पीछे बैठा हुआ यात्री अगर अगली सीट पर आ जाता था और वह धीरे से ड्रायवर से पूछता था क्या मध्यप्रदेश आ गया है. यह हालात प्रदेश के थे.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रजनीश सिंह जी कह रहे थे कि आज भी डिलेवरी सड़कों पर हो जाती है. भाई रजनीश मैं आपकी बात से किंचित मात्र भी सहमत नहीं हूं.

श्री रजनीश सिंह-- शेखावत जी, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा.

श्री दिलीप सिंह शेखावत-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र से आता हूं. मुझे याद है कि इस हिन्दुस्तान के बड़े उद्योगपति माननीय बिड़ला जी हमारी इन्वेस्टर्स मीट में इसलिए नहीं आये क्योंकि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग ग्रेसिम उसके चारों दिशाओं की सड़कें खराब थी. आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी विधानसभा की सारी सड़कें अच्छी और गुणवत्ता आधारित बनी हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा. मेरे क्षेत्र की बहुत छोटी-छोटी सड़कें हैं. आपके और मुख्यमंत्रीजी के आशीर्वाद से हमने लंबी दूरी की

सड़कें थी, वह सब ठीक बना ली है. मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खाचरौद तहसील मुख्यालय है. बहुत पुराना तहसील है. अगर वहां पर बायपास बनेगा तो निश्चित रुप से आपकी कृपा होगी.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नागदा में लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का ग्रेसिम का बहुत बड़ा अस्पताल है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन नागदा में रतलाम फाटक पर अगर एक ब्रिज बनाने की आप अनुमति देंगे तो निश्चित रुप से आने वाले समय में वहां के रोगियों को लाभ मिलेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करुंगा कि मैंने माननीय मंत्रीजी को 2-3 बार पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया है कि भेलोला-चामुण्डा माता जो मात्र 2.5 किलोमीटर की सड़क है अगर उस सड़क को बनाने की अनुमति प्रदान करेंगे तो लगभग 50 गांवों के लोगों को फायदा होगा.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करुंगा कि बरामद खेडा-खेड़ावदानायन रोड़ ढ़ाई किलोमीटर की है जो रतलाम और उज्जैन जिलों को मिलायेगी, बन जायेगी तो आपका बहुत उपकार होगा. ऐसे ही अर्जला से नरसिंहगढ़ मात्र 2 किलोमीटर की सड़क है अगर इसके निर्माण की भी अनुमति देंगे तो बहुत लाभ होगा. जावरा से उज्जैन BOT की रोड़ बनी है लेकोड़िया से भातखेड़ी मात्र 2 किलोमीटर की सड़क बन जायेगी तो रतलाम फाटक बचेगा और आने जाने वालों को बहुत फायदा होगा.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में निवेदन करता हूं कि मर्तनी से पिपलोदापंत के बीच जो चम्बल नदी है वह बड़नगर, घटिया और खाचरौद इन तीन तहसीलों को मिलाने वाली नदी है. वहां पर अभी रपटा है. बारिश के समय 3 माह तक आवागमन पूर्ण रुप से अवरुद्ध रहता है अगर उस पर ब्रिज की अनुमति देंगे तो निश्चित रुप से कृपा होगी. उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर मध्यप्रदेश का विकास हुआ है तो उसमें सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है. आज रोजगार के अवसर भी उपलब्ध

हुए. मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो सुधार किया चाहे वह ई-टेंडरिंग हो, चाहे ई-पेमेंट हो वह निश्चित रुप से प्रशंसनीय है.धन्यवाद.

श्री सुखेन्द्र सिंह 'बन्ना' (मऊगंज)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मिला. अभी सत्ता पक्ष के विधायक बोल रहे थे. माननीय मुख्यमंत्रीजी की तारीफ कर रहे थे कि कोई भी जगह बाकी नहीं है लेकिन उसके बाद सभी सदस्य विनम्रता से अपनी अपनी विधानसभा की बातें रखने लगते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि जो विनम्रता वाली बात आती है. सत्ता पक्ष की ओर ध्यान मत दीजिएगा जो हम लोग विनम्रता बोलें उस पर जरुर ध्यान दीजिएगा.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे रीवा जिले में एमपीआरडीसी की 2 रोड्स बन रही है. एक रीवा से हनुमना और दूसरी मनगवां से चाकघाट. माननीय मंत्रीजी, मेरा इसमें एक विशेष अनुरोध है कि वहां पर जो बड़ी बाजारें थीं, सबको बायपास दिया गया. मऊगंज-हनुमना-मनगवां इन तीनों बड़ी बाजारों को बायपास दिया गया इससे छोटी रायपुर-रघुनाथगढ़-देवतालाब इनको भी बायपास दिया गया लेकिन उसी में एक खटखरी पंचायत थी जो रघुनाथगढ़, रायपुर और देवतालाब से बड़ी थी लेकिन उसको बायपास नहीं दिया गया. आज खटखरी बाजार उज़ड गया जहां पर 50 सालों से व्यापारी लोग जीवन-यापन करते थे. मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि जो व्यवसायी 50 सालों से वहां पर व्यवसाय कर रहे थे आज उजड़ गये तो उनको बसाने और रहने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी. मैं चाहूंगा कि आप इस पर विशेष ध्यान देंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, मनगंवा से लेकर चाकघाट की एमपीआरडीसी के तहत रोड़ बनायी जा रही है वहां पर टोल प्लाजा बन रहा है. मुझे जो जानकारी है कि टोल प्लाजा शहर के 5 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए और वह त्योंथर में निर्धारित था लेकिन वह टोल प्लाजा 10

किलोमीटर की दूरी पर ले जाया गया. इसका क्या कारण है मुझे जानकारी नहीं है. इस पर भी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा की बहुत सारी रोड्स हैं जिसक कारण बड़ी असुविधा हो रही है आज तक नहीं बन पायी उसमें एक चौराघाट का पुल प्रस्तावित है, टेंडर होना है लेकिन पता नहीं क्या कारण है वह नहीं हो पा रहा है. अगर इसका टेंडर हो जायेगा तो निश्चित रुप से इलाहाबाद की दूरी बहुत नजदीक हो जायेगी. दूसरा, जड़कुड़ से हाटा यहां पर एक घाट का मामला है. यह आदिवासी इलाका है. आदिवासियों को कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी तय करके बाजार हनुमना पहुंचना पड़ता है. अगर यह जड़कुड़ से लेकर हाटा मार्ग का यह घाट तोड़ दिया जायेगा तो आदिवासियों को मुश्किल से 5 किलोमीटर की ही दूरी पड़ेगी. मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका भी ध्यान रखें.

उपाध्यक्ष महोदय, मुरेठा से लेकर मझगवां व्हाया लासा मार्ग जो 15 किलोमीटर का है इसका प्रस्ताव हमने वहां के अधिकारियों से करवाया है और माननीय मंत्रीजी आपको इसकी मंजूरी देना है अगर इसकी मंजूरी मिल जायेगी तो हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी कृपा होगी. मऊगंज व्हाया दामोदरगढ़-घोघम मार्ग यह भी लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है. इसका भी प्रस्ताव हमने करवाया है. इसमें भी माननीय मंत्रीजी की मंजूरी की जरुरत है.

मऊगंज व्हाया दामोदरगढ़ घोघर मार्ग यह भी लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है इसका भी प्रस्ताव हमने करवाया है माननीय मंत्री जी की मंजूरी की जरूरत है, मऊगंज से लेकर दमोदरगढ़ व्हाया घोघर के बीच में एक बंधा पड़ता है जिस पर बरसात के दिनों में बंधा भर जाता है तो आवागमन की बहुत दिक्कत होती है तो इससे 50 गांव के लोग प्रभावित होते हैं. मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर उस बंधे पर एक पुल का निर्माण हो जाता है तो उन 50 गांव के लोगों को बहुत सुविधा होगी.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और ज्यादा न बोलते हुए बस यह ही कहना चाहताहूं कि रीवा से लेकर मऊगंज की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की होतीहै जो मऊगंज रेंज के अधिकारी हैं एसडीओ रेंक के वह ज्यादातर रीवा में रहते हैं इस कारण मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों को आप निर्देशित करें

कि वह अपने अपने डिवीजन में रहें या उनको आप रीवा ही पदस्थ कर दें. यह ही मेरा आपसे अनुरोध है आपने बोलने के लिए अवसर दिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री कुंवर सिंह टेकाम (धौहनी) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांगों के समर्थन में और कटौती प्रस्तावों के विरोध में अपनी बात रख रहा हूं. मध्यप्रदेश में सड़कों के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है उ स संबंध में पूर्व वक्ताओं के द्वारा बात आ चुकी है. मैं यहां पर केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहता हूं. हम सीधी और सिंगरौली जिले से आते हैं. सीधी और सिंहरौली जिले में बहुत सारी सड़कें बनायी जा रही हैं लेकिन जो वहां की लाइफ लाइन है रीवा सिंगरौली यह नेश्नल हाइवे 75 है इसमें से सिंगरौली से सीधी का काम चल रहाहै लेकिन वह काम बहुत धीमी गति से चल रहा है ऐसा लगता है कि उस काम को पूरा होने में 3- 4 साल लगेंगे. वह मोटरेबल नहीं रह गया है, वह मुख्यमार्ग है कृपया उसको मोटरबेल बनवा दें जब तक आपका नेश्नल हाइवे बनेगा तब तक वह चलने लायक हो जायेगा. सीधी से रीवा के बीच में जो नेश्नल हाइवे हैं वहअभी पाइप लाइन में है उसको भी जल्दी से स्वीकृति दे देंगे और काम शुरू करवायेंगे तो बड़ी कृपा होगी. मैं धौहनी विधान सभा से आता हूं हमारे सीधी से कुसमी ब्लाक तक एमडीआर सड़कें नहीं हैं. सीधी से टकरी तक 33 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग की सड़क है जो कि बहुत पहले बनी थी, उसका रिपेयर हो रहा है काम चल रहा है. लेकिन इसको स्वीकृति प्रदान कर देंगे इस पर हैवी ट्रेफिक चल रहा है एक तरफ डिग्री पावर प्लांट है वहां से आने जाने में कठिनाई होतीहै इसको स्वीकृति प्रदान करेंगे. दूसरा कुसमी से टिकरी ब्लाक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है वह सब उखड़ रही है क्योंकि 8 टन का सड़क है इसलिए सीधी से ब्लाक मुख्यालय कुसमी तक वह आदिवासी ब्लाक है उसको एमडीआर में शामिल कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी.

उपाध्यक्ष महोदय इसके अलावा हमारे यहां पर कुछ पुल पुलिया वैसे सड़क के लिए बहुत लंबी लिस्ट है 75 की वह हम आपको दे देंगे आप उसमें परीक्षण करा लेंगे क्रमबद्ध रूप से जो आप शामिल कर सकेंगे उनको बनवाते जायेंगे, कुछ लोक निर्माण विभाग से कुछ ग्राम सड़क से कुछ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनवा लेंगे. उनकोआप बनवाने की कृपा करेंगे.

मैं यहां पर 3 – 4 पुलों की बात करूंगा जो कि हमारे बहुत पहुंच विहीन क्षेत्र हैं एक हमारा कुचवाही नयाटोला मार्ग यहपंचायत मार्ग है यहां पर कंधास नदी है उस पर पुल चाहिए, अभी अगर सड़क नहीं बन पाती है तो कम से कम पुल जरूर बन जायें क्योंकि वहां से हमारे गांव के कई आदमी बह चुके हैं. धुधवनिया से बेलगांव मार्ग एवं हड़ैया नाला पर पुल करदा से कुसेड़ी मार्ग में एक उच्चस्तरीय पुल चाहिए वहां पर नदी है, एक धुआडोल ददरिया से निवास रोड रेल्वे स्टेशन मार्ग में गोपद नदी पर पुल क्योंकि यहां से 1.5 किलोमीटर दूर स्टेशन है लेकिन हमें कुसमी ब्लाक से कम सेकम 50 किलोमीटर घूम कर रेल्वे स्टेशन तक पहुंचते हैं इस पुल के बनने से गांव के लोगों को 50 किलोमीटर घूमकर नहीं जाना पड़ेगा. तीन सड़कें बनीं थीं लेकिन उन सड़कों की गुणवत्ता ठीक नहीं है आप थोड़ा सा अधिकारियों को भेजकर उसकी जांच करवा लें क्योंकि उसका डामरीकरण हुआ है लेकिन वह ठीक नहीं है मैनेवहां पर स्थानीयअधिकारियों से बातकी थी तो वह बोले कि बजट कम है हम कैसे बनायें जो भी हो वह ठीक हो जाय कम से कम उसमें रोलर चला देते बिना रोलर चलाये है तो लगता है कि जैसे मिट्टीकरण किया गयाहै. इसलिए उसको दिखवा लेंगे . मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी सूची आपको लिखित में दे दूंगा. सीधी सिंगरौली और हमारा सीधी टिकरी मार्ग और यह जो चार पुल बोले हैं यदि आप स्वीकृति प्रदान करेंगे आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह परिहार (नीमच) – माननीय उपाध्यक्ष महदोय, मैं मांग संख्या 24, 67 का समर्थन करताहूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करताहूं. उपाध्यक्ष महोदय हमारे मंत्री जी की कार्यशैली की वजह से आज सड़कें पुल पुलिया हैं भवन हैं उनकी जो ठीक स्थिति रखने का कोई काम कर रहा है तो वह लोक निर्माण विभाग कर रहा है उनकी उल्लेखनीय कार्य शैली की वजह से ही मध्यप्रदेश स्वर्णिम मध्यप्रदेश बन रहा है और स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने के लिए सड़कों की बहुत आवश्यकता होतीहै. सड़कें हमारे विकास की धमनियां होतीहैं जिस प्रकार शरीरमें रक्त की धमनियां काम करती है उसी प्रकार सड़कें भी हमारे विकास में बहुत योगदान देती हैं. मैं यह ही निवेदन करूंगाकि मैं जब 2003 में यहां पर विधायक

बनकर आया था मुझे पता है कि मैं 16 घंटे में नीमच से भोपाल आया था. आज मैं 5 या 5.5 घंटे में नीमच से भोपाल आता हूं. इसके लिए मैं लोक निर्माण विभाग कोधन्यवाद दूंगा. आज सड़कों के अच्छी होने की वजह से दूरी कम हो गई है . मैं यह ही मांग करूंगा कि हमारे नीमच में जो फोर लेन रोड दी है लेबड़ से नयागांवतक उसके बाद में मेरा क्षेत्र है नीमच उसमें पास में ही फोर लेन से हम जब शहरमें प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता हैकि कहीं गांव में घुसरहे हैं आपने संभागस्थान को फोर लेन से जोड़ने का और जिला स्थान को दो लेन से जोड़ने का और तहसीलस्थान को भी जोड़ने की योजना बनाई है. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नीमच हमारा शहरहै उसको आप फोर लेन से जोड़ने का काम करें. फेर लेन हमारा बायपास से निकल गया है आप नीमच से भाटखेड़ा जमुनिया हिंगोरिया कलेक्टर कार्यालय से जामनिया सादेतक की जो सड़क है इसको अगर आप फोर लेन से जोड़देंगे केवल 16 किलोमीटर की यह सड़क है, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मैं आपसे पहले से पूर्व से परिचित हूं मैं एक कार्यक्रम में इटारसी गया था तो वहां पर आपकी कार्यशैली को देखकर बहुतप्रभावित हुआ था. क्योंकि सिख समाज वह समाज है सवा लाख से एक लड़ाऊं तो गुरू गोविंद सिंह कहलाऊं, जिस राष्ट्र के लिए आपने त्याग कियाहै उस राष्ट्र के निर्णाण में आप लोक निर्माण मंत्री बनकर आज काम कर रहे हैं तो मेरा यह ही निवेदन है कि यह 16 किलोमीटरकीसड़क जो हमारे नीमच को गांव जैसा लग रहा है उसको आप शहर जैसा कर दें फोर लेन की स्वीकृतिदे दें. इसके अलावा धधेरिया में एक छोटी सीसड़क है जो कि हमारे शहर से होकर निकलती है उसे भी आप ठीक कर दें. हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी जब जीरन आये थे तब उन्होने टप्पे को तहसील घोषित किया था तहसील में जाने के लिए भी सड़कें अच्छी होना चाहिए. आपके द्वारा कुछ सर्वे भी कराये हैं मल्हारगढ़ से कुचडोद कुचडोद से जीरन और नीमच सांदे तक का आपने जो सर्वे कराया है यदि उसको भी आप मंजूरी दे देंगे तो वह काम भी बढ़िया हो जायेगा. और जीरन एक तहसील स्थान है, उस तहसील स्थान पर आपने एक डाक बंगले की स्वीकृति दी है. उस स्वीकृति में कहीं न कहीं प्रशासनिक स्वीकृति अटकी हुई है. आप उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दें. जीरन में आप पधारें और उस डाक बंगले का भूमि पूजन करके जीरन की तहसील की जनता को एक बड़ी सौगात दें. छोटी-छोटी सी कुछ सड़कें हैं, मैं उन सड़कों की बात करके अपनी बात को विराम दूंगा. उपाध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा, ग्वालतालाब से जीरन जाने वाली

एक सड़क का पत्र पूर्व में मैंने आपको प्रस्तुत किया था, उस सड़क को आप मंजूर कर दें. दो-दो कि.मी. की ये सड़कें हैं, अरनियाबोराना से जीरन, राबड़िया से ग्वालतालाब, मेलकीमेवाड़ से पालसोड़ा, सरजना से नवलखेड़ा, आमलीखेड़ा से उमेहड़ा, घसूंडीबामनी से बिसलवासखुर्द होते हुए जो सड़क जाती है, ये छोटी-छोटी सड़कें हैं. यदि ये सड़कें बन जाएंगी तो हम कम से कम नीमच विधानसभा में 800 सीसी की कार से घूम सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं रहेगी. आपने बहुत अच्छे काम किये हैं. आपने सेतू निगम के द्वारा गुप्ता की पुलिया नीमच में बनाई थी, जहां श्री खुमान सिंह जी शिवाजी निवास करते हैं, वे स्वर्गीय हो गये हैं. उनके पास में आपने सेतू निगम से एक पुलिया दी थी. मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं. एक महू रोड पर बालाजी की पुलिया है, उसके लिए भी आपने ढ़ाई करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है. मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं. मगर एक ग्वालटोली है, उस ग्वालटोली के पास पोरवाल पेट्रोल पंप के पास एक जीर्ण-शीर्ण पुलिया हो गई है, जब बड़े वाहन उस पर से निकलते हैं तो हमको डर लगता है कि कहीं ये जीर्ण-शीर्ण पुलिया धंस नहीं जाय, कोई दुर्घटना नहीं हो जाय. पुलिया भी बहुत छोटी है. कहीं मोटरसाईकिल वाले, कहीं बस वाले, कई एक्सीडेंट हुए, लोग नीचे धराशायी हो गये तो कम से कम मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस पुलिया को भी आप सेतू निगम से या लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हमेशा देने वाले रहे हैं. आपका काम रहा है देने का. हम तो नीमच, जो राजस्थान के पास में हैं. वहां से हम आते हैं. आप वहां स्वीकृति देने का काम करें. नीमच में हमारे दो वार्ड हैं, उनके लिए भी सेतू निगम में प्रस्ताव भेजा है, हमारे पार्षद बंधू वहां हैं मुरली भाई, बस इतना ही निवेदन करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ था. पीआईयू का नीमच जिले में गठन है, यदि नहीं है तो आप जिला स्थान पर उसका गठन कर दें. नीमच में सर्किट हाऊस का बहुत महत्वपूर्ण काम है. नीमच में छोटा-सा डाक बंगला है. आप वन मंत्री थे, मैं और आप जावद चले थे, मैं उस समय जिलाध्यक्ष था. वहां छोटा-सा डाक बंगला है. अब जिला स्थान है, बहुत लोग आते हैं, दो कमरे हैं. कभी किसी के लिए बुक, कभी किसी के लिए बुक रहता है. इसलिए आप वहां पर एक सर्किट हाऊस बना दें. 1 करोड़ 24 लाख का एस्टीमेट आपके पास में भेजा गया है तो वहां सर्किट हाऊस आप स्वीकृत कर देंगे तो नीमच की जनता

आपको बहुत दुआएं देगी. आने वाले अतिथि भी आपको दुआएं देंगे. इस प्रस्ताव को आप स्वीकृति दे दें. उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत संरक्षण प्रदान किया, माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह साहब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि नीमच के एक छोटे-से जनप्रतिनिधि ने आपके समक्ष जो मांगें प्रस्तुत की हैं, आप बड़ा हृदय रखकर उन मांगों को मंजूर करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय.

डॉ. योगेन्द्र निर्मल (वारासिवनी) - उपाध्यक्ष महोदय, आप विधि के स्थान पर बैठे हैं, मैं आपका सम्मान चाहूंगा और अपना संरक्षण चाहूंगा. पहली बार स्वतंत्रता के बाद मेरी विधान सभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता और इस सबका जो श्रेय जाता है, वह हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है. पुराणों में दो बातें आती हैं, लोक और परलोक. यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे भाई साहब जी, लोक निर्माण विभाग का कार्य सम्मानीय श्री सरताज सिंह जी को दिया हुआ है.

उपाध्यक्ष महोदय - अब आप लोक ही तक सीमित रहें.

डॉ. योगेन्द्र निर्मल - ठीक है, परलोक तो हमने देखा नहीं उपाध्यक्ष जी तो लोक की ही बात कर रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - ईश्वर आपको लम्बी उम्र दे.

डॉ. योगेन्द्र निर्मल - मेरे विधायक बनने के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपके प्रयास से 7 कि.मी. की एक नयी सड़क बनी. 15 कि.मी. में नवीनीकरण हुआ. एक ढ़ाई कि.मी. की नयी सड़क बन रही है और 50 कि.मी. मार्ग बालाघाट विधान सभा, वारासिवनी विधान सभा और खैरलांजी विधान सभा, कटंगी विधान सभा होकर गुजरती है, उसमें बीओटी मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से चालू हुआ है, जिसका काम प्रगति की ओर है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बात नहीं कहना चाहता. लेकिन पूर्व में मैं अपनी जो भी मांगें हैं, वह सम्मानीय मंत्री जी के सामने लिखित में रख चुका हूं. एक फाईल भी दी है. एक पुलिया है, कोटेझरी से कोचवाही जो 3 विधान सभाओं को जोड़ती है, बालाघाट लालबर्रा, कटंगी और वारासिवनी. मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस कार्य में मुझे सहयोग करेंगे और इस पुलिया निर्माण के लिए वे अपने

बजट में स्थान देंगे. मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आपका सम्मान करता हूं, धन्यवाद देता हूं और लोक निर्माण मंत्री जी का भी सम्मान करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, वन्दे मातरम्.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जौरा) - उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24 और 67 के पक्ष में खड़ा हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं. मैं सदन में पहली बार चुनकर आया हूं. मैं बड़े ध्यान से अपने कांग्रेसी मित्रों को और अपनी पार्टी के लोगों को सुनता हूं. उसमें सामने वाले सत्य बात कम करते हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003 से पहले मध्यप्रदेश में सड़कों की क्या हालत थी? मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि एक घंटे का सफर 4-5 घंटे में पूरा किया जाता था. मेरे क्षेत्र के चंबल संभाग के डॉ. गोविन्द सिंह जी, माननीय श्री रामनिवास रावत जी यहां से चले गये है, उनको विजयपुर जाने के लिए 4 घंटे लगते थे और जो गाड़ी 5 साल चल सकती थी वह 1 साल में ही खत्म हो जाती थी. उपाध्यक्ष महोदय, हमको पहली बार वर्ष 2003 के बाद में सरकार बनाने के लिए जनता ने न्यौता दिया है तो कांग्रेसी मित्रों के कारण हमने सरकार बनाई, उसके बाद में दूसरी बार हमने सड़कों पर काम किया. इसके माध्यम से जनता ने हमें दूसरी बार सरकार बनाने का न्यौता दिया. अब जब हमारा काम जनता ने बहुत अच्छा देखा तो मध्यप्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री तीसरी बार मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बने हैं और मैं समझता हूं कि उनकी कार्य पद्धति से ..

उपाध्यक्ष महोदय - अब तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, अब सुझाव दीजिए कि इस कार्यकाल में आप अपने क्षेत्र के लिए क्या चाहते हैं?

श्री सूबेदार सिंह रजौधा- भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अंगद का पांव है और यह बड़ी मुश्किल से उखड़ेगा.

डॉ. गोविन्द सिंह - (xx) (व्यवधान)..

(xx) विलोपित

उपाध्यक्ष महोदय - आपके भाषण में उन्होंने नहीं टोका था डॉक्टर साहब.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा- डॉक्टर साहब, आपकी बात का जवाव देने का मेरा कद नहीं है. आप चबंल संभाग के कद्दावर नेता है. उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी है तो कांग्रेसी मित्रों के कारण, दिग्विजय सिंह की सरकार के कारण हमने सरकार बना पाई है.

उपाध्यक्ष महोदय - आप भी तो श्रेय ले लीजिए कुछ, आप सब दिग्विजय सिंह जी को दे रहे हैं.

डॉ. गोविन्द सिंह - अच्छा पूछिए कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में आपके काम हुए कि नहीं हुए?

उपाध्यक्ष महोदय - सूबेदार सिंह जी, मुद्दे की बात पर आ जायं. विभाग की मांगों पर बोलें.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा - उपाध्यक्ष महोदय, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा - उपाध्यक्ष महोदय, वे दोनों आपस में समधी हैं. इनको लड़ने दीजिए.

उपाध्यक्ष महोदय - मुझे समधियों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए.

श्री सुबेदार सिंह रजौधा-उपाध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं. मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बात को स्वीकृति देंगे. मेरे मुरैना जिले में दो डिस्ट्रिक्ट रोड़ हैं. एक रोड़ सबलगढ़ से मुरैना को मिलाता है. वह केवल शहरों को जोड़ता है लेकिन एक दूसरा महत्वपूर्ण रोड़ है वह सबलगढ़ से एन.एच. रोड़ मुरैना को जोड़ता है. उसमें तीन विधान सभाओं सुमावली,जौरा और सबलगढ़ के कम से कम तीन चार सौ गांव आते हैं. वो रोड़, एरीगेशन का ए.बी.सी. कैनाल पर रोड़ बना हुआ था लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको लोक निर्माण विभाग में तबदील कर दिया. मंडी बोर्ड ने कुछ थोड़ा सा काम किया था. उपाध्यक्ष जी, अब नहरों को पक्का करने का काम चल रहा है तो वह नहर वाली रोड़, जो डिस्ट्रिक्ट रोड़ है, महिदपुर रोड़ है , वह सैकड़ों गांवों को जोड़ रही है. वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. मैं मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि कम से कम नई तरह से न बनें लेकिन उसका उन्नयन हो जाय, उसकी मरम्मत हो जाय. दूसरी मेरी यह मांग है कि एक मेरे विधान सभा क्षेत्र जौरा में खरसेनी ग्राम से सतीमाता का मंदिर है उसमें हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है . 1977-78 में लोक निर्माण विभाग ने उस रोड़ को बनाने का काम किया था लेकिन 1977-78 के बाद में उस ओर लोक निर्माण विभाग ने ध्यान नहीं दिया. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरी ये रोड़ भी उसमें जुड़ जाएगी. एक क्वारी

नदी पर, जौरा विधान सभा में, जो विधानसभा के मुख्यालय को जोड़ता है. बड़नेर है, सिंगरौली, चिन्नोनी है, चंबल है इन गांवों को 40 किलोमीटर होकर जाना पड़ता है. अगर एक रपटा क्वारी नदी पर, भर्रा और छेरिया ,सुचानगढ़ी के बीच में बन जाएगा तो दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह जाएगी. मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस पर भी विचार करेंगे. उपाध्यक्ष जी , आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को(पुष्पराजगढ़) - उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के कुछ मार्गों के बारे में प्रस्तावित करना चाहूंगा. नोनघटी-दमेहडी-लीला मार्ग , बीजापुरी से नगनला मार्ग, बम्हनी से केशवानी मार्ग, गिरारी से थरमरघर मार्ग, मुख्य मार्ग से करपा बाजार तक.,अहिरगंवा से केलमनिया घाट, पोंडी से कंरगरा मार्ग. अहिरगंवा से केमनिया मार्ग, अतरिया से करनपठार मार्ग, बेंदी से भैसान टोला मार्ग, मुख्यमार्ग अमरकंटक से सलरो पहुंच मार्ग, भेजरी से अमगंवा मार्ग , करोंदी से सुनहरा-बरवसपुर मार्ग,सोनियामार से नौगवां मार्ग,सोनियामार से नौगवां मार्ग में एक नग पुलिया निर्माण. और गौरेल से पौड़ी मार्ग, और ग्राम वैंकटनगर में PWD का विश्रामगृह बनवाले की कृपा करें.और जिन मार्गों का नाम मैने लिया है और कुछ जीर्णोद्धार के हैं कुछ नवीन हैं. इनको बनवाले की कृपा करें. और कुछ स्वीकृत निर्माण कार्य हैं उनके बारे में माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आर जी रोड़ राजेन्द्रग्राम घोगरी मार्ग की स्वीकृति आपने प्रदान की है जिसमें 47 करोड़ की यह रोड़ करीब पिछले वर्ष स्वीकृत हुई थी. इसका निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है. यह 50 किलोमीटर की रोड़ है और ये पूरे पुष्पराजगढ़ विधानसभा के बीचो बीच है. इधर डिण्डौरी को जोड़ने वाली रोड़ है ,इसका बनना अति आवश्यक है. और जो ठेकेदार है वह बहुत धीमी गति से कार्य कर रहा है. मेरा माननीय मंत्री महोदय से सदन के माध्यम से निवेदन है कि इस ठेकेदार को निर्देशित करे कि तत्काल कार्य की गति बढ़ाएं. ताकि यह काम जल्दी से संपन्न हो. कुछ और स्वीकृत मार्ग हैं जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा. उपाध्यक्ष महोदय, पड़मनिया से बिजौरा मार्ग, कोड़ार से बघाड़, दोना से कोडार मार्ग, बोदा से खुरसी मार्ग, देवरी से कंचनपुर मार्ग लालपुर से दुबसरा मार्ग, गन्नागुड्डा से सलैया मार्ग,अमरकंटक से फर्रीसेमर मार्ग, फर्रीसेमर से दमगढ़ मार्ग.सरई से खमरोध होते हुए कातुरदोना मार्ग. उपाध्यक्ष महोदय जी ये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत हैं. और इनका निर्माण कार्य प्रारंभ होकर लगभग चार साल हो चुके हैं और 5-5,6-6,7-7 करोड़ के ये काम हैं और एक ही, चाहे हम जिला समिति में बात करें या जानकारियों मांगे ...

उपाध्यक्ष महोदय—ये ग्रामीण विकास विभाग में आता है.ये PWD की नहीं हैं. आप ग्रामीण विकास मंत्री जी को पत्र लिख दें.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को- मेरा कहना यह है कि यहां से यदि निर्देश जारी हो जाएं तो गति आ जाएगी. एक बात और कहना चाहता हूं कि PWD के उपयंत्री 10-10,15-15 साल से एक ही डिविजन में कार्यरत हैं. यदि आप उनको ज्यादा दूर न कर सकें तो उनको उसी डिविजन में , जैसे मेरा पुष्पराजगढ़ राजनग्राम डिविजन है. तो उसे आप ज्यादा न हटा सकें तो उसे अनुपपुर जिले में , जिला मुख्यालय में कर दें. तो यदि थोड़ा परिवर्तान होगा तो कार्य में थोड़ी गति आएगी और एक ही व्यक्ति एक जगह रह कर वहां घर बना रहा है , धीरे धीरे वहां स्टेबिलिश होने की स्थिति में है. अतः मैं सदने के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 10-10,15-15 साल से एक ही स्थान पर राजनान्दगांव डिविजन में जो कार्यरत हैं ऐसे उपयंत्रियों को यदि आप ज्यादा दूर न भेज सकें तो कम से कम जिला मुख्यालय के अन्यत्र डिविजन में उनको भेजने की कृपा करें ताकि रोड़ों की गुणवत्ता भी बनी रहे. और जब नया व्यक्ति आएगा तो वह उत्साह से काम करेगा और अच्छा करेगा. इन्हीं शब्दो के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. आपने जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद.

पंडित रमेश दुबे(चौरई)- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं और मांग संख्या 24 और 67 का समर्थन करता हूं. उपध्यक्ष महोदय, हमारा मध्य प्रदेश गांव में निवास करता है और गांव के विकास के लिए सड़क की महती आवश्यकता है और हम सड़क की दृष्टिकोण से प्राथमिकता से देखें तो वास्तविक रूप से गांव के विकास के लिए 5 प्राथमिकताएं हैं. सड़क,पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क के दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है 2003 के पहले यदि हम मध्यप्रदेश में सड़क की स्थिति देखें तो जो मुझे जानकारी थी उसके आधार पर 15000 किलो मीटर सड़कें मध्यप्रदेश में बनी थीं. लेकिन पिछले दस वर्षों में मध्यप्रदेश में , हमारी सरकार ने 90 हजार किलोमीटर सड़कें मध्यप्रदेश में बना कर जो हमारे गांवों की प्राथमिकताएं थीं ,जो सड़क के आधार पर हम गांवों को विकास और व्यवस्थाएं दे सकें उस दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश की सरकार ने काम किया है और जिस दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश की सरकार ने काम किया है मैं मध्यप्रदेश की सरकार और हमारे विभाग के मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के विभाग के जो कुछ काम है उसके बारे में कहना चाहता हूं. मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि चौरई विधान

सभा क्षेत्र में सेतु निगम के माध्यम से कुछ पुलों का निर्माण कार्य हो रहा है. हमारे अपने साख और हलाल के बीच में जिस पुल का निर्माण 5-6 साल से हो रहा है, लेकिन वह पुल अभी भी अधूरा है. मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसे शीघ्र पूर्ण करके जनता को समर्पित कर सें. चूंकि वह आदिवासी क्षेत्र का पुल है, जहां उसकी बहुत महती आवश्यकता है. एक दूसरा पुल पिपरियाखाती और बांसखेड़ा के बीच में है. पुल का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन उसके दोनों तरफ जो एप्रोच रोड एक-एक, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर की नहीं बनने के कारण उस पुल के ऊपर से आवागमन अवरूद्ध है, जिस उद्देश्य के कारण उस पुल का निर्माण किया है, उसकी सुविधा वहां के ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रही है. एक जिले से दूसरे जिलो को जोड़ने वाला हलाल से बेलपेट के बीच में पुल की स्वीकृति प्रदान की है, उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ है, लेकिन जिस गति से उस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, वह धीमी है.

उपाध्यक्ष महोदय—आपको जो मांगना है, वह कह दें. एक मिनट में खत्म करें. आपका नाम पहले नहीं आया था, बाद में आया है.

पं.रमेश दुबे—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मांग और मंत्री जी से करना चाहता हूं कि चौरई से चांद जो महाराष्ट्र से जोड़ने वाली सड़क है, जिसका DPR साढ़े पांच मीटर चौड़ा बन रहा है, उसे 7 मीटर का बनाया जाय तो वह अंतर्राज्यीय सड़क हो जाएगी. अंत में मैं कहना चाहूंगा कि चौरई का जो विश्राम गृह है, बहुत छोटा है, उसको विस्तारित करें और चौरई विधानसभा क्षेत्र में चांद तहसील है, वहां की विश्राम गृह नहीं है, मैं चाहता हूं कि विभाग वहां भी एक विश्राम गृह बनाए. चौरई विधानसभा के आदिवासी विकासखंड बिछुआ में भी विश्राम गृह बनाने का निवेदन है. उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री मुकेश नायक—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में सदस्यों की उपस्थित को लेकर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में संख्या बल की बात करते हैं, बेचार सरदार जी अकेले बैठे हुए हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—भोजन करने गए हैं.

श्री शरद जैन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाबी में भोजन करने गए हैं.

श्री मुकेश नायक—उन सबकी उपस्थिति की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं. कृपया शासन के लोगों को निर्देश दें कि विधानसभा को गंभीरता से लें और सदन में आएं.

उपाध्यक्ष महोदय—मैं समझता हूं कि आपको विस्मरण हो गया कि यहां गिनती सवा लाख से शुरू होती है. अब कुंवर विक्रमसिंह नातीराजा जी दो मिनट में अपनी बात कहेंगे. अभी दूसरे विभाग भी आएंगे. कई विभागों की मांगों पर अभी चर्चा होनी है.

कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा (राजनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय—नहीं मैं 5 मिनट नहीं दूंगा, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें. आप अपने सुझाव दे दें. आप तो हर विभाग पर बोलते हैं.

कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24 और 67 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. मेरे विधानसभा क्षेत्र राजनगर में डुमरा से बमीठा तक की रोड के बीच में 17 किलोमीटर का टुकड़ा जो नवीन कुटने पोषक जलाशय की वजह से आज यह दशा है कि 17 किलोमीटर के उस पैच में लगभग डेढ़ घंटे निकलने में लगता है. इस रोड को स्वीकृत कर इस वर्ष की कार्य योजना में लिया गया है. मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद इसके लिए देना चाहता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय—एक मिनट. विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों के संपादन के लिए नियत हैं. परंतु आज कार्यसूची में उल्लेखित कृषि विभाग की मांगों पर चर्चा के उपरांत अशीसकीय कार्य लिया जाएगा.

श्री रामनिवास रावत—उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—मंत्री जी और हम सब चाहते हैं कि सोमवार से विभागों की मांगों से चर्चा कराएं. अभी अशासकीय संकल्प ही लें.

श्री रामनिवास रावत—उपाध्यक्ष महोदय, आप लोक निर्माण विभाग पूरा कर लें, उसके बाद अशासकीय कार्य ले लिए जाएं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—उपाध्यक्ष महोदय, अशासकीय संकल्प आना चाहिए, यह बिलकुल नहीं होगा.

उपाध्यक्ष महोदय—मैं इसकी व्यवस्था बाद में दूंगा.

श्री रामनिवास रावत—उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि ढाई बजे से अशासकीय कार्य प्रारंभ हो जाता है, हम चाहते हैं कि PWD की चर्चा खत्म होने के बाद आप आशासकीय कार्य ले लें.

उपाध्यक्ष महोदय—अशासकीय संकल्प ते लेंगे ही, आप लोग जिद न करें. PWD खत्म होने दीजिए, एक विभाग और आ जाने दीजिए, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—जल्दी क्या है, अभी विधानसभा का सत्र लंबा है. क्यों जल्दी खत्म करना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय—आज कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय हुआ है, रावत जी उसमें उपस्थित थे, वहां पूरे समय तक सदन चलाने की बात हुई है. 14 विभाग अभी चर्चा के लिए बाकी हैं. आप लोग सहयोग करिये. समय फिर आप लोग क्यों ले लेते हैं. मेरी बात सुन लीजिए. आपके दल के लिए कार्य मंत्रणा समिति में जो समय तय हुआ है, उसमें मात्र 21 मिनट आते हैं और आप समय ले लेते हैं 40 मिनट, 50 मिनट. यहां भी आप चाहते हैं कि समय ज्यादा ले लें और दूसरे विभागों पर चर्चा भी न हो, यह गलत बात है.

श्री रामनिवास रावत—उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सभी विभागों पर चर्चा हो, समय कम हो तो बैठकें बढ़ा दी जाएं. सदन में चर्चा करने के लिए ही तो सदस्य आते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—चलने दें, क्यों व्यवधान डाल रहे हैं. माननीय मंत्रीजी को जवाब देना है. 2-3 माननीय सदस्य और बचे हैं.

राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग (श्री लाल सिंह आर्य)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि जैसा माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य यह आपत्ति कर रहे हैं. कार्यमंत्रणा समिति में आप हैं, वहां तय हुआ है. सदन की परंपरा रही है और आपकी सरकार के समय हम भी 11-11 बजे तक बैठे हैं. आप व्यवस्था को खंडित करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—विक्रम सिंह नातीराजा के भाषण के अलावा और कोई चीज नहीं आएगी कार्यवाही में.

कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं..

उपाध्यक्ष महोदय—आप एक मिनट में समाप्त करें. आपके दल ने वाद विवाद में तीन मिनट ले लिए.

कुंवर विक्रमसिंह नातीराजा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त नहीं कर पाऊंगा.

उपाध्यक्ष महोदय—एक मिनट में जितनी बात आए, आप कह दें. आप हर विभाग में बोलते हैं. आपको पर्याप्त समय मिलता है. आप थोड़ा सहयोग करें.

कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा—राजनगर-छतरपुर मार्ग से गोमाकला मार्ग यह बनना चाहिए. राजनगर गंज मार्ग आपने स्वीकृत किया, विक्रमुपर-कदारी मार्ग आपने स्वीकृत नहीं किया. मेरा निवेदन है कि इसको भी स्वीकृत कर दें. इसको अगले वर्ष के बजट में ले लिया जाय तो बहुत अच्छा रहेगा. खजुराहो से पावर हाउस से राजनगर गंज रोड तक एक सड़क है, मात्र तीन किलोमीटर की है. मंत्रीजी इसको भी ले लिया जाय. ग्राम बमनोर खजुराहो से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और खजुराहो से जटकरा होते हुए गड़रपुरा तक PWD की रोड है, यह सन 80 के बाद से आज तक न इसमें मुरम डली है, न बोल्डर डले हैं. आज जो स्थिति है, वहां से निकलना पड़ता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं. मंत्री जी आप खजुराहो आएं तो मैं वहां से आपको ले चलूं तो उसकी स्थिति आपको पता चलेगी. मैं दो मिनट में अपनी बात कहूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय—नहीं 2 मिनट का समय नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं आपके जो प्रस्ताव हैं, आप मंत्री जी को लिखित में दे दें.

कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा—परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों द्वारा भवन निर्माण की 25 लाख तक की स्वीकृति PWD को दी गई है.

उपाध्यक्ष महोदय—आपको आसंदी की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए. बैठिए.

कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा—धन्यवाद.

श्री अनिल फिरोजिया(तराना)—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी मक्सी-उज्जैन टू लेन रोड स्वीकृत कर दी है. मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उज्जैन से लगा हुआ तराना मेरा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर अभी सिंहस्थ पर्व आ रहा है तो कनासिया से वगैरा मोड़ तक अगर आप टू लेन रोड स्वीकृत कर देंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी. इससे सिंहस्था का जो मक्सी रोड का लोड है वह डायवर्ट हो जाएगा, मक्सी रोड पर ज्यादा लोड नहीं आएगा. माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन है कि रुपाखेड़ी में हमारा ब्रिज बहुत क्षतिग्रस्त है, किसी भी दिन वह ब्रिज गिर पड़ेगा. आपने रोड बना दी उसके लिए धन्यवाद. अगर आप ब्रिज की स्वीकृति दे देंगे तो अतिकृपा होगी. तराना में फोर लेन बायपास रोड का प्रस्ताव आपके पास है कृपा करके उसको भी स्वीकृति प्रदान करें. आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री सचिव यादव(कसरावद)—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध,निवेदन,विनती करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण रोड गोपालपुरा-से सरवरदेवला की रोड है उस रोड पर किसानों के द्वारा एक शुगर फेक्ट्री का निर्माण किया गया है और उस रोड का निर्माण नहीं होने के कारण आये दिन हमारे 40-50 गांव के किसान साथियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, विशेष तौर पर नवम्बर में सीजन चालू होने वाला है उन किसानों की पीड़ा को ध्यान में रखकर माननीय मंत्री जी इस सड़क के निर्माण का काम अतिशीघ्र चालू कराने की कृपा करें.जयहिन्द, जयभारत.

श्री सत्यप्रकाश सखवार(अम्बाह)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया. हमारे अम्बाह विधानसभा में कुछ रोडों का निर्माण होना है विशेष रुप से रछेड़ रोड से महान्तकापुरा तक एक रोड है, अटेर रोड से रेशेकापुरा बिरहा तक एक रोड है, रायपुर से बिहारकापुरा एकरोड है, नहर की पुलिया रोड से गुढ़ा गांव तक एक रोड है, रनहेरा से महुआ तक एक रोड है, कसमड़ा से पनिकापुरा की रोड है, सेथरा बाढई से कसमड़ा तक, उसैत रोज से खुडो बीजला तक, उसैत रोड से अमिलीपुरा तक, बुधारा गांव से महदौरा तक, भड़ोली रोड से कुम्हरपुरा हवेली तक, अधन्नपुर से रुअर गांव तक, आम्लेड़ा से अधन्नपुर तक, मटियापुरा से पाटीवारा तक, वालकीपुरा से माधोंसिंह कापुरा तक, लक्ष्मन पुरा से बगियापुरा तक,और लुधावली से दहागांव तक, ये छोटी छोटी रोडे हैं और क्षेत्र के

विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन रोडों को स्वीकृत करने की कृपा करें. धन्यवाद.

श्री हरदीपसिंह डंग(सुवासरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीतामउ में रेस्ट हाउस की बहुत आवश्यकता है वहां पर पीडब्ल्यूडी की जमीन उपलब्ध है खाली वहां पर रेस्ट हाउस बनाना है तो वहां पर रेस्ट हाउस बनाने के लिए राशि स्वीकृत की जाए.

उपाध्यक्ष महोदय—डंग साहब आप किसकी अनुमति से बोल रहे है. आप लिखित में मंत्री जी को दे दीजिएगा. मैं आसंदी से व्यवस्था दे रहा हूँ, जो आपका प्रस्ताव है,आपकी सूची है,माननीय मंत्री जी को दे दीजिएगा.

श्रीमती शीला त्यागी(मनगवां)- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय दें.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप माननीय मंत्रीजी को अपनी अपनी सूची दे दीजिएगा,यह हम व्यवस्था दे रहे हैं. आप लोग बैठ जाए.

श्री आरिफ अकील—उपाध्यक्ष जी, मेरे लिए भी कोई व्यवस्था दे दीजिए कि मेरी सूची जो पहले की दी हुई है उस पर कार्यवाही हो जाए.

उपाध्यक्ष महोदय—अब आप रोजे पर हैं.

श्री आरिफ अकील—बोलने के लिए मैंने सूची पहले की दी हुई है.

उपाध्यक्ष महोदय—इसीलिए तो आप बोल नहीं रहे हैं कि असत्य बोलना पड़ेगा कहीं(हंसी)

श्री आरिफ अकील—बोलू.

उपाध्यक्ष महोदय-- नहीं, नहीं, आप रोजे पर हैं, मैं याद दिला रहा हूँ.

श्री आरिफ अकील—रोजे पर हैं तो क्या सूची का भी नहीं कह सकते.

उपाध्यक्ष महोदय—बिलकुल दे दीजिएगा.

श्री आरिफ अकील—उस पर भी कार्यवाही हो जाएगी, यह कह दीजिए.

श्री रामनिवास रावत—उपाध्यक्ष महोदय, आप यह निर्देश दे दें जितने भी सदस्य सूची दें उस पर कार्यवाही हो जाए.

उपाध्यक्ष महोदय—ठीक है, यह हमारी व्यवस्था है, गुणदोष के आधार पर,प्राथमिकता के आधार पर, राशि उपलब्ध होने के आधार पर माननीय मंत्री जी उस पर कार्यवाही करेंगे.

श्री आरिफ अकील—किस की सूची?

उपाध्यक्ष महोदय—जो सदस्य देंगे. आप दीजिएगा मंत्री जी को.

श्री आरिफ अकील—मेरी भी?

उपाध्यक्ष महोदय—जी हां.आप तो शामिल हैं.

लोक निर्माण मंत्री(श्री सरताज सिंह)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉ. गोविन्द सिंह जी,श्री जसवंतसिंह जी हाड़ा,श्री रजनीशसिंह जी, श्री मोहन यादव जी, श्री यादवेन्द्र सिंह जी, श्री पुष्पेन्द्रनाथ जी पाठक, श्री लाखनसिंह जी, श्री बलबीर सिंह, श्री दिनेश राय जी, श्री लाखनसिंह जी यादव, श्री इन्द्रसिंह जी परमार,श्री मधु भगत जी, श्री दिलीपसिंह जी शेखावत, श्री सुखेन्द्र सिंह जी, कुंवरसिंह जी टेकाम, श्री दिलीपसिंह जी परिहार, श्री योगवेन्द्र जी निर्मल, श्री सूबेदार सिंह जी, श्री फुन्देलाल जी, पं, रमेश दुबे जी, कुंवर विक्रमसिंह जी नातीराजा, श्री सत्यप्रकाश सखवार जी, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिये. माननीय उपाध्यक्ष जी, सड़कों का क्या महत्व है यह कोई बताने की आवश्यकता नहीं है. हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता पर लिया है. जहां तक सड़कों के विस्तार की बात है 61554 किलोमीटर सड़के पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आती हैं गोविन्दसिंह जी संख्या अधिक बता रहे थे वास्तव में इसमें 90 हजार किलोमीटर सड़कें हैं, आरआरडीआर के अंतर्गत आती हैं जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली सड़कें और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली सड़कें शामिल हैं लेकिन ये 61554 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी कोई साधारण बात नहीं है. इसके लिए बहुत बड़े बजट की आवश्यकता है.काफी अधिक काम हुआ है लेकिन काफी काम अभी बाकी भी है उसे पूरा करना है लेकिन मैं मानीय सदस्यों का सहयोग एक मामले में चाहूंगा. गुणवत्ता के बारे में शिकायत की जाती है और सही भी है .एक सड़क पर एक बार पैसा खर्च हो गया तो दुबारा उस सड़क का नंबर नहीं लगेगा. लेकिन अगर सड़क गुणवत्तापूर्वक नहीं बनी तो पैसा भी लग गया और उसका जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ भी नहीं मिला, यह स्थिति बनेगी.

उपाध्यक्ष महोदय--- मंत्री जी, एक मिनट सुन लें. मंत्री जी के उत्तर के बाद कृषि विभाग की मांग शुरु हो जाएगी एक सदस्य इधर से बोल लेगा, एक उधर से बोल लेगा ,मेरी पूरी बात सुन लीजिये और उसके बाद अशासकीय कार्य ले लिया जाएगा.

श्री आरिफ अकील-- अशासकीय कार्य का समय तो अभी शुरु हो गया है. आप व्यवस्था बदलिये.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- अशासकीय कार्य अभी कर लीजिये .ढाई तो बज गये हैं. मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ,ढाई बजे से अशासकीय कार्य शुरु होता है.

उपाध्यक्ष महोदय-- हम पहले सदन का मत ले चुके हैं , अब आप सदन में नहीं थे तो क्या किया जा सकता है.

श्री रामनिवास रावत-- हमने सहमति नहीं दी.

उपाध्यक्ष महोदय-- बहुमत की सहमति है. अब एक या दो व्यक्ति सहमति ना दें तो इससे फर्क नहीं पड़ता है.

श्री रामनिवास रावत-- अगर आप बिना सहमति के चलाना चाहें तो वैसे ही गुलेटिन कर लें और पास करा लें क्योंकि उनका तो बहुमत है.

उपाध्यक्ष महोदय--- आप लोग बैठ जाएं मंत्री जी को जवाब देने दें.

श्री आरिफ अकील-- मंत्री जी जवाब दे लें लेकिन इसके बाद अगला विभाग मेहरबानी करके ना लें बल्कि अशासकीय कार्य ले लें.

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)--- उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना है कि मंत्री जी का जवाब पूरा हो जाये इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके बाद सीधे अशासकीय संकल्प आ जायें , उसके बाद अगले विभाग को ना लिया जाये यह प्रार्थना है.

उपाध्यक्ष महोदय--- उस चर्चा में दिक्कत क्या है विभाग की चर्चा की शुरुआत करके एक एक सदस्य बोलेगा उसके बाद वह चर्चा रोक दी जाएगी, अब उस पर तो समझौता कर लें.

श्री सत्यदेव कटारे--- वहीं तो प्रार्थना है कि ऐसा ना किया जाये.

उपाध्यक्ष महोदय--- हम सदन का मत ले चुके हैं. आप उस समय नहीं थे.

श्री सत्यदेव कटारे--- उपाध्यक्ष महोदय, सदन के मत में हमें भी आप जोड़ लिया करें.

उपाध्यक्ष महोदय--- आप सदन में नहीं थे .

श्री सत्यदेव कटारे--- तो आप हमको बुलवा लेते. कई बार नेता प्रतिपक्ष को बुलवाया जाता है. आप हमको बुलवा लेते हम आ जाते कौनसी आपत्ति थी.

उपाध्यक्ष महोदय—संसदीय कार्यमंत्री जी थे .

श्री सत्यदेव कटारे--- संसदीय कार्यमंत्री जी संपूर्ण सदन नहीं हैं. हमारी प्रार्थना है कि इसके बाद अगला विभाग ना ले के सीधे अशासकीय पर आ जायें.

उपाध्यक्ष महोदय--- आप बैठिये, अभी मंत्री जी को सुने.

श्री सरताज सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं गुणवत्ता के संबंध में चर्चा कर रहा था. जब मैंने इस विभाग का चार्ज लिया था तो दो ही लक्ष्य रखे थे गुणवत्ता औऱ गति. गुणवत्ता के संबंध में हम लोगों ने कई निर्णय लिये हैं इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए. लेकिन गति बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि हम समय पर भुगतान भी करें. काम इतने अधिक खुले हुए हैं कि समय पर भुगतान करने में थोड़ी दिक्कत जा रही है . इसलिए इस बजट में हमने कम कामों का समावेश किया है लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा. अनुपूरक बजट में हमको अधिक वित्तीय साधन लेने पड़ेंगे ताकि विधायकों के जो प्रस्ताव हैं, उन पर भी कार्यवाही की जा सके. यह सही है कि सभी प्रस्तावों को इस वर्ष स्वीकार नहीं किया जा सकेगा लेकिन कुछ प्रस्ताव हर विधायक के लिये जाएं , इस बात का प्रयास किया जाएगा. अभी लोक निर्माण विभाग में कुछ चीजें लागू की गई हैं उसके संबंध में मैं उल्लेख करना चाहूंगा. पहली बात तो जो ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन होता है , उसको अब ई-रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जा रहा है . दूसरी बात पेमेंट भी ई-पेमेंट के आधार पर हो रही है तीसरी बात हमने एक नया असेट मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया है , इस पर काम चल रहा है वह अगले महीने तक पूरा हो जाएगा इसमें कौनसी सड़क कब बनी, कितनी लागत में बनी , रिपेयर में कितना खर्चा हुआ , कौनसे सन् में रिपेयर हुआ, कौनसे सन् में रिन्युअल हुआ हर सड़क का इतिहास आपको मिल जाएगा औऱ यह जानकारी पब्लिक डोमेन में दी जाएगी . इसी प्रकार एक नया सिस्टम भी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं , वर्क मॉनीटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम. कौनसा काम कितना हुआ

और उसका कितना भुगतान हुआ , उस काम की प्रगति कैसी है यह पूरे प्रदेश में हर काम के बारे में जानकारी ली जा सकेगी. इसके अलावा एनएबीएल लेब से, एनएबीएल का मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं. नेशनल एक्रेडीटेशन बोर्ड फार लेबोरेट्रीज उनसे जो मान्यता प्राप्त लेब्स हैं उन लेब्स में हमारे कार्यों की गुणवत्ता की जाँच के लिए सेंपल्स भेजे जाएँगे. इसको हम आवश्यक कर रहे हैं और इन लेब्स की स्थापना हर सीई लेवल पर की जाएगी. 20 परसेंट कार्यों का टेस्ट लेब में हो, इस प्रकार के आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं. कांक्रिंग का पेमेंट बिना लेब टेस्टिंग के नहीं हो पाएगा. अभी यह पाया जाता है कि लोग अर्थ वर्क करते हैं क्योंकि उसमें अधिक मार्जिन है तो अब इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं कि अर्थ वर्क करिए लेकिन उसके बाद जब तक गिट्टी की सेकंड लेअर नहीं डाली जाएगी तब तक उस अर्थ वर्क का भुगतान नहीं किया जाएगा. (मेजों की थपथपाहट) अक्सर लोग अर्थ वर्क करके काम को छोड़ देते हैं, तो वह स्थिति भी समाप्त हो जाएगी.

उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, जिनमें हमारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग एक लाख सात हजार क्वार्टर्स की है, उनके मेंटेनेंस के लिए एक ही बजट होता था, वह अधिकांशतः प्रभावशाली लोगों के क्वार्टर्स पर, बँगलों पर, खर्च हो जाता था. इस बार बजट में हमने इसका प्रावधान दो प्रकार से किया है. ई टाईप के क्वार्टर्स और उससे अधिक ऊपर के क्वार्टर्स, इसका हेड हमने अलग कर दिया और एफ टाईप के क्वार्टर्स और उससे नीचे के क्वार्टर्स, इनका हेड अलग कर दिया है तो कम से कम जो छोटे लोगों के क्वार्टर्स हैं उनमें भी मेंटेनेंस का काम हो सके इस बात की व्यवस्था हो जाएगी.

उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के संबंध में अक्सर चर्चा आई है, बात सही भी है. कोई दस साल से, कोई बारह साल से, कोई पन्द्रह साल से, कोई पाँच साल से, कोई छः साल से, एक ही स्थान पर बने हुए हैं. हमने उनकी सूचियाँ बनाई हैं. वास्तव में अगर हम उपयंत्रियों का पाँच साल का भी आँकड़ा ले लें तो लगभग 60 परसेंट उपयंत्रियों को हटाना पड़ेगा. अब इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग तय करेंगे. कोई न कोई एक साल निश्चित करेंगे और उस सीमा के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा. (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय, पीडब्ल्यूडी के कार्यों में एक बड़ी समस्या आ गई थी. केन्द्र सरकार ने पाँच हैक्टेयर से कम जमीन पर भी खुदाई करने के लिए खनिज, मिट्टी या गिट्टी या मुरुम निकालने के लिए पर्यावरण क्लियरेंस का आदेश जारी कर दिया था और मध्यप्रदेश के साथ यह हुआ कि पर्यावरण क्लियरेंस के लिए पर्यावरण बोर्ड में जाना पड़ेगा और मध्यप्रदेश के बोर्ड को भंग कर दिया गया. अब मध्यप्रदेश के लोग कहाँ जाएँ, लंबे समय तक यह स्थिति बनी रही. माननीय मुख्यमंत्री और मैं, हम लोग दिल्ली गए थे और माननीय पर्यावरण मंत्री से मिले थे तो उन्होंने वहाँ से आदेश जारी कर दिए हैं कि पाँच हैक्टेयर से कम के लिए पर्यावरण क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है. (मेजों की थपथपाहट) इससे हमें पीडब्ल्यूडी के कार्यों में एक गति आएगी और तेजी से काम करने का एक मौका मिलेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पाँच सौ युवा इंजीनियर्स को ट्रेंड किया जा रहा है. ताकि वे भी निर्माण के काम में शामिल हो सकें. वे इंजीनियर हैं लेकिन पूँजी का अभाव है इसलिए उनको कुछ सुविधाओं के बारे में चर्चा है, कुछ उनको लोन देने की सुविधा दी जाएगी, कुछ सामान खरीदने के लिए एडव्हांस में पैसा दिया जाएगा. इस तरह की कुछ सुविधाओं के बारे में चर्चा है जिनको फायनल होना है. लेकिन पाँच सौ इंजीनियर्स जल्दी इस बात के लिए तैयार हो जाएँगे, इस काम में शामिल हो जाएँगे और जो कांट्रेक्टर्स की कमी आ रही है उसकी भी पूर्ति होगी. इस पाँच सौ के बाद दूसरा बैच लिया जाएगा और यह कार्यक्रम चलता रहेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, आवंटन भी हमने ग्लोबल कर दिया है ताकि आवंटन में जो पक्षपात होता था, एनओसी जारी होगी किसी काम की तब ही भुगतान होगा अब वह पक्षपात भी समाप्त हुआ है, लेकिन इस ग्लोबल सिस्टम में भी यह देखा गया कि जिसने बाद में काम किया जिसका बिल बाद में बना उसको भुगतान पहले हो गया और जिसने पहले काम किया जिसका बिल बना हुआ है उसको भुगतान नहीं हुआ है इसलिये ऐसे निर्देश जारी किये गये हैं कि जिसका बिल पहले बनेगा भुगतान उसी को पहले करना पड़ेगा, इससे थोड़ा भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और न्याय की बात होगी.

उपाध्यक्ष महोदय, समय का ध्यान रखते हुए मैं अधिक लंबी चर्चा नहीं करना चाहूंगा लेकिन यह बात सही है कि हमने जो एम पी रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (MPRDC) बनाया था उसके कारण

मध्यप्रदेश में अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बनाने में हमें काफी सहयोग मिला है. चूंकि यह कार्पोरेशन बनाना आवश्यक था क्योंकि ADB से वित्तीय सहायता कार्पोरेशन को ही मिलती है और इस बात से भी मैं अवगत कराना चाहूंगा जो मध्यप्रदेश के लिये गर्व की बात है, केवल कार्पोरेशन बनाने से काम नहीं चलता है बल्कि हमारे प्रस्ताव इस तरह के होना चाहिये क्योंकि ADB उसको मानीटर करती है बहुत बारीकी से देखती है वह स्वीकार योग्य हों हमारा प्रस्ताव इस प्रकार बनना चाहिये जिसे बैंक फायनेंस कर दे और मध्यप्रदेश की RDC पूरे देश में नंबर एक पर है जिसने इतनी अधिक मात्रा में पैसा लिया और इतनी अधिक मात्रा में सड़कें बनायी हैं.

श्री कमलेश्वर पटेल—माननीय मंत्रीजी रीवा संभाग का रीवा से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग 11 साल पहले जिस हालत में था आज भी वैसा ही है.

उपाध्यक्ष महोदय—आपका नाम पुकारा गया था आप सदन से गैर हाजिर थे अब आप टोकें नहीं मंत्रीजी को लिखकर दे दीजियेगा. यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है आप कृपा करके बैठ जायें.

श्री सरताज सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि बहुत से काम हुए हैं और बहुत से काम करना शेष हैं. सब काम हो गये हैं ऐसा नहीं है. जो RDC के माध्यम से हमने सड़कें बनायी हैं इनकी लंबाई 9900 किलोमीटर है 1500 किलोमीटर सड़कें अभी स्वीकृत हुईं हैं. एक जापान की कनसर्न है, जायका (Jica), इनसे भी 500 मिलियन डॉलर लोन स्वीकृत होने की संभावना है प्रयास अंतिम क्षणों में है इससे लगभग 3000 करोड़ रुपये मिलेगा इससे भी 1500 किलोमीटर सड़कें बन जायेंगी. लगभग 14000 किलोमीटर अच्छी गुणवत्ता की सड़कें RDC के माध्यम से बनी हैं इसलिये मैं इनका उल्लेख करना चाहूंगा और RDC की सड़कों पर एक नया सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं accident response system इसके लिये तैयारी चल रही है लगभग एक साल में यह सिस्टम लागू हो जायेगा. किसी भी स्थान पर एक्सीडेंट हो एक नंबर पर आपको सूचित करना पड़ेगा और जीपीएस सिस्टम से आपकी लोकेशन पता लग जायेगी और जल्दी से जल्दी आपको सहायता पहुंचायी जायेगी. एक निर्णय यह किया गया है कि हर टोल नाके पर दो एंबूलेंस हों इसके अलावा जो 108 एंबूलेंस चलती है उसका भी कनेक्शन हमारा उस हेड क्वार्टर से होगा तो जहां जो भी नजदीक एंबूलेंस हो चाहे वह टोल नाके की एंबूलेंस हो, चाहे 108 एंबूलेंस हो जल्दी से जल्दी

वहां पहुंच सके इस बात की व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही तीन हास्पिटल बना रहे हैं. 250 करोड़ रुपये एक हास्पिटल की लागत है. यह हम इसलिये बना रहे हैं ताकि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनको जल्दी सहायता मिल सके. यह जो तीन हास्पिटल बन रहे हैं उसमें रतलाम, विदिशा और एक शहडोल में बनाया जायेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, RDC के माध्यम से हमने कुछ भवनों का भी निर्माण किया है जो भवन बन नहीं पा रहे थे जिनमें लंबा समय लग रहा था. क्रिस्टल आई टी पार्ट जो कि 86 करोड़ का है, स्टेट डाटा सेन्टर भोपाल जो कि 17 करोड़ का है और बाम्बे में जो मध्यलोक मध्यप्रदेश के लिये बना रहे हैं। वह 54 करोड़ का है। सिंगरौली एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो 350 करोड़ का है। कुछ समस्याएं नेशनल हाईवे की हैं जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अतंगर्त आता है। उसके लिये भी माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं माननीय नितिन गडकरी जी से भी मिले थे और कोशिश यह है कि बरसात के दिनों में जो भी समस्याएं उन सड़कों में आ रही है, उनका निराकरण किया जाए और उन सड़कों को बनाया जाए। इन सड़कों में ग्वालियर देवास है, रीवा, कटनी, जबलपुर और लखनादौन, ग्वालियर झांसी और इंदौर- अहमदाबाद ये चार सड़के राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत हैं । हमने यह भी आग्रह किया है कि राष्ट्रीय स्तर बनाने में कोई दिक्कत हो तो मध्यप्रदेश का जो पोर्शन है मध्यप्रदेश को दे दिया जाए तो हम लोग भी उसको बना सकते हैं। जैसा कि हमने बताया पी डब्ल्यू डी के माध्यम से एम डी आर राड्र्स है वह 19 हजार, 429 है। जैसा कि गोविन्द सिंह जी बता रहे थे कि आपने फोर लेन टू लेन की बात तो की है, उससे जिले और संभाग जुड़ जायेंगे लेकिन जुड़े नहीं। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है, काम हुए हैं, इसलिये जो इंदौर और उज्जैन संभाग जुड़ेगे, वह काम नेशनल हाईवे दिल्ली के पास है। वह काम भी बाद में हो जायेगा। बाकी टू लेन जोड़ने के मामले में केवल अशोकनगर जिले का काम बाकी है, बाकी सभी काम पूर्ण हो गये हैं। अशोकनगर का काम भी दिसम्बर, 2014 तक पूरा कर लिया जायेगा। आपने गंगौत्री कंस्ट्रक्शन के बारे में जो शिकायत की है,उसकी जांच करवायी गयी है और उसकी रिपोर्ट लोकायुक्त को दे दी गयी है। लेकिन गुणवत्ता बनाने के लिये सबकी आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से आपके साथ इन सड़कों को मैं स्वयं भी देखूंगा और गुणवत्ता के लिये सभी का सहयोग चाहिये और जहां भी अगर किसी काम में गुणतत्ता की कमी दिखाई दे रही है तो माननीय सदस्यों से मेरा

अनुरोध है कि वह उसकी जानकारी दें, उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर कोई गलत काम करता है तो फिर वह कितना भी बड़ा व्यक्ति हो कितना भी प्रभावशाली हो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

3.03 बजे. { माननीय अध्यक्ष महोदय (डॉ सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए }

यह पी आई यू कौन सी चिड़िया है, वास्तव में हमारे पास 4,518 भवन हैं, जिनका काम चल रहा है, अब हम पी डब्ल्यू डी और इनको जोड़ कर चलेंगे तो काम संभालना कठिन है। सड़कों का काम भी बहुत बड़ा है इसलिये यह तय किया है कि भवनों के काम केलिये एक एजेंसी बना दी जाए, जिसके इंजार्च भी अलग होंगे, जिसके अधिकारी भी अलग होंगे,जिसका दफ्तर भी अलग होगा, जिसके बिल देने का अधिकार भी अलग होंगे,उसने नाते हमने इस पी आई यू को गठित किया है। क्योंकि यह 4518 काम हैं , जिनकी लागत है 4 हजार, 4 सौ, बत्तीस करोड़, इन कामों में भी लापरवाही नहीं की जा सकती है। इसलिये यह व्यवस्था बनायी गयी है। यहां एक अजीब व्यवस्था चल रही थी, काम पी डब्ल्यू डी करेगी लेकिन उसकी ड्राईग डिजाईन एप्को बनायेगा। अगर किसी भवन के डिजाईन में माईनर चेंज भी करना है तो वहां पर हम एप्को को लिखेंगे, वहां से साल साल भर में जवाब नहीं आते, निर्णय नहीं हो पाते,इसलिये हमने केबिनेट के निर्णय के माध्यम से यह फैसला किया है कि अब ड्राईंग, डिजाईन और गुणवत्ता का काम पी डब्ल्यू डी अब अपने माध्यम से करेगी। ताकि फैसलों में देरी न हो पाये। हमारे लगभग 300 पुल स्वीकृत हैं, जिसमें से 271 में काम चल रहा है, और 29 पुल में काम होना अभी शेष हैं। काम होना शेष है**.** इसकी लागत लगभग **750** करोड़ रुपये है इसमें अभी **233** करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और **517** करोड़ रुपये के काम होना अभी शेष हैं**.** तो इस बात का आप अंदाज कर सकते हैं कि पी**.**डब्लू**.**डी**.** के माध्यम से होने वाले कामों चाहे भवनों का काम हो**,** चाहे पुल का काम हो**,** चाहे सड़कों का काम हो बहुत बड़े काम हैं और पूरा प्रयास होगा कि इस काम में जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए आपका जो भी सुझाव होगा मैं उसका स्वागत करूंगा और आप अगर कहीं जांच की मांग करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि स्वयं जाऊं अन्यथा हमारा कोई जिम्मेदार अधिकारी जाए यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और पी.डब्लू.डी. में सुधार आएगा इसके लिये आप सबके सहयोग का अनुरोध करता हूं धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय – मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24 एवं 67 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब, मैं, मांगों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि 31 मार्च,2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निम्त लेखानुदान में दी गई धनराशि के सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या-24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए
	दो हजार सात सौ तिरासी करोड़, नब्बे लाख,
	चवालीस हजार रुपये तथा
अनुदान संख्या-67	लोक निर्माण कार्य भवन के लिए पांच सौ पैंतीस
	करोड़,बावन लाख, अठानवे हजार रुपये

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय – अनुदानों की मांगों के बारे में प्रस्ताव.

श्री रामनिवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, ढाई बजे अशासकीय संकल्प शुरू होने वाले थे. तीन बज चुके हैं. कृपा करके हमारा निवेदन है कि विपक्ष की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अशासकीय कार्य प्रारंभ करा दें.

अध्यक्ष महोदय – मैं आपसे अनुरोध करता हूं. कृपा करके सहयोग करें. जैसी कि पहले भी सहमति हो चुकी है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा - अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय नहीं हुआ था कि दूसरा विभाग भीत आजलिया जाएगा.

अध्यक्ष महोदय – आपसे सहयोग की अपेक्षा है आप तैयार भी थे पहले.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा - तैयार तो मैं हूं.

अध्यक्ष महोदय – धन्यवाद आपको. अब आपकी सहमति हो जाए तो इसको हम प्रारंभ करा सकें. सहयोग करें जल्दी इसको समाप्त करें.

श्री रामनिवास रावत – एक ही भाषण कराएंगे.

अध्यक्ष महोदय – यह विभाग पूरा कराएंगे पर जल्दी-जल्दी करा लेंगे.

श्री रामनिवास रावत – इसमें हम सहमत नहीं हैं. आसंदी से ही व्यवस्था आ चुकी है कि एक भाषण के बाद हम अशासकीय संकल्प प्रारंभ कर देंगे.

अध्यक्ष महोदय – मांग प्रस्तुत करा लेते हैं और दो-दो भाषण दोनों तरफ से करा लेते हैं.

श्री रामनिवास रावत – एक-एक. प्रतिपक्ष का इतना तो अधिकार रहना चाहिये निवेदन स्वीकार करें.

अध्यक्ष महोदय – प्रतिपक्ष का पूरा अधिकार है.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा)- दो-दो भाषण कराकर मंत्री जी का भाषण कराकर खत्म कर लेंगे.

श्री रामनिवास रावत – कुछ भी करा लो वह तो आपका बहुमत है. लोगों को बोलने मत दो सीधा मंत्री जी का करा दो. करा लो पास. बहुमत का मतलब यह तो नहीं होता.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा – एक विपक्ष का कराकर मंत्री जी का करा दें.

श्री रामनिवास रावत – क्यों करा दें कोई नहीं बोलेगा फिर. इसी तरह से आपको विभागों की मांगें पारित कराना है तो कराएं.

अध्यक्ष महोदय – प्रारंभ करा देते हैं और इधर से शुरू कराकर एक सदस्य उधर का ले लेते हैं. और यदि आप अनुमति दें तो दो-दो ले लें बाद में 5-5 मिनिट लगेंगे.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा - अध्यक्ष महोदय, 30 तारीख तक है विधान सभा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता.

अध्यक्ष महोदय – 28 तक है.

(2) मांग संख्या-13 किसान कल्याण तथा कृषि विभाग

मांग संख्या-54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

मंत्री,किसान कल्याण तथा कृषि (श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन) – अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च,2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि के सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या – 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए दो हजार तीन सौ सतहत्तर करोड़, पचपन लाख, इकहत्तर हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए एक सौ तेरह करोड़ पचास लाख,एक हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अब,इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावोंकीसूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्यका नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या-13 किसान कल्याण तथा कृषि विकास

	क्रमांक
डॉ.रामकिशोर दोगने	1
श्री रामनिवासरावत	2
कुंवर विक्रम सिंह	6
श्री जीतू पटवारी	7

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	8
श्री रजनीश हरवंशसिंह	9
श्री आरिफ अकील	10
डॉ.गोविन्द सिंह	11
श्री सचिन यादव	12
श्री कमलेश्वर पटेल	13

मांग संख्या-54 **कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा**

क्रमांक

श्री सचिन यादव	1
श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	2
श्री रामनिवास रावत	4
श्री आरिफ अकील	6

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए. अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

अध्यक्ष महोदय—किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री जी की मांग संख्या 13 एवं 54 चर्चा हेतु कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा 2 घंटे का समय निर्धारित किया है तद्नुसार दलीय शक्ति के आधार पर निम्नानुसार समय आवंटित किया है.

भारतीय जनता पार्टी	1 घंटा 25 मिनिट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	27 मिनिट
बहुजन समाज पार्टी	6 मिनिट
निर्दलीय	2 मिनिट

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (मुंगावली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार बजट भाषण में यह क्लेम किया गया है कि कृषि विकास दर मध्यप्रदेश की बहुत अच्छी हुई है यह बात मुख्यमंत्री जी तथा कृषिमंत्री जी भी कहते हैं यदि कृषि विकास दर मध्यप्रदेश की बढ़ी है तो किसान आत्महत्याएं कम क्यों नहीं हो रही हैं, किसान आत्महत्याओं में लगातार वृध्दि हो रही है. **2004** में **1638, 2005** में **1248, 2006** में **1376, 2007** में **1263, 2008** में **1389, 2009** में **1395, 2010** में **1237, 2011, 1320, 2012** मार्च अक्टूबर के छः महीने में **655** आत्म हत्याएं हुई हैं, यह मेरे प्रश्न के जवाब में आपके यहां से गृहमंत्री जी ने जवाब दिया है. यह मेरे आंकड़े नहीं हैं, यह सरकार के आंकड़े हैं. यदि किसान इतना खुशहाल है तो वह आत्म हत्याएं क्यों कर रहा है और अगर कृषि विकास की दर बढ़ी है तो आत्म हत्याएं क्यों हो रही हैं, साथ ही साथ किसान आंदोलन क्यों हो रहे हैं. लगातार **2007** में किसान आंदोलन **109** हुए, **2008** में **112, 2009** में **206, 2010** में **363, 2011** में **588** यानि कि किसान आंदोलन आपके बढ़ रहे हैं अगर आपकी कृषि की विकास दर बढ़ी है तो आपके किसान लोग नाराज और नाखुश क्यों हैं, किसान आंदोलन क्यों बढ़ रहे हैं ? किसानों ने भोपाल में जाम कर दिया था, साथ ही साथ अगर आपका कृषि उत्पादन इतना अच्छा है तो भारतीय भूख सूचकांक के अनुसार भुखमरी के मामले में मध्यप्रदेश नंबर **1** क्यों हैं ? भुखमरी का झारखंड का प्रतिशत **30.9** है, बिहार, **28,** छत्तीसगढ़, **26,** गुजरात, **24** अन्य राज्य ऊपर हैं आप सबसे नीते हैं. योजना आयोग की रिपोर्ट में भी मध्यप्रदेश में **31** प्रतिशत गरीब हैं, रंगराजन समिति भी यही बोलती है. यह चीज बता रही है कि किसान खुश नहीं है और खेती की स्थिति मध्यप्रदेश में ठीक नहीं है, प्रेक्टिकल बात यह है आंकड़ों की बात आप कुछ भी करें इसमें मेरा तो यह मत है कि आपने जो कृषि उत्पादन बढ़ाकर बताया है यह अधिकांश गेहूं उपार्जन जो आपका हुआ है वह प्रदेश के अन्य राज्यों से जो गेहूं आया है हमारे चंदेरी एवं मुंगावली में इसी प्रकार मंदसौर में, मुरैना में राजस्थान, उत्तरप्रदेश का आया है, राज्य के आसपास के राज्यों को **100** रूपये बोनस आप देते हैं, यह बात ठीक है उसके

कारण से अधिकांश बाहर का गेहूं आ रहा है और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है. जो आपका गेहूं उपार्जन केन्द्र का कर्मचारी है वह गेहूं सस्ते में उनसे खरीद लेता है अपने पैसे से और फिर उसको सरकारी भाव में डाल देता है तो इस तरह से गेहूं का उत्पादन आपने ज्यादा बता दिया और इसीलिये कृषि उत्पादन के दर की वृद्धि बता दी गई है तो यह भी मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है और इसको आपको ठीक करना चाहिये तो फिर आपको खेती की लागत कम भी करनी है. जो डीजल और पेट्रोल भाव बढ़ रहा है, आप किसान कल्याण मंत्री भी हैं, आप वित्त मंत्री जी से कहिये कि डीजल और पेट्रोल के भाव इतने न बढ़ायें. पेट्रोल में भी बेचारे किसान मोटरसाइकिलें चलाते हैं और डीजल का भाव लगातार बढ़ रहा है, वेट कम कर दें. आप पहले तो केन्द्र को कोसते थे कि जो केन्द्र है, वह डीजल का भाव बढ़ा रहा है. आप कम नहीं करते, आपको केन्द्र को कोसने का कोई हक नहीं था, जब तक कि आप खुद वेट कम न करें. अब तो केन्द्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो आपको वेट कम करना चाहिये, ताकि डीजल का भाव कम हो और किसानों को ट्रैक्टर चलाने में और बिजली नहीं आती है, इसलिये अपने पंप चलाने में भी सुविधा मिले, लेकिन आप नहीं करेंगे. आपको पता है ओला वृष्टि इस बार भी बहुत जबरदस्त हुई, किसान पिटा है, पिछली बार ओला वृष्टि हुई, तो मुख्यमंत्री जी ने हड़ताल की थी, पिछली बार डीजल, पेट्रोल का भाव बढ़ा था, तो मुख्यमंत्री जी साइकिल से आये थे अब आप लोग क्यों नहीं आते ? अब भी तो डीजल का भाव बढ़ा है. आप और मुख्यमंत्री जी दोनों साइकिल से आया करिये और अब केन्द्र सरकार के पीछे भूख हड़ताल भी करिये परंतु आप भूख हड़ताल नहीं करेंगे क्योंकि मोदी जी आपको ठीक कर देंगे, आप भूख हड़ताल नहीं करेंगे, पहले तो आप करते थे.

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी जो किसानों के ऊपर शीत प्रकोप, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि इतनी जबरदस्त हुई है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और मेरे क्षेत्र मुंगावली में, अन्य क्षेत्रों में भी पूरे गुना जिले में, अशोकनगर में चने का अफलन हो गया क्योंकि ज्यादा बारिश हुई, धूप नहीं मिली तो सारा का सारा चना, डालर चना और सब चना बिल्कुल अफलन हो गया और अधिक शीत से और

अधिक बारिश से, ओले से तो नुक्सान हुआ ही चने का और किसान बहुत परेशान हुआ, प्रभारी मंत्री जी जब हमारे अशोक नगर में आये, तो हम लोगों ने मिलकर उनसे अनुरोध किया कि एक तो आपके पास पटवारी और आर.आई. कम हैं, एक-एक के पास बहुत सारे हल्के हैं पटवारियों के और किसानों का आकलन उन्होंने ठीक से नहीं किया और उस आकलन में पक्षपात किया, रिश्वतखोरी भी हुई, बड़े-बड़े किसानों ने प्रतिशत दे दिया, तो उनका ज्यादा आकलन कर दिया, उनको ज्यादा मुआवजा मिल रहा है. मुझे खुशी है कि हमारे प्रभारी मंत्री ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें एक विधायक को भी रखा है, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी रखा है अतिरिक्त जिलाधीश को कि ऐसे सारे आवेदन आयें, तो उनमें जहां अन्याय हुआ है, उसको दूर किया जाये. आप किसान कल्याण मंत्री भी हैं , आप मेहरबानी करके यह इन्श्योर करिये कि जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है पटवारियों ने, आर.आई.ने जिनके साथ अन्याय किया है, उनका आकलन ठीक हो और बाद में बजट प्रावधान करके उनका मुआवजा दिलवाइये, यह अत्यंत आवश्यक है.

बिजली में भी मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों को बिजली नहीं मिलती है. मुख्यमंत्री जी बहुत असत्य घोषणा करते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलेगी. सब जानते हैं कि 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, किसान बहुत परेशान हैं. दूसरी चीज यह है कि किसानों को बड़े-बड़े बिल थमा दिये जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, अगर जाकर उसका विरोध करते हैं, तो शासकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर देते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसान कल्याण मंत्री भी हैं, आप बिजली मंत्री से बात करिये कि किसानों पर मुकदमा नहीं होना चाहिये और किसानों पर हथकड़ियां नहीं डलनी चाहिये, किसानों को हथकड़ियां डालकर घुमाया गया है मंदसौर में भाउगढ़ में मैंने पहले भी इस चीज के नाम दिये हैं.उद्योगपति इतने सारे बिजली चोरी में पकड़े गये हैं, परंतु क्या आपने एक भी उद्योगपति को हथकड़ी पहनाई ? बिजली विभाग के कर्मचारी के सहयोग के बिना कोई चोरी नहीं होती है, लाइनमेन चोरी करवाता है. आपने एक लाइनमेन या एक बिजली विभाग के कर्मचारी को हथकड़ी पहनाई है ? यदि आप उद्योगपति को नहीं पहनाते हैं, यदि आप बिजली विभाग के कर्मचारी को नहीं पहनाते हैं, जो बिजली चोरी करवाता है, तो आपको क्या हक है कि आप किसान को हथकड़ी पहना कर घुमायें ? किसानों के प्रकरण दर्ज नहीं होने चाहिये, यह आप गृह मंत्री जी से बात करिये और यह सुविधा दीजिये. अभी मेरे क्षेत्र में अशोक नगर में शिवराम सिंह और

सतपाल सिंह 2 किसान हैं, नायब तहसीलदार के पास गये कि साहब, ओलावृष्टि बहुत हुई है और इसमें पटवारियों ने ठीक आकलन किया है, यह हमारी सूची है इनके साथ अन्याय हुआ है, कृपया आप जांच करवा दीजिये, प्रभारी मंत्री ने भी आदेश दिया है, तो उनकी बात अच्छी तरह से सुनने के बजाये नायब तहसीलदार ने उनको गेटआउट कहा, तू कौन होता है, किसानों का नेता बनता है यह कहकर उसको कमरे से बाहर निकाल दिया. वह लोग कलेक्टर को शिकायत करने गये, कलेक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं समझा दूंगा, नायब तहसीलदार नया लड़का होगा और उसके बाद दूसरे दिन उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया तो यह इस प्रकार से किसानों को एक तो आप ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं दे रहे हैं और उसके ऊपर कर्मचारी बेइज्जत भी कर रहे हैं और उसके बाद उस पर मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? इस बार सोयाबीन के बीज की कितनी कमी हो गई ? खरीफ में 6 हजार, 600 प्रति क्विंटल बीज के दाम घोषित हुए हैं पिछली बार 4 हजार, 960 थे. यह कृषि विकास की दर बढ़ी है,तो कम से कम किसान का सोयाबीन के बीज का पैसा तो मत बढ़ने दीजिये. 2014 में शासन ने 66 लाख हेक्टेयर सोयाबीन बुवाई का लक्ष्य रखा था. 16 लाख क्विंटल प्रमाणिक बीज बांटने का लक्ष्य रखा था. उपलब्धता सिर्फ 12 लाख 43 हजार की है. 4 लाख क्विंटल बीज की कमी है. अगर हमारा सोया स्टेट है, अगर आप बीज नहीं देंगे किसानों को, तो कैसे किसान बीज बोयेगा. ब्लैक में 5 और 7 हजार रुपये में बीज मिल रहा है. आपकी बीज उत्पादक समितियां जितनी भी हैं, वह सब ज्यादातर फ्रॉड हैं. उन्होंने बहुत बेमानियां की है. आपके अधिकारियों ने उनको ब्लैक लिस्ट भी किया है. लेकिन वहीं कम्पनियां फिर दोबारा अन्य नाम से वापस काम करने लग गयी हैं. वहीं धंधा कर रही हैं, किसान को गलत बीज देने का. अब की बार कितना सारा अफलन हुआ हैऔर कितना सारा सोयाबीन उगा ही नहीं और कितना बड़ा किसानों के साथ अन्याय हुआ है. मैं समझता हूं कि 19 बीज निर्माताओं कम्पनियों ने 2 लाख क्विंटल घटिया बीज किसानों को दिया है. वही कम्पनियां फिर दूसरे नाम से काम कर रही हैं. आपने जो मध्यप्रदेश बीज विकास निगम है, उसका तो रोल ही खत्म कर दिया है. जिस प्रकार से मध्यप्रदेश रोडवेज को आपने खत्म किया, उसके कारण से प्रायवेट बस ऑनर्स हमको ब्लैक करते हैं,उसी प्रकार बीज विकास निगम अगर आप खत्म करेंगे तो ये प्रायवेट फ्रॉड बीज कम्पनियां जो हैं, इनको प्रोत्साहन मिलता है और प्रायवेट

कम्पनियां जो भी प्रायवेट लोग बीज में आ जाते हैं, उन लोगों को इसका लाभ मिलता है. एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है. इसलिये आपको देखना चाहिये कि आपका बीज विकास निगम अच्छा बीज किसान को दे, यह आपकी जिम्मेदारी है. प्रदेश में नकली खाद, नकली बीज और कीटनाशक पर आप रोक लगा नहीं पा रहे हैं. नाममात्र के नमूने लेते हैं और फिर जब किसानों का उत्पादन ठीक नहीं होता है और ओलवृष्टि होती है, उसको नुकसान होता है, तो आप उसको क्या मुआवजा देते हैं. मेरे पास उदाहरण हैं. श्री राम पुत्र बृज किशोर को 70 रुपये का चेक दिया गया. यह राजपुर में है. उसी राजपुर के गोपाल सिंह को 86 रुपये का और नयागांव के नेपाल सिंह को 130 रुपये मुआवजा दे रहे हैं. अब यह आप किसानों का मजाक उड़ाते हैं, यह कैसा आंकलन कर रहे हैं. इस प्रकार किसान के साथ मुआवजा जो बंट रहा है, वह मिल नहीं रहा है. तो मेहरबानी करके वित्त मंत्री जी से बात करिये. अलग बजट प्रावधान कराइये. पिछली बार आप ओलावृष्टि के लिये केन्द्र से पैसे लेने के लिये भूख हड़ताल पर मुख्यमंत्री जी बैठे थे. इस प्रकार इस बार आप दोनों भूख हड़ताल पर बैठिये और केन्द्र से पैसा लाइये और किसानों को दिलाइये, यह मेरा आपसे अनुरोध है. आपके कृषि महाविद्यालय और कृषि शोध संस्थानों के बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि इंडियन कौंसिल आफ एग्रकल्चीर रिसर्च के द्वारा जो कृषि विज्ञान केन्द्र बनाये गये हैं, उनमें और यूनिवर्सिटीज में टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर फ्राम लेबॉरेटरी टु फील्ड. इसके लिये समन्वय की जरुरत है. आई.सी.ए.आर. , के.वी.केज़ काम कर रहे हैं, कृषि विभाग है और यूनिवर्सिटीज हैं, इन सबका कार्डिनेशन होना चाहिये. ताकि किसान को सही राय सही समय पर मिले. कृषि विज्ञान केन्द्र आपको प्रत्येक जिले में खोलना चाहिये. मेरे यहां अशोक नगर में मुंगावली में बहुत सारी सरकारी जमीन उपलब्ध है, जो रेशम केन्द्र के नाम से थी और इसी प्रकार से आदिवासी कल्याण विभाग की जमीन है. जिसको भूमाफिया मामूली पैसों में नीलामी में ले लेते हैं और फायदा ले रहे हैं. बेहतर है कि आप उस जमीन में कृषि विज्ञान केन्द्र के लिये रिक्वेस्ट करिये राजामाता कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को. उनको कहिये कि वे आयें और एक स्कीम बनाये. मैं मेरे जिले की बात नहीं करता हूं, कई जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र हैं,कई जिलों में नहीं हैं, आप उन सबमें शुरु करो. रतलाम जिले में भूतेड़ा गांव में दो करोड़ रुपये का एक भवन पड़ा हुआ है, बायोलॉजिकल रिसर्च का, उसमें उपकरण भी हैं. लेबोरेटरी भी है. लेकिन आप साइंटिस्ट का

पदांकन नहीं कर रहे हैं. पिछले 5 साल से आप वेज्ञानिकों को वहां नहीं भेज रहे हैं, इसलिये जिस परपज से वह भवन बना है, वह पूरा नहीं हो पा रहा है. फसल बीमे में प्रदेश में आपने 2 करोड़ 21 लाख किसानों से प्रीमियम के रुप में 11 अरब 51 करोड़ रुपया वसूल किया है. लेकिन मुआवजा आप क्या देते हैं. मुआवजा न के बराबर देते हैं. आप किसानों के प्रीमियम पर भी ब्याज लेते हैं. सबसे गलत बात तो यह है . आप पता करिये. जो को- ऑप्रेटिव्ह बैंक्स हैं, वह प्रीमियम पर भी ब्याज लते हैं. बीमा कम्पनियां जिला राजस्व अधिकारियों से मिलकर कम आंकलन करती हैं. मेरे क्षेत्र जावरा में एक बार मैंने सही आंकलन पटवारी और आरआई से करवाया.मैं प्रभारी मंत्री था वहां का तो बहुत अच्छा मुआवजा किसानों को मिल गया क्योंकि आंकलन ठीक हो गया. लेकिन वहीं पर बीमा कंपनियों ने बहुत कम पैसा दिया. जब आंकलन आरआई और पटवारी ने ठीक किया तब शासन का पैसा तो ठीक मिल गया लेकिन बीमा कंपनियों ने कम पैसा दिया. इसका मतलब यह है कि बीमा कंपनियां राजस्व अधिकारी को ब्राइब करती है और यह देखती है कि कम से कम आंकलन हो और इसी कारण से बहुत सारा पैसा किसानों के हक का उनको नहीं मिल पाता है. मंत्री जी आप अपने भाषण में बतायें कि पिछले 15 सालों में को-आपरेटिव्ह बैंक के थ्रू आपने कितना रूपया प्रीमियम के रूप में किसानों से लिया और कितना आपने मुआवजा दिया. यह बताने का कष्ट करें तो सारी स्थिति क्लीयर हो जायेगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार अभूतपूर्व सूखा पड़ा है. पिछली बार इस समय तक बड़ी बड़ी मक्का हो गई थी, बड़ा बड़ा सोयाबीन हो गया था क्योंकि पानी समय पर आ गया था. अब जो सोयाबीन है, पहली बात तो सोयाबीन का बीज का फलन ठीक नहीं है, सोयाबीन का बीज उपलब्ध नहीं है. अब इतनी लेट बारिश हो गई है कि आज तक बोवनी नहीं हुई है . अब इतनी लेट बारिश हुई है कि सोयाबीन की फसल अच्छी नहीं आने वाली है. जो हमारा सोया स्टेट का हक है वह सब छिन जाने वाला है. मेरे ख्याल से पिछले 12 सालों में सबसे बड़ा यह सूखा है. अभी तक पानी आ जाना था. पानी नहीं आने से बहुत नुकसान हो रहा है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो स्वाइल टेस्टिंग लेबोटरीज हैं यह ठीक से काम नहीं कर रही हैं क्योंकि आपके यहां सिर्फ तीन तत्वों की जांच होती है. यह जांचे 3 और 5 रूपये में की जाती हैं. जब कि 16 तत्वों की जांच होना चाहिये. मिट्टी

प्रयोगशालाओं में सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जांच की व्यवस्था है, जांच में भी आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल अब तक शुरू नहीं किया गया है. और वैज्ञानिक सूत्रों के अनुसार मिट्टी में घट रही जिंक की मात्रा भी चिंताजनक है. साथ ही गंधक, तांबा, लोहा और मैग्नीज इसकी भी मात्रा होना चाहिये लेकिन आपकी स्वाइल टेस्टिंग लेबोटरीज कृषि मंडियों के थ्रू हर जिले में हर ब्लाक में होना चाहिये. आप मोबाइल स्वाइल टेस्टिंग लेबोटरीज रखिये जब तक आप किसान को मिट्टी परीक्षण पर रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक क्या होगा, क्योंकि जमीन बंजर होती जा रही है, इतना अधिक रसायनिक खाद का उपयोग हुआ है कि जमीनें बंजर हो गई है. अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें रसायनिक खाद्य के बढ़ते हुये उपयोग और तंग फसल चक्र के चलते मिट्टी की उर्वरा शक्ति खतम हो रही है और प्रदेश के 10 संभागों में 51 जिलों में मिट्टी की जांच के आंकडें में कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि मिट्टी में आयरन, जिंक , नाइट्रोजन जैसे पौषक तत्व 40 प्रतिशत तक कम हो गये हैं. कृषि विभाग ने 6 माह में 51 जिलों में 2,41,000 मिट्टी के नमूने एकत्रित किये थे उसकी यह रिपोर्ट है और हर जिले में यही हाल हो रहा है. इसलिये बहुत अधिक आवश्यक है कि मिट्टी की जांच सही हो और किसान उतना ही रसायनिक खाद डाले कम से कम जो कि उस जमीन के लिये अत्यन्त आवश्यक है. और इसीलिये जैविक खेती को प्रोत्साहन देना भी बहुत जरूरी है. ताकि यह जो रसायनिक खाद से हमारे खेतों की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति कम हो रही है, इसको ठीक किया जा सके, और यदि आपको ऐसा करना है तो आपके लिये जरूरी है कि आपको डेयरी उद्योग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे क्योंकि देखने में आता है कि हर साल कभी ओला पड़ता है कभी पाला पड़ता है , कभी सूखा पड़ता है और किसान पर संकट आता है. क्योंकि किसान सिर्फ खेती पर निर्भर है, यदि किसान खेती के साथ साथ चार-पांच गाय भेंस भी रखेंगा तो यदि इस प्रकार का कोई संकट आयेगा तो वह किसान सरकार की दया पर निर्भर नहीं होगा. सरकार के प्रतिनिधि पटवारी और आरआई जो पक्षपात करते हैं उनकी दया पर किसान निर्भर नहीं रहेगा. क्योंकि गाय, भेंस अगर आप खरीदते हैं और सांप ने काट खाया या बीमारी से मर गई तो वह इंश्योर्ड होती है और बीमा कंपनी द्वारा आपको पूरा पैसा मिलता है और घर की महिलायें , गाय को देख सकती हैं, इसलिये अगर किसान को मुकाबला करना है ओला, पाला और सूखा और प्राकृतिक आपदा का तो आपको इसको डायवर्ड करना होगा कि खेती के साथ साथ डेयरी उद्योग को प्राथमिकता दे और डेयरी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा उसके पैसे लगे और किसानों को प्रोत्साहित किया जाये कि

वह अधिक से अधिक गाय पालें ताकि न केवल दूध के उत्पादन में वृद्धि हो पोषक तत्व मिले उनके बच्चों को वरना दुग्ध उत्पादन के साथ साथ उनको खाद मिलेगी . और यह कीटनाशक जो हैं, गो-मूत्र का उपयोग करके कीटनाशक को रोका जा सकता है, कीटनाशक पर आपकी सरकार कन्ट्रोल नहीं कर पा रही है अधिकांश कीटनाशक एक्सपायरी डेट के मिलते हैं नकली मिलते हैं.उसके बजाय अगर आप जैविक खेती की तरफ आकर्षित होंगे तो गौ मूत्र का उपयोग कीटनाशक के रुप किया जा सकता है और गोबर का उपयोग खेती में किया जा सकता है इस प्रकार से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है. मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको इस दिशा में काम करना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा के संबंध में कहना चाहता हूं. मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि किसानों की फसल बीमा के लिए कोई स्पेशल स्कीम बनाकर उसको मॉनीटर करना पड़ेगा ताकि बीमा कंपनियां हमारे कर्मचारियों को खरीद न पाये और फसल का वास्तविक नुकसान हुआ है वह किसानों को मिल सके. इसलिए मैं आपकी बजट की मांगों का विरोध करता हूं. धन्यवाद.

श्री बहादुर सिंह चौहान(महिदपुर)-- अध्यक्षजी, मैं मांग संख्या **13** और **54** समर्थन करते हुए कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं.

अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें कृषि विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है. कल नगरीय प्रशासन विभाग की मांगों पर चर्चा में मुझे बोलने का सौभाग्य मिला था. उसमें शहरी जनसंख्या के आंकड़े आये थे जिसमें कहा गया कि**27.58** प्रतिशत जनता नगरों में रहती है. **100** में से **27.58** घटा दिया जाता है तो **72.42** प्रतिशत जनसंख्या वह गांवों में रहती है. गांवों की **70** प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या कहीं न कहीं कृषि और पशुधन से जुड़े हुए हैं. हमारे प्रदेश की **72** प्रतिशत जनसंख्या में से अधिकांश कृषि करते हैं या पशुधन का पालन करते हैं. मैं कालूखेड़ा जी का इस बात के लिए समर्थन करता हूं कि कृषि के साथ साथ किसान को

पशुधन का पालन भी करना चाहिए ताकि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि होने से यदि पूरी फसल चौपट हो जाये तो गाय-भैंस के दूध से अपना पालन-पोषण कर ले. मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं.

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं. माननीय मंत्रीजी, कृषि विभाग का डायरेक्टर अलग है और पशुपालन विभाग का डायरेक्टर अलग है. ये दोनों अलग अलग दिशा में काम करते हैं. मेरा कहना है कि दोनों विभाग कहीं न कहीं किसान से सीधे जुड़े हुए हैं. किसान खेत से घास काटकर लाता है और पशुओं को देता है. मैं सदन में यह सुझाव देना चाहता हूं कि दोनों विभागों की मॉनीटरिंग में दोनों विभागों के डायरेक्टर और प्रमुख सचिवों की संयुक्त जिम्मेदारी बननी चाहिए ताकि पशुधन और खेती पर अच्छी चर्चा के साथ साथ अच्छा काम हो सके. माननीय कालूखेड़ा जी बहुत वरिष्ठ हैं, ने किसानों के बारे में बात कही.

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं वर्ष **2003** में मैं विधायक बनकर इस विधानसभा में आया था. मुझे उस समय भी बोलने का मौका मिला था. उस समय हमारे प्रदेश में बिजली का उत्पादन मात्र **2900** मेगावॉट था और सिंचाई का रकबा मात्र साढ़े सात लाख हेक्टर था. अब जबकि बिजली का उत्पादन **2900** मेगावॉट से बढ़कर **13** हजार मेगावॉट हो गया है और सिंचाई का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टर से बढ़कर **25** लाख हेक्टर हो गया है तो गेहूं और अन्य फसलें क्यों पैदा नहीं होंगी. निश्चित रुप से पैदा होगी. मैं कहना चाहता हूं कि **2012-13** में **161.25** लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रदेश में पैदा हुआ. **2013-14** में **174.78** लाख मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ और **2014-15** में सरकार ने **219.00** लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है लेकिन उसमें मुझे शंका है चूंकि सूखा पड़ने की स्थिति है और जो लक्ष्य सरकार ने रखा है उतना गेहूं पैदा हो पायेगा या नहीं हो पायेगा यह कह पाना संभव नहीं है निश्चित रुप से सरकार और कृषि मंत्रीजी को और उनके विभाग में जितने अधिकारी आते हैं उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि अगर वर्षा नहीं हुई.कहीं न कहीं अगर वर्षा नहीं हुई तो अल्पवर्षा के कारण पूरे मध्यप्रदेश की स्थिति क्या बनेगा और निश्चित रूप से वर्षा को एक माह का विलंब हो गया है कालूखेड़ा जी सही कह रहे थे, एक माह का विलंबहो

गयाहै जून के प्रथम सप्ताह में बोनी हो गई थी, वास्तव मेंमक्का और सोयाबीन की बोनी हो गई थी. अब यह बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है. यह तो हमारी सामुहिक लड़ाई लड़ने का मुद्दा है, यदि वास्तव में वर्षा नहीं होती है तो निश्चित रूप से प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो जायेगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहताहूं कि मध्यप्रदेश सोयाबीन के मामले में बहुत आगे था धीरे धीरे सोयाबीन के रकबे के साथ साथ, सोयाबीन की उपज में पीछे होता जा रहा है, यह एक गंभीर विषय है यह एक ऐसी फसल है, सोयाबीन एक ऐसा जिन्स है कि हमारे मध्यप्रदेश में अगर किसी फसल केकारण किसान की माली हालत अच्छी हुई है तो उस फसल के लिए सोयाबीन का नाम लिया जा सकताहै. मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि किसी किसान के घर में अगर 100 बोरी सोयाबीन पड़ी है और उसके पास में 100 ग्राम सोना है और अगर वह सोना बेचने जायेगा तो उसे खरीदने वाले को यह भ्रम पैदा होगा कियह असली है या नकली है लेकिन वह ही आदमी सोयाबीन फोन परही ले लेगा. सोयाबीन की फसल को चूहे नहीं खाते हैं और वह सड़ती नहीं है उसके लिए कोई दवा लगाने की आवश्यकता नहीं लगती है इतनी बढ़िया फसल यह सोयाबीन की है उसके कारण आज किसान फोर व्हीलर में अपनी यात्रा कर रहाहै.

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहताहूं यह बात सत्य है कि 2003 में जब में विधायक बना था तो नकली खाद, नकली बीज और नकली दवाइयां पूरे मध्यप्रदेशमें बिक रही थी, निश्चित रूप से इस समय भी कुछ प्रतिशत में बिक रही होंगी मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी नहीं बिक रहीहैं लेकिन नकली दवा, नकली बीज और नकली खाद . सबसे पहले किसान सोयाबीन की फसलबेचताहै तो मैं हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके साथ जब ये किसान मोर्चे के अध्यक्ष थे तो उनके साथ में उस समय उज्जैन केकिसान मोर्चे का अध्यक्ष था और आपके नेतृत्व में बहुत काम किया है. बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं और बड़े बड़े आंदोलन माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के नेतृत्व में किये हैं और मंत्री जी के पास में यहविभाग आने के बाद इसमें काफी सुधार हुआ है. मेरा एक सुझाव है सभी सदस्यों को और सरकार को भी जब किसान बीज लेने के लिए जाता है तो उसको खुल्ला बीज दिया जाता है उसको कोई बिल नहीं दिया जाता है वह बीज उसे नकली दिया जाता है जब वह किसान उसको बोता है तो उसमें से 100 में से 40 दाने उगतेहैं

उसके बाद में किसान उस पौधे को मजबूत करने के लिए उसमें उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए दवा लेने जाता है और उसके बाद में वह खाद लेने के लिए जाताहै वह जब खाद लेकर आता है तो उसको नकली खाद मिल जाता है, तो पौधा खाद से थोड़ा बहुत मजबूत होता लेकिन वह नकली खाद के कारण कमजोर हो जाता है. उसके लिए वह दवाई लाता है वह दवाई भी उसको नकली मिल जाती है. बीज नकली, खाद नकली और दवा नकली 2003 की उठाकर देख लेना मेरी कार्यवाही मेरे विधान सभा के प्रश्न लगे थे, कालूखेड़ा जी मैं इस सदन के अंदर कह रहा हूंबीजप्रमाणीकरण संस्था जब बीज पैदा करती थी तो उसकी जब जांच करवायी तो जिस व्यक्ति की 77 हेक्टेयर भूमि थी जांच में तहसीलदार से प्रमाण पत्र लिया तो उसकी 60 हेक्टेयर निकली जिस व्यक्ति की 33 हेक्टेयर जमीन थी उसका प्रमाण पत्र लिया तो 5 हेक्टेयर निकली, ौर 2004 में जाकर फिर खसरा उन कंपनियों से लेना चालू किया तब जाकर वह बड़ा खोरख धंधा बंद हुआ 2 लाख क्विंटल बीज महा बीज महाराष्ट्र में अपोलो को गया था उसके विरूद्ध में मैंने 9 एफआईआर करवायी थी नागार्जुन खाद जिसका मध्यप्रदेश में 2003 में एलोकेशन नहीं था इटारसी में पूरी ट्रेन पकड़ी गई थी और 100 ट्रक मेरे क्षेत्र में पकड़ी गई थी, उस समय मैंने 9 पुलिस प्रकरण बनवाये थे उसका परिणाम यह रहा कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद में 2008 में जब मैं चुनाव लड़ा तो बीज माफिया और नकली बीज बेचने वाले नकली खाद बेचने वाले नकली दवाई बेचने वाले पूरे मध्यप्रदेश के माफिया मेरे विधान सभा में आकर करोड़ रूपये बांट कर 925 वोट से मुझे चुनाव मेंहरा दिया. मैं सत्य कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं इस बात को, मैं यहां पर 2003 की बात कह रहा हूं उस समय मैं 925 वोट से चुनाव हार गया, मैंने संघर्ष किया आज भी मेरे बीज के मामले में खाद के मामले में मेरे 5 प्रश्न लगे हुए हैं. एक नौलक्खा बीज कंपनी जो मैसूर में है 1 लाख 22 हजार 742 क्विंटल सोयाबीन खरीदी और उसको ही पैक करके सीधा बीज के लिए भेज दिया और उसको संरक्षण किसकाप्राप्तहै उस पर कार्यवाही मैं समय आने पर माननीय मंत्री जी से मैं करवाऊंगा और उसको किसका संरक्षण प्राप्त है, उस पर कार्यवाही समय आने पर माननीय मंत्री जी से निश्चित रूप से करवाऊंगा. यह मेरी अपनी जानकारी में है. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल एक विचार हो रहा था, सब सदस्य कह रहे थे कि गांव के लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं. रोजगार नहीं है. यह सत्य है. यह बड़ा चिंता का विषय है कि गांव की जनसंख्या कम

होते-होते शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है. यह बड़ी चिंता का विषय है. गांव में सड़कें अच्छी बने. गांव में अच्छी फसलें पैदा हो. मैं यह कहना चाहता हूं कि एक महीना बारिश आने में लेट हो गई है. माना कि एक सप्ताह में पूरे मध्यप्रदेश में वर्षा हो जाती है और हमें फसल के लिए जो बीज डालना है तो कौन-सा बीज डालना है तो वह कृषि विभाग के ग्राम सेवक को कहना चाहिए कि कम दिन की फसल जो 70 दिन, 75 दिन में पक जाती है, वह उसको किसानों को कहना चाहिए. जेएस-335, 105 दिन की फसल होती है. ज्वार का जर्मिनेशन जो है वह 85 से 90 प्रतिशत होता है. जो जेएस 95-60 है, वह 65 से 70 दिन की फसल होती है, उसका जर्मिनेशन वैसे भी 70 प्रतिशत होता है. इस साल तो अतिवृष्टि, ओलावृष्टि होने के कारण जो बीज होना चाहिए, ऐसा बीज मध्यप्रदेश में नहीं है. बीज की वास्तव में इस वक्त कमी है. शासन को मेरा सुझाव है कि इसे गंभीरता से लेते हुए किसानों को किसी भी स्थिति में अच्छा बीज उपलब्ध कराने का हम सब मिलकर प्रयास करें. नकली खाद, नकली बीज पर हमारी सरकार आने के बाद काफी कंट्रोल हो गया है. 100 प्रतिशत कंट्रोल नहीं हुआ है. मैं चाहता हूं कि माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन साहब बहुत अच्छे मंत्री है. चूंकि किसान के नेता के रूप में आपने पूरे मध्यप्रदेश में काम किया है और आपके साथ-साथ किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष उज्जैन का होने के नाते मैंने भी चक्काजाम और बड़े-बड़े कार्य किये हैं. आपके नेतृत्व में मैं मानता हूं कि मध्यप्रदेश में नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाई पर आपने बहुत हद तक अंकुश लगा दिया है. बचे हुए लोगों पर भी आप पूर्णतः अंकुश लगा देंगे, ऐसा मैं मानता हूं.

अध्यक्ष महोदय, अंतिम बात कहना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में हम अगर गांव की परिस्थिति को मजबूत नहीं करेंगे और गांव में युवा है, वह पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो गया है, गांव की स्थिति अगर ठीक नहीं होगी तो मध्यप्रदेश की स्थिति ठीक नहीं होगी. मध्यप्रदेश को स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने के लिए 72 प्रतिशत जनसंख्या जो गांव में रहती है, उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उसके विषय में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा. गंभीरता से चिंता करनी पड़ेगी. अध्यक्ष महोदय, मैं कृषक होने के नाते पुनः 30 सेकण्ड में आपसे आग्रह करूंगा, मैं दिल से कहना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति से ऊपर उठकर कहना चाहता हूं, किसान होने के नाते कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में चाहे कुछ हो, लेकिन नकली खाद, नकली बीज और नकली दवाई यदि 1-2 प्रतिशत भी बेचने वाले लोग हों तो उन

पर भी सख्ती के साथ कार्यवाही होना चाहिए, यह मैं निवेदन सदन के माध्यम से करना चाहता हूं. जिस प्रकार से श्री सरताज सिंह जी ने कहा है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा कांट्रेक्टर हो, लेकिन गुणवत्ता की सड़क नहीं बनाने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही की जाएगी. इसी प्रकार माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन जो लोकप्रिय मंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपके मंत्री बनने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद 95 प्रतिशत से अधिक नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाई पर अंकुश लग गया है. बचे हुए लोगों पर भी आप निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे. अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय - कृषि विभाग की मांगों पर सोमवार को चर्चा जारी रहेगी, अब अशासकीय संकल्प लिये जाएंगे.

3.39 बजे

अशासकीय संकल्प

ट्रेन क्रमांक 12198 ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा ट्रेन क्रमांक 11701 जबलपुर-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पिपरई जिला अशोकनगर में किया जाना

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (मुंगावली) - अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि 12198 ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा 11701 जबलपुर-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पिपरई जिला अशोकनगर में किया जाय. "

अध्यक्ष महोदय - संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (मुगावली)—अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ यह अनुरोध है कि अशोकनगर जिले में पीपरई एक बहुत बड़ा कस्बा है और उसके आसपास करीब करीब 70-80 बड़े बड़े गांव हैं. उन सबकी सुविधा के लिए यह जरूरी है कि ग्वालियर से भोपाल के लिए जो इन्टरसीटी ट्रेन चलती है इसको पीपरीई स्टेशन पर रोका जाय. इसी प्रकार इन्दौर से जबलपुर जो ट्रेन जाती है 11701 उसको भी पीपरई स्टेशन पर रोका जाय, इसके लिए लोगों ने काफी आन्दोलन भी किया है, लोगों ने अनुरोध भी किया है, अवेदन भी किया है. इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सर्व सम्मति से मध्यप्रदेश विधान सभा इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को, रेलवे विभाग को भेजे.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्रा)- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजने की बात से सहमत हैं. इस संकल्प को सर्व सम्मति से पारित करें.

अध्यक्ष महोदय-प्रश्न यह है कि –

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि 12198 ग्वालियर भोपाल इंटरसीटी एक्सप्रेस तथा 11701 जबलपुर-इन्दौर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पिपरई जिला अशोकनगर में किया जाय.",

संकल्प सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ.

(2) कृषि उपज मण्डियों में बिचौलियों तथा दलालों से कृषकों को बचाने हतु मण्डियों में सी.सी.टी.वी. कैमरा व इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाने बाबत.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी(मेहगांव)- अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्व प्रस्तुत करता हूं कि-

"सदन का यह मत है कि कृषि उपज मण्डियों में बिचौलियों तथा दलालों से कृषकों को बचाने हेतु मण्डियों में सी.सी.टी.वी. कैमरा व इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाये जायें."

अध्यक्ष महोदय- संकल्प प्रस्तुत हुआ.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश इस देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 309 लाख हैक्टेयर तथा जनसंख्या 7.2 करोड़ है. देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हमारे प्रदेश का हिस्सा लगभग 9 प्रतिशत बैठता है और जनसंख्या में हमारी भागीदारी लगभग 6 प्रतिशत है. तो राज्य की आर्थिक व्यवस्था , मुख्यतः कृषि प्रधान होने के कारण, कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र पशु पालन एवं मत्स्य पालन का योगदान बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है. योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में किसानों के लिए सरकार को और सरकार से सम्बद्ध अन्य आयोगों और विभागों को बहुत विचारणीय तरीके से और कृषकों के बहुत सुखी और समृद्ध जीवनयापन के लिए उसको सुविधाएं देने के लिए सोचना चाहिए. जनगणना 2011 के अनुसार मध्यप्रदेश के कुल कामगारों में से 69.8 प्रतिशत और प्रदेश के ग्रामीण कामगारों में से 85.8 प्रतिशत जीवनयापन के लिए कृषि कार्य पर निर्भर हैं. अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है. प्रदेश की

जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है और कृषि पर निर्भर है. इनमें से 31.2 प्रतिशत कृषक हैं और 38.6 प्रतिशत कृषि कामगार हैं . मेरा विषय इस प्रदेश के किसानों को सबसे बड़ी समस्या से संबंधित है. प्रदेश का किसान सबसे पहले मौसम पर निर्भर रहता है. मौसम आगर अच्छा होता है तो फिर उसकी दूसरी समस्या आती है बीज की. बीज उसको अच्छा मिले.ठीक हुआ तो खेत में जुताई होती है , जुताई के बाद वह प्रमाणिक बीज मिलने के लिए संघर्ष करता है. अब उसको प्रमाणित बीज मिले यह सरकार की जिम्मेदारी है, कृषि विभाग की जिम्मेदारी है. बीज असली है, नकली है यह बीसियो वर्षों से चिन्ता का विषय बना हुआ है. मुझ से पूर्व कई वक्ताओं ने इस बात पर चिन्ता जताई कि बीज अप्रमाणिक मिल रहा है और यह आज से नहीं है बीसियों वर्षों से किसान का दोहन हो रहा है. किसान को चीट किया जा रहा है. किसान के साथ बेईमानी हो रही है. पिछले वर्ष 2 लाख क्विंटल सोयाबीन का अमानक बीज इस प्रदेश के बाजारों में आया. निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा माफिया है जो इसको पूरा संचालित करता है. वे चाहते हैं कि कमजोर किस्म का बीज किसानों को मिले ,उपज कम हो और प्रदेश का नाम गड्ढे में जाय ..

3.50 बजे {सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए}

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी (पूर्व जारी)—

जब उपज कम होगी तो आपको जो कृषि कर्मण अवार्ड निरंतर मिल रहा है विगत् दो वर्षों से वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं साजिश और षडयंत्र भी है. अब किसान को जो बीज मिल गया तो मौसम से भी उसको लड़ना पड़ता है. सारी कठिनाई, इस प्रदेश के, इस देश के किसान को झेलना पड़ती है. मौसम की मार, सिस्टम की मार और अन्य किसी भी प्रकार के अविचारणीय मुद्दों की सारी मार किसानों को झेलना पड़ती है. सभापति महोदय, खाद कभी समय पर मिलता है, कभी नहीं मिलता है. खाद का जो वितरण है, बाजार से भी होता है और हमारी सहकारी संस्थाएं भी उसका वितरण करती हैं लेकिन कहीं न कहीं इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होना चाहिए कि बाजार में जो खाद की कीमत निर्धारित होती है, वह सहकारिता से संबंध होकर, कृषि विभाग से संबंध होकर जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है

श्री रामनिवास रावत—माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं, पर हमारे दल की पूरी सहमति है. केवल प्रस्ताव पारित कर दें कि पारित किया जाय. हमारी सहमति है.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी—माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं. इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है. यह 4-5 वर्षों पहले जब इस विश्व में मंदी आई थी तो कृषि आधारित व्यवस्था होने के कारण हमारा देश कहीं न कहीं उस मंदी से बच गया और मैं बता रहा हूं कि यह बात ओबामा जी के पहले कार्यकाल की बता रहा हूं. उस समय जब मंदी आई तो अपना देश उस मंदी से बचा. उसका एक ही कारण था कि दो प्रवृत्तिया हैं, एक कृषि पर आधारित होने के कारण, दूसरा हमारे देश की जो बचत करने की आदत है, आम आदमी की जो बचत करने की जो व्यवस्था है. आम आदमी, किसान बुरे समय के लिए कुछ न कुछ बचा के रखता है. यू.एस. में एक प्रवृत्ति घर कर गई है कि वहां का व्यक्ति रोज कमाता है और रोज खर्च कर देता है.

श्रीमती शीला त्यागी—माननीय सभापति जी मैं एक मिनट का समय चाहूंगी. यहां पर प्रदेश, जिले और अपने क्षेत्र की बात रखने को कहा जाता है, लेकिन हम लोगों को समय नहीं दिया जाता है और यह विश्व की बात कर रहे हैं, पहले देश और प्रदेश की दुर्दशा तो सुधार लें.

सभापति महोदय—यह अशासकीय संकल्प चल रहा है. उनको अपनी बात कहने दें.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी—मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि बात जब विश्व की होगी, तभी प्रदेश पर आएगी. माननीय सभापति महोदय तो किसानों को सुविधा देने के हिसाब से और उनके साथ बेईमानी न हो तो सारी कृषि मंडियों में सी.सी. टी.वी. कैमरे और इलेक्ट्रानिक तौल कांटा लगाए जाने का जो मेरा संकल्प है, उसको मैं प्रस्तुत करता हूं.

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन)—माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव लाया है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, लेकिन इसमें कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं, जिसको हमने आज भी मंडियों में जारी रखा है. इसमें मेरा एक वक्तव्य है, जो मैं पढ़ रहा हूं.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री(श्री गौरीशंकर बिसेन)—सभापति महोदय,

यह कहना सत्य नहीं है कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में किसानों को अव्यवस्था एवं दलालों की लूट है, क्योंकि मंडी अधिनियम के अनुसार कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों की उपज की नीलामी एवं तौल व्यवस्था मंडी समिति के कर्मचारियों द्वारा ही सम्पन्न करायी जाती है। साथ ही मंडी समितियों की उपविधियों में यह प्रावधान है कि किसानी माल की तौल मंडी प्रांगण में केवल इलेक्ट्रानिक तौल कांटों से ही की जावेगी। वर्तमान में यही व्यवस्था प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडी समितियों में लागू है । वर्तमान में प्रदेश की 251 कृषि उपज मंडी समितियों में से 201 कृषि उपज मंडी समितियों में छोटे इलेक्ट्रानिक तौल कांटे (01 क्विंटल से 10 क्विंटल क्षमता के) तथा बड़े इलेक्ट्रानिक तौल कांटे (05 मे.टन से 100 मे. टन क्षमता के) कुल 6350 तौलकांटे उपलब्ध हैं। वर्तमान में व्यापारियों द्वारा स्वयं के स्तर पर तौलकांटे की व्यवस्था का प्रावधान लागू है, जिसके तहत अन्य सभी मंडियों में छोटे इलेक्ट्रानिक तौलकांटों की व्यवस्था व्यापारियों द्वारा की जाकर तौल की जा रहीं है। बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटे भी बी.ओ.टी. आधार पर मंडी की आवश्यकतानुसार लगवाये जा रहे है। पूछे गये संक्षिप्त विषय में उल्लेखित शेष भाग यथा कम्प्यूटरीकृत सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापना कार्य को उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय स्तर पर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मण्डियों में हमने अच्छी व्यवस्था की है और मैं निवेदन करुंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस लें लेकिन हम उदाहरण के स्वरुप निश्चित रुप से कोई न कोई एकाध मण्डी में सीसीटीव्ही केमरे की क्या उपयोगिता प्रमाणित होगी, इस बारे में आगे विचार करेंगे.

सभापति महोदय—माननीय सदस्य, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी —माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से उनके आश्वासन से पूर्ण संतुष्ट हूँ और मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ.

सभापति महोदय-- क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है.

अनुमति प्रदान की गई.

संकल्प वापस हुआ.

(3) गाय के मरने के बाद शासन खर्च पर जलाने एवं दफनाने व उसकी हड्डी व चर्बी के व्यवसाय पर रोक लगायी जाना

श्री आरिफ अकील(भोपाल-उत्तर)—सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि-

"सदन का यह मत है कि गाय के मरने के बाद सासन खर्च पर जलाने/दफनाने व उसकी हड्डी व चर्बी के व्यवसाय पर रोक लगाई जाय".

सभापति महोदय—संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री आरिफ अकील—माननीय सभापति महोदय, 33 करोड़ देवी देवता गाय में रहते हैं और बहुत से लोग गाय को मां मानते हैं और कोई भी औलाद ऐसी नहीं होगी जो मां के मरने के बाद यह सोचे कि उसके जिस्म के कोई हिस्से हो जाए और उसका व्यवसाय होने लगे. यह देखने में आया है कि गौशाला में जो गायें रहती हैं लोग उनको चूने का पानी पिला पिला के खत्म कर देते हैं. उसके बाद उसकी हड्डी का व्यवसाय होता है, उसकी चर्बी का व्यवसाय होता है, उसके चमड़े के जूते बनाये जाते हैं. यह अच्छा इसलिए नहीं लगता कि जब उसके साथ मां का शब्द इस्तेमाल किया जाए, मां को मरे हुए चाहे 50 साल हो जाएं. 100 साल हो जाएं, मां तो मां ही होती है, मां के लिए आदर करना चाहिए और मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह वर्तमान सरकार तो धार्मिक सरकार है और इनको तो खुश होना चाहिए कि विपक्ष का एक सदस्य इस तरीके का प्रस्ताव लेकर के आया इसलिए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए और इसको स्वीकृत करने से जो इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि गौहत्या बंद करेंगे उससे इनकी इमेज बनेगी और जो लोग इस तरह का व्यवसाय की वजह से गाय की हत्या करते हैं,उस पर पाबंदी लगेगी. मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास किया जाए.

डॉ. गोविन्द सिंह(लहार)—माननीय सभापति जी, वास्तव में हिन्दुस्तान में हिन्दू और सनातन धर्म वालों की संख्या लगभग 80 प्रतिशत है और अधिकांश परिवारों में गाय की पूजा होती है. जब कोई शुभ काम होता है तो गाय की पूजा करते हैं, गाय को आटा खिलाते हैं लेकिन प्राय: देखने में आता है कि आज की स्थिति गायों के लिए बहुत संकटपूर्ण हो गयी है. गाय को लोग खुला छोड़ देते हैं.कुछ तो लोग ऐसे हैं कि सुबह गाय ली, शाम को दूध लिया और छोड़ दिया और ये गाय जब भूखी प्यासी रहती है, आवारा होकर के घूमती हैं तो कचरा है, पोलीथीन है, कई प्रकार की लोहे की कीलें वगैरह उनके पेट में पायी जाती हैं और गायों की मौत होती है. जब गाय मर जाती है तो शासन, प्रशासन, नगरीय प्रशासन, या ग्राम पंचायत की ओर से अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गायों को उठा के उनको दफनाने या दाह संस्कार का काम किया जाए. कई जगह जब गाये मरती हैं तो छोड़ दी जाती हैं. सभापति महोदय, पहले गिद्ध और चील बहुत होते थे तब दूर फेंक देते थे .अब महीनों तक गायें सड़क के किनारे सड़ती रहती हैं ,बदबू आती है, कुत्ते औऱ जंगली जानवर उनकी हड्डियाँ घसीटते हैं यह स्थिति देखने में सहज नहीं होती औऱ इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि आप तो धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं तो यह अधर्म का काम क्यों आप अपने शासनकाल में करा रहे हैं. मेरी प्रार्थना है कि इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं आना है, आप इसको स्थानीय संस्थाओं को सौंप दें, नगर पंचायतों को दे दें इतना तो उनके पास भी बजट रहता है कि वह गायों का दाह संस्कार या उनको दफनाने का कार्य कर सकती हैं. मेरा कहना है कि जिसको हम पूजते हैं , माँ के रूप में पूजा करते हैं, उनके प्रति समाज में बुरा संदेश ना जाये इसलिए उनकी व्यवस्था करें औऱ इस संकल्प को सर्व सम्मति से जनहित में पारित करें .

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर)-- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि कहा गया है कि गौमाता को हम देवता के रूप में पूजते हैं, हिंदू और सनातन धर्म में यह व्याख्या भी आई है , सभी जगह यह बात आती है ,संस्कृति में भी यह बात है कि 33 करोड़ देवी देवता गौमाता में निवास करते हैं औऱ मानव से ऊपर गौमाता को रखा गया है.मेरा कहना है कि भाजपा की सरकार जिसने गौ संवर्धन बोर्ड बनाया, गौ-संरक्षण के लिए काफी चिंतित भी रही . आज प्रदेश में जिसको हम गौमाता मानते हैं उसे लोग जब तक वह दूध देने वाली होती है ,तब तक घर पर रखते हैं , जैसे ही दूध देना बंद किया उसको लावारिस छोड़ दिया जाता है. इसी

तरह से गौधन जैसे बैल ,जब तक काम में आता है तब तक उसे रखते हैं बाद में उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है औऱ फिर इनका क्या होता है यह सबको पता है. हम सब इसके पक्षधर हैं कि गौमाता का पूरी तरह से संरक्षण होना चाहिए. हम उसको माँ कहते है तो माँ की तरह से गौमाता का सम्मान निश्चित रूप से करे. सभापति महोदय, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आज भी गांवों में हमारे पवित्र त्यौहार लक्ष्मीपूजन यानि दीपावली पर लक्ष्मीपूजन से पहले गौमाता की पूजा की जाती है उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा होती है. माननीय सभापति महोदय, आपने गौ संरक्षण बोर्ड बनाया, गौ संवर्धन बोर्ड बनाया है ,उसी में इसके लिए राशि बढ़ा दें. आप इसके लिए व्यवस्था करें. ज्यादातर यह होता है कि आवारा छोड़े हुए गौधन को लोग हजार-पन्द्रह सौ रुपये में बेच देते हैं औऱ जो खरीदते हैं वह क्यों खरीदते हैं यह आप भी जानते हो कि उनका यह व्यवसाय होता है, वह गौधन कहाँ जाता है सबको पता है और कई प्रकरणों में आपके लोग उत्तेजित होते हैं , चिंतित रहते हैं, जागरूक भी रहते हैं. कई जगह जो सामान्यतः व्यवसाय करने के लिए लोग जाते हैं उनके भी बछड़ों को छुड़ाकर यह सब काम करते हैं तो आपको इसकी ज्यादा चिंता होनी चाहिए . हमारे माननीय सदस्य भाई आरिफ अकील ने जो कि इस मजहब के भी नहीं हैं, उन्होंने यह मामला उठाया है .निश्चित रूप से सभी के लिए चिंता का विषय है . जब हम गौमाता को माँ के रूप में मानते हैं तो कोई भी मानव अपनी माँ के खिलाफ इस तरह की स्थिति नहीं देख सकेगा. जब हम गाय को माँ मानते हैं, उसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं तो हम उनके लिए उचित व्यवस्था करें. इसके लिए किसी भी तरह से फंड की व्यवस्था करें. चाहे स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से , ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से यह व्यवस्था की जाये . आवारा पशु जो वृद्ध होते हैं , उनको छोड़ दिया जाता है उनकी भी व्यवस्था की जाये औऱ दूसरा जो उनको मरने के बाद कहीं भी फेंक दिया जाता है या डाल दिया जाता है उसको जलाने या दफनाने की व्यवस्था करें जिससे हम सभी का और आने वाली पीढ़ी का सम्मान गौमाता के प्रति बना रहे और गौमाता की रक्षा हो सके . माननीय आरिफ अकील जी ने जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है ,उसके लिए मैं सत्ता पक्ष के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इसे सर्व सम्मति से पारित करें.

पशुपालन मंत्री(सुश्री कुसुम सिंह महदेले)-- माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि निश्चित रूप से 33 करोड़ देवी देवता गौमाता के शरीर में बसते हैं, आत्मा में बसते हैं औऱ मैं इस बात की

तारीफ करना चाहती हूं कि माननीय आरिफ अकील जी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं फिर भी उन्होंने हमारी गौ माता की इतनी चिन्ता की है. (मेजों की थपथपाहट) जिसके लिए मैं उनकी तहे दिल से तारीफ करती हूँ और अगले वर्ष का जो गौ पालन पुरस्कार है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करूँगी कि माननीय आरिफ अकील साहब को गौ पालन का पुरस्कार दिया जाए.

सभापति महोदय-- बहुत बढ़िया, बधाई हो.

श्री आरिफ अकील-- आप तो संकल्प पास करा दो पुरस्कार आप ले लेना.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- अभी मुझे बोलने तो दें. अभी तो मैं आपको पुरस्कार दे रही हूँ और वास्तव में सभापति महोदय, यह बड़ी तारीफ की बात है कि अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे आरिफ अकील भाई हमारी गौ माता की इतनी चिन्ता कर रहे हैं तो बाकी जो सदस्य बैठे हैं, स्वाभाविक है वे चिन्ता करते ही होंगे और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने जितना गौ माता के लिए किया है, मैं समझती हूँ कि उससे पहले की सरकारों ने उतना नहीं किया होगा. अकील साहब, जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि हमने गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मध्यप्रदेश में गौपालन संवर्धन बोर्ड बनाया है और वह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और इस समय मैं पशुपतिनाथ की पोजीशन में हूँ याने मैं पशुपालन मंत्री हूँ, पशुपतिनाथ हूँ. मैं सिर्फ गौमाता की ही नहीं, जितने भी पशु हैं सबकी चिन्ता करूँगी. सभापति महोदय, गौवंश के संरक्षण हेतु हमारे प्रदेश में 628 क्रियाशील गौशालाएँ हैं जहाँ गऊओं को भरपेट भोजन, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल की जाती है, ऐसा नहीं है कि हम गौ माता के प्रति लापरवाह हों और उनकी चिन्ता नहीं कर रहे हों, हम बराबर चिन्ता कर रहे हैं. सभापति महोदय, मैं एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि सन् 2004 को वर्ष 2010 में संशोधन किया है. जिसमें प्रमुख रूप से अधिनियम की धारा 4 के उपबंध में 5(6) में 6 का उल्लंघन अथवा जो उल्लंघन का प्रयास करेगा याने गौ माता को कोई क्षति पहुँचाएगा अथवा उसकी हत्या करेगा तो 6 माह से 3 वर्ष के कारावास

का भागी होगा. इस प्रकार से कोई प्रयास करना भी नहीं चाहिए कि कोई हमारी गौ माता को नुकसान पहुँचाए अथवा उसका शब्दों के द्वारा अथवा कृत्य के द्वारा अपमान करे, जो भी करेगा वो दंड का भागीदार होगा और यह सजा आगे बढ़ाई भी जा सकती है.

सभापति महोदय, गौवंश के संरक्षण के लिए हमने आगर में गौ अभ्यारण्य बनाया है. जो हिन्दुस्तान की एक पहली मिसाल है कि इस हिन्दुस्तान में कहीं अभ्यारण्य बनाया गया और अभी माननीय रामनिवास रावत जी और माननीय सदस्य गोविन्द सिंह जी की चिन्ता से मैं वाकिफ हूँ और उन्हीं की चिन्ता के अनुसार यह आगर में गौ अभ्यारण्य बनाया गया है. जितने भी आवारा पशु हैं, जितना भी आवारा गौवंश है, उनको वहाँ पर रखा जाता है और उनकी पूर्ण सुरक्षा की जवाबदारी, उनको खिलाने-पिलाने की जवाबदारी, पूरी की जाती है. लेकिन फिर भी मैं अकील साहब की तारीफ करती हूँ और वहाँ पर इस प्रकार का भी अनुसंधान हो रहा है कि जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, गौमूत्र औषधि, आदि का भी उत्पादन होता है, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पंचगव्य का वर्णन आता है और उसके द्वारा दवाइयाँ निर्मित होती हैं, उससे हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, उसका भी अनुसंधान यहाँ आगर के गौ अभ्यारण्य में हो रहा है.

सभापति महोदय, भारतीय गौवंश के संवर्धन और पालन हेतु हमारी सरकार ने गोपाल पुरस्कार की भी स्थापना की है और इस साल का वह गौपालन पुरस्कार हम माननीय आरिफ अकील साहब को देंगे क्योंकि ये हमारी बहुत चिन्ता करते हैं. शायद लगातार दूसरी बार या तीसरी बार इस प्रकार का यह संकल्प लाए हैं. मैं उनकी तारीफ करती हूँ और सिफारिश करूँगी कि इस बार का गौपालन पुरस्कार आपको ही मिले और प्रदेश की गौवंश की मूल नस्लों के साथ हम भारतीय मूल नस्लों का भी संरक्षण करना चाहते हैं और उसके लिए हम पूरे पूरे प्रयासरत हैं और जहाँ तक यह आपके संकल्प की बात है तो इसके बारे में मैं माननीय गोविन्द सिंह जी एवं माननीय रामनिवास रावत जी से कहना चाहती हूँ कि नगर पालिका और नगर निगमों में पहले से ही यह

व्यवस्था है कि गाय के मरने के बाद उसके व्यय पर जलाने, दफनाने की व्यवस्था करते हैं. मैं आपको बताना चाहती हूं कि पहले से ही नगर पालिक अधिनियम में अधिनियम की धारा 1956 की धारा 258 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 279 में मृत पशुओं के निराकरण किये जाने का प्रावधान है. तद्नुसार कार्यवाही की जाती है. पृथक से कोई नियम बनाये जाने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती है. इसी प्रकार से नगर पंचायत, नगर पालिकाओं की भी यह जिम्मेदारी होती है कि कहीं पर कोई मृत गाय या मृत पशु पड़ा दिखे तो उसकी अंत्येष्टि और उसके निपटान की व्यवस्था की जाय और वह की जाती है इसलिये कोई अलग से नियम बनाये जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझती हूँ.

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं. पारसी समुदाय में एक प्रथा है कि उनके मृत शरीर को वे न तो दफनाते हैं न ही जलाते हैं बल्कि एक बड़ा सा टॉवर बनाते हैं उसमें राडें या पाइप लगा दिये जाते हैं और नीचे एक कुआं बना होता है उस पर उस मृत शरीर को रख देते हैं वह शरीर बरसात, ठंडी, गर्मी सब बर्दाश्त करता है और उस शरीर को चील, कौए और गिद्ध खाते रहते हैं उसके पीछे निहित मूल भावना यह होती है कि मरने के बाद भी शरीर किसी के काम आवे, किसी की क्षुदा की तृप्ति का कारण बने, किसी को संतुष्ट करे यह भावना पारसी समुदाय की है. उसके अनुसार अगर मृत गाय जो स्वाभाविक रुप से मरी है अगर उसके अंगों का कोई उपयोग होता है. गौमूत्र का, गोबर का तो इसमें क्या बुराई है. वह चीज काम ही आ रही है, हम उसे मार तो नहीं रहे, मारने के बाद तो उपयोग नहीं कर रहे हैं. मृत शरीर को जब पारसी समुदाय में, हिन्दु समाज में, मुस्लिम समाज में ताउम्र किसी न किसी...

श्री मुकेश नायक—सभापति महोदय, मैं एक मिनट कुछ कहना चाहता हूँ.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—यह भावना है. पहले आप मुझे मेरा भाषण पूरा करने दीजिये.

श्री मुकेश नायक—सभापति महोदय, मैं इस तरह का भाषण सदन में पूरा नहीं होने दूंगा. मेरी बात सुनिये, परम्परायें दो प्रकार की होती हैं. एक परम्परा आध्यात्मिक परम्परा होती है जो सनातन धर्म, संस्कृति, मान्यताओं और रीति-रिवाजों से जुड़ी हुई होती है और हम अनंत जन्मों से जिन परम्पराओं का पालन करते चले आये हैं. मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ, मैं कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी भावनायें बड़ी उदात्त हैं, जनउपयोगी हैं लेकिन आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि सदन में बात करते समय आप आध्यात्मिक परम्पराओं का और लोक संग्रह की परम्पराओं का समन्वय करें जो आपके भाषण में नहीं हो रहा है. कृपया कोई ऐसी बात न करें जो बाद में बहुत बड़े विवाद का कारण बन जाये. सभापति महोदय, जिन बातों को आप पिछले 50 सालों से पूरे भारत में उठाते चले आये हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—सभापति महोदय, यह भाषण हो रहा है सभा हो रही है क्या हो रहा है, आपका तो नाम भी नहीं है बोलने में.

श्री मुकेश नायक—अगर आप इस तरह की बात विधान सभा में करेंगी तो हम, मैं आपसे कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह से आप गौ-माता को चील, कौओं को खाने के लिये रखने की बात किसी दूसरे समुदाय के प्रतीक के माध्यम से सदन में नहीं कह सकतीं क्योंकि भारतवर्ष के लोगों का बहुत सेंटीमेंट जुड़ा है.

सभापति महोदय—मुकेश जी आपकी भावनायें आ गई हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—माननीय सभापति महोदय, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है. बस अंत में मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ (व्यवधान) मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सब की भावनाओं का आदर करती हूं. गोविन्द सिंह जी की, रावत जी की, माननीय आरिफ अकील जी की, माननीय नायक जी की आपने इतनी अच्छी बातें कहीं गौ-माता को सम्मान दिया है. मैं और

हमारी सरकार आप सभी की आभारी है. बस यही निवेदन करती हूँ कि जब आपकी मंशा पूरी हो रही है तो मेरी प्रार्थना है कि आप इस संकल्प को वापिस लेवें.

4:14 बजे

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

श्री आरिफ अकील—अध्यक्ष महोदय, मेरी मंशा तो तब पूरी होती जब यह संकल्प पास हो जाता. मेरा अनुरोध है अभी मंत्रीजी ने बहुत सारे उदाहरण दिये. ग्राम पंचायतों में जहां छोटे-छोटे गांवों में गायें मर जाती हैं वहां क्या व्यवस्था होती है ? आप दूसरे समुदाय के लोगों का उदाहरण दे रही थीं. मैंने तो सीधे सीधे बात कही है कि चर्बी, हड्डी और चमड़े का जो व्यवसाय करते हैं। उस पर पाबंदी लगना चाहिये, अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प को वापस नहीं लूंगा। आपके माध्यम से मंत्री से और सरकार में बैठे हुए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा की संकल्प को सर्वसम्मति से पास कराने में सहयोग करें, मदद करें और धार्मिक रीति रिवाज का पालन करने में हमारी मदद करें।

सुश्री कुसुम सिंह महदेले:- अध्यक्ष महोदय मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं । अभी तक हिन्दू समाज में या भारतीय समाज में ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है कि गौ माता को दफनाया जाए अथवा उसका दाहसंस्कार किया जाए। जो परम्परा है उसका नगर निगम पालन करती है और पंचायतें भी उसका पालन करती है। मेरा निवेदन है और एक बार और निवेदन करती हूं कि कृपा करके वापस ले लें। मैं आपका और सम्मान करती हूं।

श्री आरिफ अकील:- आप बड़ी बहन है, आदर तो करती हैं लेकिन आदर तो और जब हो जाता जब आप संकल्प को पास करने के लिये कहती। आप संकल्प को पास करने दें,

सुश्री कुसुम सिंह महदेले:- मैं आपको गोपालन पुरस्कार देने की सिफारिश करूंगी।

श्रीआरिफ अकील:- मैं आपका ओर आपकी पार्टी के लोगों का नागरिक अभिनंदन पास करवाऊंगा,आप मेहरबानी करके संकल्प को पास तो करवाईये।

श्री नरोत्तम मिश्रा :- नहीं ऐसा नहीं है जैसा कि आरिफ भाई मंत्री जी ने कहा है कि हमारे हिन्दू समाज में अलग अलग जगह तरह की परम्पराएं हैं। उसको नियम में नहीं बांधा जा सकता है। कई समुदायों में होता है और इसलिए कोई नया विवाद खड़ा न हो और सरकार ने पहले जो व्यवस्था की हैं, वो भी आदरणीय मंत्री जी ने आपको सब विस्तार से बतायी हैं, अलग अलग नगर पालिकाओं में यह गाड़ी भी जाती है, कई जगह इसके ठेके भी दिये जाते हैं।

श्रीआरिफ अकील:- आप बताईये की कहां कहां गाड़ी जाती है, कहां कहां ठेके दिये यह आप बताआ।

श्री नरोत्तम मिश्रा :- मैं आपको वही कह रहा हूं, हम आपकी किसी बात को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल अलग अलग जगह की भावनाओं का है, इसलिये इस पर पुन: विचार करने के लिये वापस ले लें, जब तक सरकार भी पूरी जगह की सर्वे रिपोर्ट बुला लेगी तब पुन: विचार कर लेंगे। आज वापस ले लें।

श्री आरिफ अकील :- मेरा अनुरोध है कि यह सरकार तो वर्षों से गऊ माता के नाम पर सरकार में आयी है। आज जब हम गऊ माता के नाम पर संकल्प लाये तो सरकार आज बगले झाक रही है। यह क्या व्यवस्था है, आप को गऊ माता के नाम पर सरकार में बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यह विषय संस्कृति और धर्म से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक और धार्मिक जो जानकार हैं, इसके जो ज्ञाता है उनसे इस विषय में राय करना चाहिये, ताकि किसी की भावनाओं का अस्समान न हो और उसको विधिवत वैसा किया जा सके।

सुश्री कुसुम महदेले:- अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हमने उसकेलिये वाहन क्रमांक 109 की व्यवस्था की है। जो इस प्रकार के मृत पशु पाये जाते हैं, तो उसके लिये वाहन क्रमांक 109 , जैसे वाहन क्रमांक 108 मनुष्यों के लिये है उसी प्रकार से हमने पशुओं के लिये व्यवस्था की है।

श्री उमाशंकर गुप्ता :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुकेश नायक जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। गौ माता का एक ऐसा विषय है जिससे लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, इनके संबंध में कोई भी नई व्यवस्था या अन्य बात करने से पहले आपने जो एक निर्देश दिये हैं, आपकी जो भावना है मैं समझता हूं कि वह उसके अनुरूप है कि कोई भी व्यवस्था जो वर्षों से चल रही है, जहां जैसी चल रही है ,विभिन्न प्रकार का अपना समाज है,इसमें विविध स्थानों पर ये सारी सारी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से इनका निराकरण हो रहा है। सरकार की जो नगरीय निकाय की व्यवस्था है उसमें कमियां हो सकती हैं, वह पूरा नहीं होता होगा । उनको ठीक किया जा सकता है, 109 की व्यवस्था भी गड़बड़ हो सकती है उसको ठीक किया जा सकता है। आपने जो निर्देश दिये हैं चूंकि यह धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मामला है, कहीं न कहीं इसमें प्रमुख धर्म गुरूओं से राय लेकर, एक वातावरण बनाकर कोई संकल्प पारित करके उन परिस्थितियों को बदलने के प्रयास में अनावश्यक विवाद खड़े होगें, इसलिये धार्मिक गुरूओं से बात करके एक सर्वसम्मत बात बने, तब तक इस पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा और इसलिए मैं भाई आरिफ अकील साहब की उन भावनाओं की कद्र करते हुए, पहली बार उन्होंने कोई इस प्रकार का संकल्प जहां तक मैं जानता हूं इतनी अच्छी भावना से लाये हैं यह निश्चित ही आगे भविष्य में भोपाल की तहजीब को आगे बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए मेरा उनसे आग्रह है कि आज इस संकल्प को वापस लें बाकी हमसब मिलकर विचार करेंगे. मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वे अनावश्यक किसी को विवाद पैदा करने का अवसर नहीं देंगे और हम सब मिलजुलकर जो अच्छा हो वह निर्णय हम करेंगे.

श्री आरिफ अकील – अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है जैसा आपने सुझाव दिया बहुत अच्छा सुझाव दिया. संकल्प पास होने के बाद भी तो धर्मगुरुओं से राय ली जा सकती है. उनसे कहा जा सकता है कि इसको और अच्छा कैसे बनाएं.

अध्यक्ष महोदय – उसके बाद उचित नहीं होगा. यह आपका अधिकार है आप वापस लें या न लें.

श्री उमाशंकर गुप्ता – आरिफ भाई कभी तो मान जाया करो.

अध्यक्ष महोदय – यह मेरी राय है और वह भी इसलिये है क्योंकि इससे धर्मगुरुओं और सारे लोगों की बातें जुड़ी हुई हैं उनसे बिना विचार किये संकल्प पारित करना इस विधान सभा का और माननीय सदस्यों का भी फिर जैसी आपकी इच्छा.

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे) - अध्यक्ष महोदय, आप बिल्कुल सही मार्गदर्शन दे रहे हैं. यहां आरिफ भाई जिस संकल्प को लाए. होना तो यह चाहिये था कि सदन आरिफ भाई की इस मामले में प्रशंसा करता, तारीफ करता और उनकी भावनाओं का स्वागत करता. अगर संकल्प हम पारित कर लेते हैं तो संकल्प पारित कर लेने के बाद कानून बनाने का तो हमें अधिकार तो है ना. हम धर्मगुरुओं की समिति बना दें. वह कानून बनाकर हमको दे देंगे. हम कानून बना देंगे लेकिन जब संकल्प पारित हो जायेगा तो हम इस बात के लिये बंध जाएंगे कि अब हमको कानून बनाना अनिवार्य है. इसलिये आरिफ भाई के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और इसको मान लेना चाहिये.

वन मंत्री (डॉ.गौरीशंकर शेजवार) – माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आपने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं समझता हूं सभी सदस्यों को स्वीकार करना चाहिये. एक बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कही उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि धर्मगुरुओं की जो राय होगी वह सर्वमान्य होगी लेकिन धर्मगुरु गुरू हैं और विधान सभा उनकी कोई समिति बनाएगी तो यह उनके सम्मान की बात नहीं है क्योंकि उनसे तो विधिवत् उनके यहां जाकर राय ली जाएगी और सरकार की तरफ से लोग जा भी सकते हैं और उनसे राय भी ले सकते हैं लेकिन मेरा आरिफ अकील साहब से विनम्र अनुरोध है कि जो विषय ऐसे हों कि दोधारी हों ऐसे विषयों को सदन में लाकर कभी दूसरों की

भावना या अन्य चीजों को हम कैसे मनवाएंगे. मान लो संकल्प सदन में स्वीकार हो जाता है तो संकल्प तो स्वीकार करवा देंगे लेकिन समाज क्या उसे अंगीकार कर लेगा ? दो अलग-अलग विषय हैं. एक संकल्प पारित करना.

श्री सत्यदेव कटारे - अध्यक्ष महोदय, यह बात विषय से भटक रही है.

अध्यक्ष महोदय – संकल्प पर वह भी बोल रहे हैं दूसरे सदस्यों ने भी बोला.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – मैं नेता नहीं हूं लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष हैं और सदन के नेता प्रतिपक्ष यदि मुझे कोई डायरेक्शन देंगे या सलाह देंगे तो उसको भी मैं शिरोधार्य करूंगा. ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी भावना हमेशा आपसे लड़ने की है. आप जब अच्छा बोलेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे. आप कह सकते हो कि उनका संकल्प अच्छा है लेकिन सरकार यदि इस संकल्प को पास करे तो समाज अँगीकार कर लेगा जब तक धर्मगुरु निर्देशित नहीं करेंगे और इसको मान्य नहीं करेंगे तब तक समाज इसको अँगीकार नहीं करेगा. पुरातनकाल से हमारे मुकेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे वेदों, पुराणों में कहीं ऐसी परम्परा नहीं हैकि गौ माता को दाह संस्कार या दफनाने का वर्णन हो तो सरकार उसे माने मैं उचित नहीं समझता तो आरिफ अकील साहब आपसे विनम्र अनुरोध है कि दूसरों की धार्मिक भावनाओं का आप सम्मान करते हैं तो आप इस संकल्प को जरूर वापस लेंगे. मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है.

श्री आरिफ अकील – अध्यक्ष महोदय,

श्री आरिफ अकील—माननीय अध्यक्ष महोदय, धार्मिक भावनाओं का हम आदर करने वाले हैं तभी तो हम यह संकल्प लाये हैं किसी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा हुआ है कि गाय की हड्डी,

चमड़ी एवं उसकी चर्बी, चमड़े का व्यवसाय किया जाय इसलिये मैं संकल्प लाया हूं मेरी धार्मिक भावनाओं की मदद करने के लिये, धार्मिक भावनाओं का आदर करने के लिये संकल्प लाया हूं इसलिये मेरा अनुरोध है कि डायवर्ट करने का प्रयास किये बगैर संकल्प को पास कराने में मेरी मदद करें.

श्री गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई डायवर्ट करने वाली बात कही नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि किस धर्म में क्या होगा उस धर्म के धर्म गुरू तय करेंगे, यह विधान सभा तय नहीं करेगी, यह कैसे माना जाय?

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के साथी उसे निश्चित रूप से विषयान्तर कर रहे हैं. हम सभी गौवध के विरोधी हैं और आप भी विरोधी हो कि गौवध को रोका जाय और जो हड्डी एवं चमड़े के व्यवसाय में विशेष रूप से उनकी भावना है कि गौ-माता की चर्बी एवं हड्डी के व्यवसाय पर रोक लगाई जाय. अगर इस पर रोक नहीं लगने के कारण यह गौवध एवं बूचड़खाने बढ़ते जा रहे हैं इन पर किस तरह से रोक लगाई जाय इस पर यह संकल्प लाये हैं मैं समझता हूं कि व्यवसाय पर रोक लगाने का एकमात्र तरीका यही हो सकता है कि मरने के बाद हम पशु को कहीं पर भी डाल देते हैं, उसके बाद उसकी कोई भी चमड़ी उधेड़ता है, कोई भी उसकी हड्डी को उधेड़ता है और वह ले जाता है और उसका व्यवसाय में उपयोग करता है इसलिये यह प्रवृत्ति भी बनती है, यह तो वृद्ध हो गईं, या मरने के बाद की स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे यह प्रवृत्ति भी बढ़ती है, क्योंकि पशुओं को भी लोग ले जाते हैं और उनके भी वध की स्थिति बनती है इसलिये माननीय सदस्य की चिन्ता का विषय था.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि "सदन का यह मत है कि गाय के मरने के बाद शासन खर्च पर जलाने एवं दफनाने व उसकी हड्डी व चर्बी के व्यवसाय पर रोक लगाई जाय"

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों कृपया हां कहें

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों वह कृपया ना कहें.

श्री आरिफ अकील—डिवीजन-डिवीजन

(कांग्रेस पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा डिवीजन की मांग की गई)

अध्यक्ष महोदय—एक बार मैं पुनः ध्वनि मत ले लेता हूं.

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों कृपया हां कहें

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों वह कृपया ना कहें.

श्री आरिफ अकील—डिवीजन, डिवीजन

(डिवीजन हेतु घंटी बजायी गई)

अध्यक्ष महोदय--एक बार मैं फिर से मत ले रहा हूं घंटी बज चुकी है, इसके बाद यदि आप सहमत नहीं होंगे, तो मतदान होगा.

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, कृपया हां कहें.

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, कृपया ना कहें.

श्री आरिफ अकील--डिवीजन डिवीजन डिवीजन.

अध्यक्ष महोदय--जो माननीय सदस्य इस संकल्प के पक्ष में हों, वे कृपया मेरे दाहिने ओर की लाबी में जाकर मतदान करेंगे. जो माननीय सदस्य के विपक्ष में हों, कृपया मेरे बाईं ओर की लाबी में जा कर मतदान करेंगे.

विभाजन सूची

हां पक्ष

1. श्री रामनिवास रावत
2. श्री सत्यदेव कटारे

3. डॉ. गोविन्द सिंह

4. श्री लाखन सिंह यादव

5. श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर

6. कुंवर विक्रम सिंह

7. श्री मुकेश नायक

8. श्री यादवेन्द्र सिंह

9. श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)

10. श्रीमती शीला त्यागी

11. श्री सुन्दरलाल तिवारी

12. श्री कमलेश्वर पटेल

13. श्रीमती सरस्वती सिंह

14. श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)

15. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को

16. श्री नीलेश अवस्थी

17. श्री ओमकार सिंह मरकाम

18. श्री संजय उइके

19. सुश्री हिना लिखीराम कांवरे

20. श्री मधु भगत

21. श्री रजनीश हरवंश सिंह

22. श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा)

23. श्री जतन उईके

24. श्री गोवर्धन उपाध्याय

25. श्री आरिफ अकील

26. श्री शैलेन्द्र पटेल

27. श्रीमती झूमा सोलंकी

28. श्री सचिन यादव

29. श्री उमंग सिंघार

30. श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल

31. श्री हरदीप सिंह डंग

"ना पक्ष"

1. श्री मेहरबान सिंह रावत

2. श्री सूबेदार सिंह रजौधा

3. एडव्होकेट सत्यप्रकाश सखवार

4. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी

5. श्री लाल सिंह आर्य

6. श्री प्रदीप अग्रवाल

7. श्री घनश्याम पिरोनियाँ

8. डॉ. नरोत्तम मिश्र

9. श्रीमती ममता मीना

10. श्री के.के.श्रीवास्तव

11. श्री मानवेन्द्र सिंह

12. श्रीमती रेखा यादव

13. श्री लखन पटेल

14. श्री महेन्द्र सिंह बागरी

15. श्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले

16. श्रीमती नीलम अभय मिश्रा

17. पं. रमाकांत तिवारी

18. श्री गिरीश गौतम

19. श्री केदारनाथ शुक्ल

20. श्री रामलल्लू वैश्य

21. श्री कुंवर सिंह टेकाम

22. कुमारी मीना सिंह

23. श्री शरद जैन एडव्होकेट

24. श्री रामप्यारे कुलस्ते

25. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन

26. श्री के.डी.देशमुख

27. श्री गोविन्द सिंह पटेल

28. श्री नथनशाह कवरेती

29. पं. रमेश दुबे

30. श्री नानाभाऊ मोहोड़

31. श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल

32. डॉ. गौरीशंकर शेजवार

33. श्री रामपाल सिंह

34. श्री वीरसिंह पंवार

35. श्री विष्णु खत्री

36. श्री उमाशंकर गुप्ता

37. श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह

38. श्री रामेश्वर शर्मा

39. श्री नारायण सिंह पंवार

40. श्री जसवंत सिंह हाड़ा

41. श्री इन्दर सिंह परमार

42. श्री दीपक कैलाश जोशी

43. श्री आशीष गोविन्द शर्मा

44. श्री चम्पालाल देवड़ा

45. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर

46. कुंवर विजय शाह

47. श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू

48. श्री शांतिलाल बिलवाल

49. श्री वेलसिंह भूरिया

50. सुश्री ऊषा ठाकुर

51. श्री पारस चन्द्र जैन

52. श्री चैतन्य कुमार काश्यप

53. श्री राजेन्द्र पाण्डेय

54. श्री जगदीश देवड़ा

55. श्री दिलीप सिंह परिहार

अध्यक्ष महोदय -- संकल्प के पक्ष मे 31 मत तथा संकल्प के विपक्ष में 55 मत पड़े अत: संकल्प अस्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय --विधानसभा की कार्यवाही सोमावार, दिनांक 14 जुलाई 2014 को प्रात: 10.30 बजे तक के लिये स्थगित .

सायं 4.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 14 जुलाई, 2014(23,आषाढ़ शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा

भोपाल,
दिनांक : 11 जुलाई,2014.